षष्ठम् माला, खंड 14, अंक 41, गुरुवार, 20 अप्रैल, 1978/30 चैत्र, 1900 (शक)

Sixth Series, Vol. XIV, No. 41, Thursday, April 20, 1978/Chaitra 30, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Sixth Lok Sabha

(4th Session)

सत्यमेव जयते

11.11.91

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 41, गुरूवार, 20, अप्रैल, 1978/30 चैत्र 1900 (शक)

No. 41 Thursday, April 20, 1978/Chaitra 30, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
803, 804, 806 और 808 से 810	803, 804, 806 and 808 to 810 . .	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 801, 802, 805, 807, और 811 से 820	Starred Question Nos. 801, 802, 805, 807 and 811 to 820 .	14—29
अतारांकित प्रश्न संख्या 7520 से 7556, 7558, 7559, 7561 से 7563, 7565 से 7673 और 7639 से 7719	Unstarred Question Nos. 7520 to 7556, 7558, 7559, 7561 to 7563, 7565 to 7637 and 7639 to 7719 . . .	29—146
दिनांक 23-2-1978 के आतारांकित प्रश्न संख्या 418 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to USQ Nos. 418 dated 23-2-1978 . .	146
दिल्ली के मेडिकल छात्रों की समस्या के बारे में	Re. Problem of Delhi Medical Students	147
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment .	148
अपने वक्तव्य में श्री भुट्टो और श्रीमती गांधी के बीच गोपनीय समझौता होने का आरोप लगाकर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने में विदेश मंत्री का आचरण	Conduct of the Minister of External Affairs in violating the Oath of secrecy by his statement alleging secret understanding between Mr. Bhutto and Shrimati Indira Gandhi.	148
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papeps Laid on the Table . .	150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	151
मनीला स्थित भारतीय दूतावास में आग लगने का समाचार	Reported fire in the Indian Embassy in Manila	151
श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला	Shri Mohinder Singh Sayian Wala	151
श्री समरेन्द्र कुन्दू	Shri Samarendra Kundu	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	15 3

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्यने वास्तव में पूछा था।

The sign †marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked to the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta .	153
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	153
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	154
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	154
74वां और 76वां प्रतिवेदन	Seventy-fourth and Seventy-sixth Reports	154
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	154
18वां प्रतिवेदन और कार्यवाही	Eighteenth Report and Minutes	
दिल्ली में दो अस्पतालों का नाम बदलने के बारे में	Statement Re. Renaming of Two Hospitals in Delhi . . .	155
श्री राज नारायण का वक्तव्य	Shri Raj Narain . .	155
नियम 377 के अधीन मामले--	Matter under rule 377 .	155
(1) ऐतिहासिक अनुसंधान मुख्यालय से कालपात्र संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फाइल के गुम हो जाने के समाचार	(i) Reportd loss of file containing important documents relating to the time capsule . .	155
श्री केशवराव धोंगड़े	Shri Keshavrao Dhondge . .	155
(2) कलकत्ता स्थित भारतीय पटसन निगम को बन्द करने के प्रस्ताव के समाचार	(ii) Reported move to wind up the Jute Corporation of India at Calcutta	155
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy .	155
(3) कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर विद्युत की कमी का प्रतिकूल प्रभाव	(iii) Adverse effect of power shortage on agricultural and industrial production	155
श्री वीरेन्द्र प्रताप	Shri Birendra Prasad . . .	155
(4) दिल्ली में मलेरिया का भंयकर प्रकोप	(iv) Widespread incidence of Malaria in Delhi	155
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya . .	155
(5) भूतपूर्व प्रधान मंत्री के समर्थकों द्वारा चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के काम में हस्तक्षेप का समाचार	(v) Reported attempt by supporters of former Prime Minister to disturb court proceedings . . .	155
श्री बृजभूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	155
अनुदानों की मांगे, 1978-79	Demands for Grants 1978-79 . .	155
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation	155
श्री बी० पी० कदम	Shri B.P. Kadam . .	157
श्री रघुनाथ सिंह वर्मा	Shri Raghunath Singh Verma	158
श्री दाजीबा देसाई	Shri Dajiba Desai	159
श्री चन्दन सिंह	Shri Chandan Singh . .	160
श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन	Shri M.R. Lakshminarayanan	161
श्री भानु प्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh . .	162
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	163
17वां प्रतिवेदन	Seventeenth Report	163

विषय	SUBJECT	PAGES
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित	Bills Introduced	164
1. श्री दया राम शाक्य का होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, (1978) (धारा 2 का संशोधन)	1. Homeeopathy Central Council (Amendment) Bill (Amendment of Section 2) by Shri Daya Ram Shakya	164
2. श्री मदन तिवारी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1978 (अनुच्छेद 19, 31 आदि का संशोधन)	2. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 19, 31 etc.) by Shri Madan Tiwari .	164
3. श्री राज कृष्ण डान का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1978 (अनुच्छेद 84, 173 आदि का संशोधन)	3. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 84, 173 etc.) by Shri Raj Krishna Dawn.	165
4. श्री वाई० पी० शास्त्री का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1978 (अनुच्छेद 19 का संशोधन, अनुच्छेद 31 आदि का लोप)	4. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 19, omission of article 31 etc.) by Shri Y.P. Shastri	165
5. डा० रामजी सिंह का जनता ट्रस्टीशिप विधेयक, 1978	5. Janata Trusteeship Bill by Dr. Ramji Singh	165
6. श्री शरद यादव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1978 (अनुच्छेद 19, 31, आदि का संशोधन)	6. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 19, 31 etc.) by Shri Sharad Yadav .	166
7. श्री हरि विष्णु कामत का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1978 (अनुच्छेद 352, 356 आदि का संशोधन)	7. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 352, 356 etc.) by Shri Hari Vishnu Kamath	166
संविधान संशोधन विधेयक	CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL	
(अनुच्छेद 51 का संशोधन)	(Amendment of Article 51) by	
श्री हरि विष्णु कामत द्वारा	Shri Hari Vishnu Kamath . .	166
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	166
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	167
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	167
श्री गौडे मुराहरि	Shri Godey Murahari .	168
श्री समरेन्द्र कुन्दू	Shri Samarendra Kundu	168
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	169
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukmdeo Narain Yadav	170
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar .	170
श्री श्यामाप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya	171
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan .	171
श्री हरि भूषण कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	172
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings .	174

विषय	SUBJECT	PAGES
छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही	Sixth Report and Minutes . .	174
देश में विधि तथा व्यवस्था की स्थति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Law and order situation in the country	174
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	174
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	176
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	177
श्रीमती मृणाल गोरे	Shrimati Mrinal Gore .	177
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt .	177
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya .	177
श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	177
श्री एम एन गोविन्दन नायर	Shri M.N. Govindan Nair	180
श्री आर० मोहनरंगम	Shri R. Mohanarangam .	181
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh .	181

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 20 अप्रैल 1978/चैत्र 30, 1900 (शक)

Thursday, April 20, 1978/Chaitra 30, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answers to Questions

असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों को भरा जाना

*803. **श्री वयालार रवि :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा पास करने और पैनल में रखे जाने के बाद नियुक्त किए जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन अर्हता प्राप्त असिस्टेंट इंजीनियरों को नियुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) असिस्टेंट इंजीनियरों के कुल कितने पद, सर्किल वार, रिक्त पड़े हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 17-4-1978 की स्थिति के अनुसार सभी सूचित खाली पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं।

श्री वयालार रवि (चिरायिकोल): नियुक्ति की प्रतीक्षा करने वाले सहायक इंजीनियरों के बारे में मंत्री महोदय ने उत्तर 'न' में दिया है । मुझे उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ है क्योंकि मेरे विचार में लगभग 786 सहायक इंजीनियरों को, जो परीक्षा में बैठे थे, पास हुए थे और तालिका में जिनका नाम है, कनिष्ठ पर्यवेक्षक संवर्ग में पदोन्नत किया गया है । 786 सहायक इंजीनियर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि परीक्षा में कितने लोग बैठे और पास हुए तथा तालिका में दर्ज किए गए और कितने लोग अभी तक नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको नियक्त करने में क्या विलम्ब है ?

श्री नरहरि प्रसाद साय: लगभग 898 कर्मचारी चुने गए थे जिनमें से 799 पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। अब केवल 99 लोग प्रतीक्षा सूची में हैं।

श्री बयालार रवि: श्रेणी IV से श्रेणी III तथा श्रेणी III से श्रेणी II में पदोन्नति के लिए न केवल दूर संचार विभाग व बल्कि डाक विभाग के कर्मचारी भी परीक्षा में बैठते हैं। आम शिकायत यह है कि तालिका एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं रखी जाती और कभी कभी तालिका रद्द होने के कारण वे पदोन्नति का अवसर भी खो बैठते हैं। मंत्री महोदय क्या यह आश्वासन देंगे कि असामान्य विलम्ब नहीं किया जाएगा और यथाशीघ्र कर्मचारियों को खपा लिया जाएगा?

श्री नरहरि प्रसाद साय: पहले असामान्य विलम्ब होता था। लेकिन जनता सरकार के आने के बाद हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। हम दूसरों के लिए भी ऐसा ही करेंगे।

Import of Aluminium

*804. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India will have to import aluminium during the next few years;

(b) if so, the quantity thereof;

(c) the present production capacity thereof in the country; and

(d) the measures taken to increase it ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) एल्यूमिनियम के आयात की मात्रा देश में एल्यूमिनियम की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप होगी।

(ग) इस वर्ष के अन्त तक देश में एल्यूमिनियम की उत्पादन क्षमता 316,000 टन वार्षिक हो जाएगी।

(घ) पूर्वी घाट में हाल में खोजे गए बौक्साइट के विशाल भंडारों के उपयोग की संभावना को देखते हुए दो साध्यता अध्ययन एक उड़ीसा में तथा दूसरा आंध्र प्रदेश में, पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। 600,000--800,000 टन वार्षिक क्षमता वाले एल्यूमिना संयंत्र और लगभग 160,000 टन वार्षिक क्षमता वाले एल्यूमिनियम संयंत्र से संबंधित पहला अध्ययन तथा 600,000 टन क्षमता वाले एल्युमिना संयंत्र से सबंधित दूसरा अध्ययन प्रथमत: 1979 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। प्रतिवर्ष 10 लाख टन एल्यूमिनियम की प्रायोजित उत्पादन क्षमता के कालांतर में प्राप्त हो जाने पर इन दोनों परियोजनाओं से विश्व एल्यूमिनियम उद्योग में भारत के प्रभावशाली स्थिति में पहुंच जाने की आशा है।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Part (b) and (c) of my question has not been replied to. I asked what is production capacity of Aluminium in the country I would also like to know the reasons for below capacity production in 'Balco' plant at Korba ? The hon. Minister has told that two study teams are working in Orissa and Andhra Pradesh and after the feasibility report is submitted by them, Government will consider in term of increasing production. What steps are being taken to ensure that all the plants, which are not fully utilising their capacity, should fully utilise their capacity ?

श्री बीजू पटनायक : इस वर्ष के अन्त तक एल्यूमीनियम उद्योग में उत्पादन क्षमता 316,000 टन हो जाएगी। अगले कुछ महीनों में कोरवा स्थित बालको की क्षमता 50,000 टन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरवा तथा कर्नाटक में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी आई। बिजली के नए विकास के कारण स्थिति सुधर सकती है। सरकार ने बड़ी बड़ी नयी परियोजनाएं शुरू की है। आगामी वर्षों में हमारी आवश्यकताएं बढ़ेगी। इसलिए दो अन्य बड़ी परियोजनाएं शरू की जा रही हैं।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya: Is it a fact that there is large deposit of Bauxite in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Orissa. Even now deposits of Madhya Pradesh are not being fully utilised. Feasibility report will be received by 1979. May I know whether Government is considering to set up any plant on the basis of information received and if so, by when the project will be completed ? Arrangements should be made to utilise plants fully in Karnataka and Madhya Pradesh, so that we can produce as per our requirements and do not spend money on its import. I would also like to know how much Aluminium would be imported during 1978-79.

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में काफी बाक्साइट भंडार अयस्क हैं।

वस्तुतः, कोरवा के बालकों संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उड़ीसा से भी काफी बाक्साइट मंगवाना पड़ेगा। उड़ीसा सरकार मध्य प्रदेश स्थित संयंत्र के लिए बाक्साइट के कुछ क्षेत्र आवंटित करने के लिए राजी हो गई है। बिजली की कमी के कारण इस समय कठिनाई हो रही है। निकट भविष्य में बिजली की स्थिति में सुधार होगा। सुधार होते ही कुल क्षमता 3,16,000 टन हो जाएगी। भंडारों के बढ़ने से ही हमारी क्षमता बढ़ सकती है।

श्री जगन्नाथ राव : इस समय हिंडालको मालको और आसनसोल एल्यूमीनियम निगम जैसी निजी क्षेत्र के कारखाने एल्यूमीनियम का उत्पादन कर रहे हैं। इन एककों द्वारा किया गया उत्पादन कितना होता है और देश में इसकी कितनी मांग है। क्या बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी आई है। देश में इसकी कितनी मांग है और इसकी कितनी कमी है ? सरकार स्थिति में सुधार किस प्रकार करेगी क्योंकि एल्यूमीनियम तांबे की जगह ले रहा है और इसलिए इसकी मांग में वृद्धि होगी।

श्री बीजू पटनायक : देश का बढ़ती हुई मांग के अनुपात में ही एल्यूमीनियम का आयात किया जाएगा। मैं टनों में इसकी मात्रा नहीं बता सकता क्योंकि यह गोपनीय है और मेरे बताने से विश्व मंडी में इसकी कीमत बढ़ जाएगी।

श्री आर० वेंकटरमन : सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बाक्साइट की प्रमाणित मात्रा कितनी है। दूसरे इस क्षेत्र में प्रमाणित मात्रा में उपयोगिता के लिए, कितनी बिजली चाहिए और क्या बिजली को पर्याप्त सप्लाई के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं और तीसरे, मंत्री महोदय, भारत के प्रभावशाली स्थिति में पहुचने की जो बात कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या वह एल्यूमीनियम निर्यात का विचार छोड़ देंगे और वह सुनिश्चित करेंगे कि देश में ही एल्यूमीनियम का उत्पादन हो ?

श्री बीजू पटनायक : संम्भाव्यत : प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और जब सरकार को यह प्रतिवेदन मिल जाएगा तब सरकार पूंजी निवेश की योजना बनाएगी। यदि हमें 10 लाख टन एल्यूमीनियम धातु चाहिए तो उसके लिए हमें 2,500 मैगावाट बिजली चाहिए। हाल में प्रधान मंत्री ने उस क्षेत्र में 600 मैगावाट पनबिजली संयंत्र की नींव रखी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कोयले के असीमित भंडार हैं और वहां से हमारी आवश्यकता के अनुरूप तापीय बिजली मिलेगी। जब हम एल्यूमीनियम के 10

लाख टन उत्पादन की बात करते हैं तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि 500 मैगावाट क्षमता वाले बड़े संयंत्र की योजना पूंजी निवेश अथवा ऋण अथवा किसी भी योजना के संदर्भ में एकमुश्त समझौते का अंग होगी ।

दूसरा प्रश्न यह है हिम एल्यूमीनियम उपादानों का निर्यात क्यों करे ? ऋण प्रणाली के आधार पर हमें अन्य संयंत्रों के निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ एल्यूमीनियम निर्यात करना पड़ता है । यह एक सामान्य प्रक्रिया है । आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच 2 अरब टन से अधिक का अनुमान है । प्रमाणित भंडार लगभग 70 करोड़ टन के हैं । मझे इसमें संदेह नहीं कि बाक्साइट के ये भंडार विश्व में सबसे अधिक होंगे । राष्ट्र के हित में इसका उपयोग करना चाहिए । इस समय विश्व में एल्यूमीनियम का उत्पादन 1 करोड़ 50 लाख टन है और भारत की दस लाख टन क्षमता उसे प्रभावशाली स्थिति में पहुंचा देगी ।

छोटी उम्र में माँ बनना

*806. श्री अण्णासाहब गोटखिड़े : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी उम्र में मां बनने के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या के कारणों का पता लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो वे कारण किस प्रकार के हैं ; और

(ङ) ऐसे मामले कम से कम हों, इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) & (b) Estimates of the median age at first maternity based on a fertility survey conducted by the Registrar General in 1972 are given in Statement-I. The median age was 21.24 years in rural areas and 21.84 years in urban areas. Estimates based on registration of births in towns and cities with a population of over one lakh for the years 1962, 1971, 1972 and 1973 show that the median age at first maternity has increased from 21.2 years in 1962 to an average of 22.2 years during the period 1971-73. The state-wise estimates are given in Statement-II.

The concept of median implies that 50% of the first births take place above that level and 50% below that level.

(c), (d) & (e) : Do not arise. The recent Child Marriage Restraint (Amendment) Act which provides for raising the age at marriage is however bound to raise the age at first maternity further.

STATEMENT I

Sl. No.	States/U.T.s	Median age at first maternity, 1972	
		Rural	Urban
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	19.25	20.93
2.	Assam	19.44	22.20
3.	Meghalaya	21.00	..
4.	Bihar	20.63	19.60

1	2	3	4
5.	Gujarat	21.32	22.40
6.	Haryana	20.99	22.06
7.	Himachal Pradesh	21.75	22.73
8.	Jammu & Kashmir	21.97	21.96
9.	Karnataka	19.84	21.16
10.	Kerala	21.98	21.92
11.	Madhya Pradesh.	19.58	21.11
12.	Maharashtra	21.04	22.07
13.	Manipur	22.50	22.50
14.	Orissa	20.34	19.72
15.	Punjab	22.53	22.44
16.	Rajasthan .	20.85	20.93
17.	Tamil Nadu	22.07	22.50
18.	Tripura .	21.25	24.17
19.	Uttar Pradesh	20.89	21.67
20.	West Bengal	19.30	21.52
21.	A & N Islands .	21.17	22.50
22.	Arunachal Pradesh	23.10	..
23.	Chandigarh	22.50	23.00
24.	Dadra & Nagar Haveli	19.42	..
25.	Delhi.	21.45	22.63
26.	Goa, Daman & Diu	20.99	23.82
27.	Lakshadweep	20.00	..
28.	Pondicherry	21.79	22.08
	INDIA	21.04	21.84

Source : Fertility Survey, Registrar General, 1972.

STATEMENT II

Median age at 1st Order Birth for towns with a population over 1 lakh during 1962, 1971 1972 and 1973 (in years)

Sl. No.	States/Union Territories	1962	1971	1972	1973
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh .	19.6	19.9	20.4	20.9
2.	Assam	N.A.	22.0	21.6	21.7
3.	Bihar.	20.7	N.A.	N.A	21.6
4.	Gujarat	22.2	23.2	22.7	22.7

1	2	3	4	5	6
5.	Jammu & Kashmir	N.A.	20.7	20.1	21.0
6.	Karnataka	20.4	21.3	21.3	21.6
7.	Kerala . .	21.6	22.1	22.0	22.2
8.	Madhya Pradesh.	20.6	21.7	21.6	22.1
9.	Maharashtra	22.8	23.3	23.1	23.3
10.	Meghalaya	N.A.	21.1	N.A.	23.0
11.	Orissa	19.7	20.1	20.2	20.5
12.	Punjab	N.A.	21.8	22.3	21.7
13.	Rajasthan .	21.2	22.6	N.A.	24.0
14.	Tamil Nadu	20.5	21.5	21.3	21.6
15.	Uttar Pradesh	20.3	N.A.	21.3	21.9
16.	West Bengal	20.0	22.0	22.4	22.6
17.	Chandigarh	N.A.	22.9	23.0	23.0
18.	Delhi.	21.3	23.0	22.7	22.5
	ALL INDIA	21.2	22.2	22.0	22.3

Source :—Based on Civil Registration data published or compiled for publication in Vital Statistics of India. 1962, 1971, 1972 and 1973 by Registrar General of India.

N.A. : Not available.

श्री अन्नासाहिब गोटखिडें : मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है। बर्जीनिया में हुए प्रथम 'इन्टरहेमीस्फीटक' सम्मेलन में अपने निष्कर्ष में कहा है कि वर्ष 1975 में 600 लाख स्त्रियों में से 130 लाख मां बन गई। 600 लाख के पीछे 130 लाख 20 प्रतिशत बनता है और सम्मेलन ने यह निष्कर्ष दिया है कि समूचे विश्व में यह समस्या अत्यधिक गम्भीर रूप लेती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : विश्व अनुपात भारतीय अनुपात से अलग हो सकता है।

श्री अन्नासाहिब गोटखिडें : मंत्री महोदय उन राज्यों के नाम बताएं जहां स्थिति ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है।

मंत्री महोदय द्वारा दिया गया विवरण अपूर्ण है। पहले विवरण में वर्ष 1972 के आंकड़े दिए गए है जबकि दूसरे विवरण में वर्ष 1972 तथा वर्ष 1973 के आंकडें भी दिए गए हैं। बिहार, मेघालय राजस्थान तथा उत्तर पदेश के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि वर्ष 1971 तथा वर्ष 1972 की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

क्या सरकार मेरे पहले के निष्कर्षों से सहमत है और यह समझाता है कि देश के कुछ राज्यों में स्थिति गम्भीर हो गई है।

Shri Raj Narain : Total average of the world will differ to that of the States of India. If the per capita income of India is 800 the per capita income of the Countries of the world will definitely increase. The question is undoubtedly very serious and that is why we have raised the marriageable age of a girl from 15 years to 18 years and that of the boy from

18 years to 21 years with raising the marriageable we will be able to solve our problem to some extent. People know that age period between 20 and 28 years is much a period in which pregnancy takes place very early. We want to avoid this period. We are raising the marriage age. I do not know from where my hon. friend has taken these figures.

श्री अन्नासाहिब गोटखिडे : मंत्री महोदय ने बाल विवाह रोक अधिनियम का उल्लेख किया है। इस अधिनियम के लागू करने के बावजुद कुछ राज्यों में बाल विवाह प्रथा प्रचलित है । राजस्थान तथा अन्य राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन है । हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है । इस अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदन उठाये जा रहे हैं ।

Shri Raj Narain : I have already told the hon'ble member that we are making all out efforts in this regard. Keeping this thing in mind we have raised the marriageable age of boys and girls. The hon'ble member should try to understand this.

श्री अन्नासाहिब गोटखिडे : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अधिनियम हाल ही में पास हुआ है ।

Shri Hukum Chand Kachhwai : There are no two opinions in this matter that it is doubtful to enforce this Act in the states of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh because there would be lot of resentment there. In view of this what particular measures have been taken by the Government to check child birth in early age. If it is impossible to check child marriage much a medcine shall be compulsorily given so that pregnancy may not take place till the age of 18 years ?

अध्यक्ष महोदय: पहले यह दण्डनीय अपराध नहीं था । मैं समझता हूं नये कानून में यह दण्डनीय अपराध हो गया है ? यह केवल सूचनार्थ है ।

Shri Hukam Chand Kachhwai : It is not accepted in Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar and U.P. If it is forced there, there will be widespread resentment. In such a situation what the Government is going to do ?.

Shri Raj Narain : The hon'ble member has referred to the Sharda Act. This measures has been a total failure, and that is why Government of India considered to make it a cognizable. Offence, but the police will make any arrest.

Shri Hukam Chand Kachhwai : My question is that child marriages take place in rural areas of many states. I have asked the hon'ble Minister whether any such medicines will be given to these child couples so that preganancy may not take place till the age of 18 years.

Smt. Ahilya P. Rangnekar : The figures given by the hon'ble Minister are wrong. I want that these figures should be examined, because according to the figures in the medium age at first maternity in the case of Bihar have been given rural age as 20.63 and urban age as 19.60. Does he mean that in rural areas children are born at mature age and in urban areas in child age ? It is said that the figures of 1971, 1972 and 1973 are based on civil registration data. Who goes for registration in rural areas ? These figures are not correct. These figures of fertility survey should be re-examined. You are misleading the House. I want that these figures should be re-examined so that correct figures of the country is brought before the House. This is a very serious matter so far as the women are concerned. The death rate of women is increasing, and the Ministry of Health should take some steps.

Shri Raj Narain : We will re-examine these figures as to whether they are correct or not. We had doubt about these figures when we were in opposition.

श्री राघावल मोहनरंगम : जब मंत्री महोदय को इन आंकड़ों के बारे में सन्देह था तो इन्हें सभापटल पर रखने का क्या औचित्य है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े ही उन्होंने सभापटल पर रखे हैं। अब वह कह सकते हैं "मैं इनकी जांच कराऊंगा।"

Shri Vasant Sathe : The hon. Minister said that he had doubt about these figures. It is very serious allegation. (*interrutptions*)

Shri Raj Narain : I said that I had also such a doubt in my mind and I re-examined them which showed difference butween the cities of Bihar and other cities. The social structure of the cities of Bihar is different to that of Varanasi.....(*interruption*)
I have said that I will set these statistics re-examined.

बिना डाक्टर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*808. **श्री जी० एस० रेड्डी** :

श्री ईश्वर चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 के अन्त तक ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे जिनमें डाक्टर नहीं थे;

(ख) उन केन्द्रों में डाक्टर नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन केन्द्रों में कब तक डाक्टर नियुक्त किये जाने की आशा की जा सकती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ग): संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है जो मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री जी० एस० रेड्डी : आश्चर्य है कि मंत्री महोदय समस्त भारत में उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आंकड़े देने में असमर्थ हैं जिनमें कोई डाक्टर नियुक्त नहीं है और कहां बिना डाक्टरों के ही काम चल रहा है। हो सकता है उनके पास अन्तिम जानकारी न हो लेकिन मंत्री महोदय हमें कम से कम यह तो बता सकते हैं कि कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिन में डाक्टर नहीं है।

श्री वी० अरूणाचलम : जब आपके पास उत्तर नहीं है तो आपने प्रश्न की अनुमति क्यों दी ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, कृपया निर्देश संख्या 13क देखें जिसमें यह कहा गया है :—

1. सदन में प्रश्नों के पूर्ण उत्तर दिए जायेंगे, और जहां तक सम्भव हो प्रत्येक भाग का अलग से उत्तर दिया जायेगा।

2. यदि उत्तर पर अध्यक्ष का ध्यान दिलाने से उन्हें यह सन्तोष हो जाये कि उनसे यह शर्त पूरी नहीं होती है तो वह मंत्री महोदय का पूरा उत्तर देने के लिए निर्देश दे सकता है।

अब मेरा यह निवेदन है कि कुछ दिनों से माननीय मंत्री यही दो वाक्यों का उत्तर दे देते हैं कि जानकारी एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी। मेरा आपस अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि यदि इस तरह से प्रश्न का उत्तर दिया जाये जिससे प्रश्न लिखित उत्तरों की सूची में स्थानान्तरित हो जाये और माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न, जिसके लिए उसने प्राथमिकता

दी है, तारांकित प्रश्न में लाया जाये ताकि उस पर चर्चा करने का अवसर मिल सके । अन्यथा चर्चा का अवसर निकल जाता है और सूचना कभी नहीं आती है । अधिकांश सूचनाएं 12 मई के बाद ही हमें प्राप्त होंगी । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । साधारणतः सूचनाएं सदन स्थगित होने के बाद ही प्राप्त होती हैं। तब चर्चा करने का अवसर कहां रहता है । अतः आप अपने विवेक से काम लें ....

अध्यक्ष महोदय: यह आपका सुझाव है । नियम समिति इस मामले की जांच कर रही है । (व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर: जब भी प्रश्नों का इस रूप में उत्तर दिया जाता है तो आप ऐसे प्रश्नों को अतारांकित प्रश्नों में स्थानान्तरित कर सकते हैं और इससे एक और तारांकित प्रश्न आ सकता है ।

अध्यक्ष महोदय: आपका सुझाव व्यावहार्य नहीं है। मेरे पास उत्तर उसी दिन सुबह आते हैं और तब तक प्रश्न सूची छप चुकी होती है । मैं केवल यही कर सकता हूं कि यदि सूचना पूरी नहीं है तो मैं उस प्रश्न को अगली बैठक के लिए स्थगित कर सकता हूं। इस प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर होगा..... (व्यवधान)

श्री वयलार रवि: मैं एक उदाहरण दूंगा । कल मैंने साधारण प्रश्न किया था कि राज्य व्यापार निगम के कितने एजेंट हैं । इसका यह उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है । ऐसा कैसे कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यह दूसरा मामला है....(व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर: आप ठीक कहते हैं कि आपके पास एक दिन पहले उत्तर आते हैं लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि....

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर मेरे कक्ष में आकर चर्चा करें।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker Sir, 21 day's notice for a question is given to the Government to prepare a complete reply, and even after 21 days the requisite information is not given, then it is very 'unfortunate'.

Shri Raj Narain : I would request the hon. Members to read the question and then read the rules also. The question reads:—will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state. The number of primary health centres without doctors at the end of March 1978 ? The question relates till March, 78. But I have got information upto 1977. I have no information uptill March, 1978. If the hon. Members ask me information upto 1977 I can give that information.

An hon. Member : Please give that information.

Shri Raj Narain : There were 49 primary health centres in the country without doctors at the end of March, 1977.

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का उत्तर देना वास्तव में बहुत कठिन है क्योंकि इसमें मार्च, 1978 के अन्त तक की जानकारी मांगी गई है प्रश्न पर विचार करना होगा। अब हम प्रश्न सं० 809 को लेंगे .....(व्यवधान) ।

मैं इस प्रश्न को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें मार्च, 1978 के अन्त तक की जानकारी मांगी गई और अपेक्षित सूचना एकत्र नहीं की जा सकी है।

मोतियाबिन्द के आपरेशन

*809. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि लगभग 3,500 नैत्र सर्जनों की सेवाओं का उचित उपयोग किया जाए तो क्या देश में सभी मोतियाबिन्द के रोगियों का इलाज किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार नेत्र-चिकित्सा शिवरों में सुविधाएं बढ़ाना चाहेगी और देश भर में विशेषतया गांवों में नेत्र-चिकित्सा शिविरों की स्थापना करेगी क्योंकि मोतियाबिन्द की जांच करने में अधिक समय नहीं लगता है और एक डाक्टर को उचित सुविधाएं उपलब्ध हों तो एक दिन में 100 आपरेशन कर सकता है ; और

(ग) यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Theoretically yes, but in practice it may not be possible to do so due to financial and physical constraints.

(b) and (c) The Government have already taken steps to strengthen the facilities for setting up eye camps throughout the country. A statement in this regard is laid on the table of the Sabha. Although it may be possible for a Surgeon to perform 100 operations a day but it is not advisable for him to perform more than 30 to 40 operations in a day if done scientifically.

STATEMENT

Government have launched a 'National Programme for Prevention of Visual Impairment and Control of Blindness' under which 80 mobile units are to be established within a period of 5 years. 15 of them have already been established and 15 will be established during 1978-79. The remaining 50 will be established by 1982. Each mobile unit will serve the rural areas of a cluster of 5 districts. Thus the 80 moible units will be able to cover the rural areas of the entrire country. The Mobile Units will be utilised for providing medical services and especially for performing cataract and gloucoma operations in eye camps.

In addition to these mobile units, Government is providing financial assistance to voluntary organisations conducting eye camps. Besides various International and National Agencies are also engaged not only in conducting the eye camps but also providing financial assistance to voluntary organisations actively involved in setting up eye camps.

Primary Health Centres, District Hospitals and Medical Colleges are also being strengthened under the National Programme to provide comprehensive community eye health care services to the people.

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : इलाजयोग्य अन्धेपन को फिर से देखने योग्य बनाने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाल में हुए सम्मेलन के बाद मोतियाबिन्द को इलाजयोग्य अंधेपन की सूची में रखा गया है। भारत में अंधेपन का यह एक मुख्य कारण है और मंत्री महोदय ने इसे गम्भीरता पूर्वक न लेकर केवल यही कहा है कि यह सैद्धान्तिक है। वस्तुतः स्वयंसेवी संगठनों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मोतियाबिन्द को इलाजयोग्य अंधापन समझा जाता है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और स्वयंसेवी सगठनों को इस काम में लगाने के लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं और भारत सरकार इन संगठनों को किस प्रकार से वित्तीय सहायता दे रही है।

Shri Raj Narain : Our Government gives assistance to all Voluntary Organisation. If hon. Speaker permits me, I can read out the full statement before the hon. Members.

श्री डी० वी० चन्द्रगौडा : क्या मंत्री महोदय को ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की जानकारी है जिन्हें प्रख्यात व्यक्तित्व वाले तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से जाने-माने डा० मोदी चला रहे हैं और वह न केवल आपरेशन करते हैं बल्कि नेत्र शिविर भी लगाते हैं। मत्री महोदय ने कहा है कि एक डाक्टर को एक दिन में 30 या 40 से अधिक आपरेशन नहीं करने चाहिए। क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि डा० मोदी के शिविर में एक डाक्टर द्वारा लगभग 100 आपरेशन किए जाते हैं? जब एक डाक्टर मोतियाबिन्द के इतने आपरेशन कर सकता है तो इस काम के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन 350 नेत्र चिकित्सक क्यों नहीं लगाये जाते? मंत्री महोदय डा० मोदी की स्वैच्छिक सेवा को क्यों भूल रहे हैं और मोतियाबिन्द रोग के मामले में राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए वह कितनी वित्तीय सहायता देंगे?

Shri Raj Narain : Sir, I assure the hon. member that Government is prepared to give any assistance to Dr. Modi as he desires. The present position is this that he gets money from the organisation with which he is associated. Besides other facitlities he has got a mobile van which is air conditioned. That is why he did not need any help from Government of India. But if at any time he will be in any need, Government of India will gladly extend help to him.

I may point out that our state Minister visited that centre and told Dr. Modi to ask for any help at any time. Our Ministry will be ready to help him.

The figures furnished by the hon. member regarding the operations performed by Dr. Modi undermine him. According to our information Dr. Modi performed some times 400, 500 and even 1000 operations per day.

Shri Vasant Sathe : In one day ?

Shri Raj Narain : Yes, in one day. We got such information. I may also point out that we asked Dr. L.P. Aggrawal of Dr. Rajendra Prasad Centre for Opthelmic Sciences that how Dr. Modi performs operations, because he performs so many operations in one day. That method should be found out, because there is exception of time in this matter. Our Ministry will make every effort to cure any disease whether it is eye disease or leprosy.

Shri Ram Kanwar Berwa : Cataract patients are mostly above the age of 50 years. I want to know whether you have devised any measure to prevent it as is done in the case of small pox.

Shri Raj Narain : Recently a Conference has been convened and the complete memorandum of that Conference is with me and if permitted I can read it. Because the hon. members ask us time and again what leads this disease. The answer is very simple. If the people get good diet, they will not suffer from this disease. It is a basic question that every person should get proper food, house, medical facilities, education etc. During our school time we used to burn lamp for reading our books and the smoke used to affect the eyes. In this way there are different causes of this disease and it is mostly suffered by the people above the age of 50 years.

श्री के० गोपाल: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में नेत्र चिकित्सा शिविरों में लोगों को पशुओं की भांति भरे जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 300 से 400 तक आप्रेशन किए जाते हैं। बात आप्रेशन शीघ्रता से करने की नहीं है, बल्कि किसी भी आप्रेशन के पश्चात् विशेषकर मोतियाबिन्द के आप्रेशन के बाद देखरेख करने की बात अधिक महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि एक बार लोगों, विशेषकर गांव के लोगों का जब आप्रेशन हो जाता है तो फिर उसके पश्चात् उनकी देखभाल नहीं की जाती जिसके परि-

णामस्वरूप कई लोगों की नजर समाप्त हो जाती है। हाल ही में अमरीका से एक गैर-सरकारी दल तथा सोवियत संघ से एक सर्जन हमारे देश में आया। उन्होंने यहां शिविर लगाये, जिसमें उन्होंने नए तरीके अपनाए हैं, क्या सरकार को इस तरह के तरीकों का पता है? मुझे बताया गया है कि सामान्यतः मोतियाबिन्द के आप्रेशन में एक सप्ताह उपचार चलता है। किन्तु नए तरीके के अनुसार यह केवल 24 घन्टों में हो जाता है। रेटिना या किसी अन्य वस्तु को अलग नहीं करना पड़ता। क्या माननीय मंत्री जी हमें बतायेंगे कि इन नेत्र चिकित्सा शिविरों का पर्यवेक्षण सरकारी नियंत्रण में होगा ताकि इनमें किसी प्रकार का कादाचार न हो? दूसरे, क्या सरकार सोवियत संघ के चिकित्सकों द्वारा अपनाये जाने वाले आधुनिकतम तरीकों को अपनाएगी?

Shri Raj Narain : Sir, I want to assure the hon. member that we will try our best to supervise these eye camps.

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में औषधालय और अस्पताल

*810. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री धर्मवीर विशिष्ठ :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में सरकारी औषधालयों एवं अस्पतालों की संख्या कितनी है और कितनी जनसंख्या के पीछे एक अस्पताल अथवा औषधालय है ;

(ख) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अलग-अलग उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसके अधीन भविष्य में इन औषधालयों एवं अस्पतालों से अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) A statement showing the details of the number of Government Hospitals and Dispensaries in Rural and Urban areas with population coverage is laid on the table of the Sabha (Statement).

(b) the percentage distribution of Government Hospitals and Dispensaries in rural and urban areas is as follows :—

	Rural	Urban
Hospitals	21.3	78.7
Dispensaries	75.8	24.2

(c) & (d) As per draft Five Year Plan 1978—83, the hospital beds in urban areas will not be increased except to a very limited extent and where such expansion is strongly justified on grounds of need and priority. The rural areas are covered by a net work of Primary Health Centres and Sub-centres. 400 Primay Health Centres are proposed to be upgraded to 30-bedded hospitals.

We are now paying more attention to the rural areas. The rural population remained neglected during the last 30 years, but now our attention is concentrated on them. We are

opening hospitals in rural areas, whereas in cities, hospitals will be provided only when it is absolutely necessary to do so.

Statement

Distribution of total No. of Government Hospitals and Dispensaries in various States/U.T. with Urban and Rural break-up and population coverage by each Units.

States	No. of Hospitals		Population served by each Hospital (Lakhs)		No. of Dispensaries		Population served by each Dispensary (Lakhs)	
	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban
Andhra Pradesh	82	223	4.64	0.409	543	159	0.701	0.573
Arunachal Prad.	17	..	0.29	..	14	..	0.350	..
Assam	7	53	22.00	0.283	390	21	0.395	0.714
Bihar	*	82	—	0.740	@ 466	*2	1.114	30.400
Gujarat	16	116	13.30	0.716	318	124	0.669	0.670
Haryana	3	57	30.20	0.340	102	54	0.888	0.359
Himachal Prad.	19	21	1.78	0.119	@ 143	10	0.236	0.250
J & K	..	28	40.90	0.332	@ 674	*29	0.071	0.321
Karnataka	29	123	8.31	0.630	176	66	1.370	1.174
Kerala	85	63	2.31	0.605	597	30	0.329	1.270
Madhya Pradesh	41	156	9.41	0.481	492	45	0.785	1.669
Maharashtra	52	344	7.31	0.501	1072	430	0.355	0.400
Manipur	4	7	2.55	0.214	62	3	0.165	0.500
Meghalaya	1	8	9.40	0.200	56	1	0.168	1.600
Nagaland	25	5	0.20	0.100	73	7	0.068	0.071
Orissa	75	115	2.92	0.175	241	51	0.909	0.394
Punjab	10	103	11.20	0.338	340	92	0.324	0.378
Rajasthan	24	141	9.75	0.355	347	257	0.674	0.195
Sikkim	4	1	5.75	..	26	..	0.088	..
Tamil Nadu	64	246	4.87	0.550	254	331	1.227	0.408
Tripura	4	9	3.80	0.200	106	5	0.143	0.360
Uttar Pradesh	59	467	13.81	0.285	766	364	1.064	0.365
West Bengal	60	167	6.10	0.722	266	106	1.378	1.137
Union Territories								
A & N Islands	9	3	0.11	0.100	56	6	0.018	0.050
Chandigarh	..	1	..	2.500	1	14	0.300	0.178
D & N Haveli	1	..	0.80	..	2	..	0.400	..
Delhi	2	34	2.55	1.297	41	200	0.124	0.221
Goa	*	*	*	*	*	*	*	*
Lakshadweep	2	..	0.20		..	..	..	..
Mizoram	1	2	..	..	25	..	..	..
Pondicherry	..	8	..	0.275	19	3	0.158	0.733
	696	2583	6.88	0.463	7568	2410	0.632	0.496

*Not available.

@The agencies wise break-up in respect of Gujarat, Himachal Pradesh and J & K is not available.

Shri Rajendera Kumar Sharma : The Minister has himself accepted that there were inadequate medical facilities in rural areas uptil now. The figures furnished by the Minister in respect of Uttar Pradesh show that there are 15 per cent hospitals in rural areas whereas in urban areas there are 85 per cent hospitals. He has accepted this ratio. I want to know what steps are being taken to increase the number of hospitals in rural areas ? At the same time he said that there are two-third of the total number of dispansaries in rural areas, whereas one third are in urban areas. According to him the dispansaries are only 25 per cent. What steps are going to be taken to reduce this gap ?

Shri Raj Narain : Sir, I had given detailed information in my budget speech in this regard, just a minute back I stated that there is a large number of Health Centres and sub-Centres in rural areas. There is a proposal to provide 30 beds in 400 Primary Health Centres. In other words we can say that 400 Primary Health Centres are going to be converted into hospitals. These hospitals will be opened in rural areas and not in urban areas.

Shri Rajendera Kumar Sharma : I want to know whether the Minister is aware of the fact that in some dispensaries there were no doctors, while in some other dispensaries there were no medicines and for some dispensaries there were no buildings during the last 30 years. At a number of places the dispensaries were just for name state. What steps are being taken to give them practical shape.

I would like to know whether the patients from rural areas who come to All India Instititue of Medical Sciences for treatment will be admitted there easily and all medical facilities will be provided to them ? Because the local dispensaries same times fail to improve their condition.

Shri Raj Narain : I am thankful to the hon. member for asking this question. We place our politics before the hon. members when they ask questions time and again. We have deployed public Health visitors in rural areas. We are going to supply medicines worth rupees one lakh to each Primary Health Centre. I urge upon the hon. members to visit their constituencies and see that the selection of public Health visitors has been proper and they are distributing medicines properly. The members should apprise the Government of their work only then this scheme will be successful.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सहायता अनुदान योजना

*801. **श्री बाला साहिब विखे पाटिश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में ऐच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) क्या सरकार का विचार सहायता अनुदान योजना का पुनर्गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनायाण) : (क) 1,52,50,966.00 रुपये

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चालू योजनावधि में डाक सुविधायें प्राप्त करने वाले गांव

*802. **श्री रेणुपद दास**: क्या **संचार** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान कितने गांवों को डाक-सुविधायें उपलब्ध कराई गईं ;

(ख) क्या योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) नई योजना 1-4-1978 से शुरू हुई है। पांचवीं योजना (1974-75 से 1977-78 तक) से संबंधित जानकारी सभा-पटल पर रखी जाती है ।

(ख) वर्ष 1974-75 को छोड़ कर बाकी वर्षों में डाकघर खोलने के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे।

(ग) वर्ष 1974-75 में वित्तीय कठिनाई के कारण सामान्य देहाती इलाक़ों में डाकघर खोलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था।

विवरण

(1). देहाती इलाकों में डाकघर खोलना और उनका दर्जा बढ़ाना

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	डाकघर खोलना	डाकघरों का दर्जा बढ़ाना	खोले गए डाकघर	जिन डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया उनकी सं०
1974-75	1500 (दर्जा बढ़ाए गए डाकघरों सहित)		414	174*
1975-76	1000	वही	1048	325*
1976-77	2028	210	2028	212
1977-78	3100	200	3297	228

*इसमें देहाती और शहरी इलाकों में डाकघरों का दर्जा बढ़ाना भी शामिल है।

(2). देहाती इलाकों में चलते फिरते डाकघरों में डाक काउंटर सुविधा देना

वर्ष	चलते फिलते डाकघरों के जरिए जिन गांवों में डाक सेवा दी गई है उनकी संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1977-78	50,000	66,087

खनिजों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वेक्षण

*805. **श्री जगन्नाथ शर्मा :**
डा० मुरली मनोहर जोशी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) (क) जी हां।

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा तथा राज्य सरकार के भूतत्व और खनन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप जिन महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का अनुमान लगाया गया है वे हैं--पिथोरागढ़, नैनीताल, देहरादून, टिहरी-गढ़वाल, अलमोड़ा तथा चमोली जिलों में 5520 लाख टन चूना पत्थर; टिहरी-गढ़वाल और देहरादून जिलों में 1020 लाख टन डोलोमाइट; पिथोरागढ़ जिले में तांबा--सीसा--जस्ता अयस्क (औसत धातु तत्व 8.9 प्रतिशत) के 10 लाख टन से कम भंडार; अलमोड़ा, पिथोरागढ़ और चमोली जिलों में 590 लाख टन मेगनेसाइट तथा देहरादून और टिहरी-गढ़वाल जिलों में 180 लाख टन राक-फास्फेट भंडार/अन्य खनिजों जैसे जिप्सम, सोपस्टोन, कांच रेत तथा इमारती पत्थर आदि होने का भी पता चला है।

इस्पात के लिए परियोजनाएं

*807. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस्पात कारखानों की (राज्यवार) संख्या कितनी है और उनकी निर्धारित क्षमता क्या है ;

(ख) देश में इस समय इस्पात की कितनी मांग है ;

(ग) आगामी दस वर्षों के लिए अनमानित मांग क्या होगी; और

(घ) यह मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यक्रम और योजना है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) इस समय छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने हैं, पांच सरकारी क्षेत्र में और एक निजी क्षेत्र में, जिनकी सूची नीचे दी गई है:--

निर्धारित क्षमता (हजार टन)

नाम	कहां स्थित है	इस्पात पिण्ड	विक्रय इस्पात
सरकारी क्षेत्र :			
भिलाई इस्पात कारखाना	मध्य प्रदेश	2500	1965
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	पश्चिम बंगाल	1600	1239
राउरकेला इस्पात कारखाना	उड़ीसा	1800	1225
बोकारो इस्पात कारखाना	बिहार	1700*	1355
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	पश्चिम बंगाल	1000	800
निजी क्षेत्र :			
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	बिहार	2000	1500
	जोड़	10,600	8,084

(*आशा है वर्ष 1978-79 में इस्पात पिण्ड की क्षमता 25 लाख टन हो जायेगी)

इसके अलावा निजी क्षेत्र में लाइसेंसीकृत 145 विद्युत चाप भट्टी इकाइयां हैं जो सारे देश में बिखरी हुई हैं। इनकी वार्षिक क्षमता लगभग 33 लाख टन इस्पात पिण्ड तैयार करने की है।

(ख) ये अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1977-78 में साधारण इस्पात की मांग 69.4 लाख टन विक्रय इस्पात की होगी।

(ग) अनुमान है कि 1982-83 में साधारण इस्पात की मांग बढ़कर 109 लाख टन विक्रय इस्पात और 1987-88 तक 154 लाख टन विक्रय इस्पात की हो जायेगी।

(घ) दीर्घावधि आधार पर मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विचार किया जा रहा है :--

1. क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करके वर्तमान इस्पात कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करना;
2. भिलाई और बोकारो प्रत्येक की क्षमता का 40 लाख टन इस्पात पिण्ड के विस्तार कार्यक्रमों को पूरा करना;
3. इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करना तथा उनमें प्रतिस्थापन और प्रोद्योगिक सुधार करना;
4. बोकारो का 55 लाख टन चरण तक विस्तार करना;
5. "उत्पादन प्रतिपूर्ति" आधार पर अथवा ऋण के अधीन 10 लाख टन विक्रय कच्चे लोहे की वार्षिक क्षमता की बन्दरगाह पर निर्यातोन्मुख एक धमन भट्टी कम्प्लेक्स की स्थापना।

पूर्ण सवर्तोमुखी इस्पात कारखाना लगाने का यह प्रथम चरण होगा। बन्दरगाह पर कारखाने लगाने के इसी प्रकार के प्रस्तावों पर भी सरकार ध्यान दे रही है।

6. राउरकेला में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियन्टिड/कोल्ड रोल्ड नान-ग्रेन ओरिएन्टिड इस्पात की चादरों का कारखाना लगाना;

7. बेदाग इस्पात की ठंडी बेलित चादरों/पत्तियों के उत्पादन के लिए सेलम स्टील लि० का प्रथम चरण चालू करना;

8. दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने में पिघलाने की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करके वर्तमान पिण्ड क्षमता को 100,000 टन मिश्र इस्पात पिण्ड से बढ़ाकर 160,000 टन पिण्ड करना; और

9. इस्पात कारखानों में अधिक उत्पादिता सुनिश्चित करने के लिए अनुसन्धान और विकास परियोजनाओं पर अधिक जोर देना।

अंधता संबंधी गोष्ठी

*811. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देशभर में नेत्रहीन व्यक्तियों की (राज्यवार) संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या इस विषय पर नई दिल्ली में मार्च, 1978 के तीसरे सप्ताह में एक गोष्ठी हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इस गोष्ठी में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) कोई राज्यवार सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(घ) अधिकांश सिफारिशें कुछ हद तक राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से ही लागू की जा रही हैं। फिर भी इन सिफारिशों की जांच की जा रही है और वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जिस हद तक आवश्यक समझा गया राष्ट्रीय कार्यक्रम के समग्र ढांचे के भीतर ही इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण

भाग (ग)

इलाज हो सकने योग्य अंधे व्यक्तियों को आँखों की ज्योति लौटाने के बारे में, नई दिल्ली में मार्च के तीसरे सप्ताह हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय सेमीनार ने निम्नलिखित उपाय सुझाये :

1. ठीक हो सकने योग्य अंधेपन की समस्या की व्यापकता का निर्धारण

(क) ठीक हो सकने योग्य अंधे व्यक्तियों की जिनमें स्थायी रूप से अंधे हो गए व्यक्ति भी शामिल हैं, संख्या के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए आँकड़े एकत्र किए जाने चाहिए।

(ख) लोगों में अंधेपन की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय करने के लिए रोग का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए ।

(ग) इस क्षेत्र के देशों में परस्पर जानकारी और कौशल का आदान-प्रदान करने और अनुसंधान कार्य की प्रगति के लिए एक सूचना प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

2. ठीक हो सकने योग्य अंधे व्यक्तियों की ज्योति लौटाने के लिए

(i) मोतियाबिन्द :—जिन अंधे व्यक्तियों का इलाज हो सकता है उनकी आँखों की ज्योति लौटाने के लिए तात्कालिक कार्यक्रम अथवा तत्काल कार्य शुरु किए जाने चाहिए तथा मोतियाबिन्द के जिन रोगियों का पहले इलाज नहीं किया जा सका है उनका इलाज प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए यह कार्य त्वरित कार्यक्रम के रूप में किया जाना चाहिए और/अथवा इतनी बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों का सामुदायिक स्तर पर इलाज करने के लिए मौजूदा सेवाओं की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।

(ख) इसके साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आँखों के इलाज की व्यवस्था करने के लिए स्थायी रूप से केन्द्र खोलने तथा मध्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर नेत्र उपचार संबंधी सेवाओं की व्यापक व्यवस्था करने के उपाय किये जाने चाहिए।

(ग) तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए कार्यक्रमों में स्थानीय रूप से उपलब्ध चिकित्सकों तथा सहयक कर्मिकों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए और उनकी योग्यता के अनुरूप उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेत्र उपचार का यह कार्य उन्हीं चिकित्सकों को सौंपा जाना चाहिए जिन्होंने इस उपचार पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(घ) मोतियाबिन्द के कारण अन्धे हुए व्यक्तियों के इलाज का अब तक का बाकी काम समाप्त किया जा सकता है अथवा नहीं इसकी जाँच की जानी चाहिए और इसके सुनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में मार्गदर्शी प्रदर्शन परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए ।

(ii) कोर्नियल से सम्बन्धित अन्धापन:— (क) स्वास्थ्य शिक्षा में कुपोषण, परजीवियों, संक्रमणों और क्षतियों के कारण हो गए कोर्नियल अन्धेपन की रोकथाम और इलाज के बारे में जानकारी देने की प्रथमिकता दी जानी चाहिए।

(ख) सामुदायिक स्तर पर नेत्र-सुरक्षा के लिए प्राथमिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि आँखों के प्रति, विशेषकर संक्रमण और पोषण के बारे में, बरती गई लापरवाही के कारण आँखों को क्षति न पहुंच सके।

(ग) चूंकि कोर्नियल ग्राफ्टिंग के लिए अच्छी अस्पताली सुविधाओं तथा सुप्रशिक्षित स्टाफ आदि की जरूरत होती है, इसलिए रोगी को ऐसी संस्थाओं में भेजा जाना चाहिए जिनमें अनुकूलतम देखरेख तथा प्रबन्ध और आँखों के अनुवर्ती इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हों।

(घ) कोर्नियल ग्राफ्टिंग के लिए नेत्र एकत्र करने हैं, उन्हें स्टोर करने और दान में प्राप्त हुए नेत्रों के लाने ले जाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

(ङ) राष्ट्रीय क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंकों को अपने-अपने कार्य में परस्पर तालमेल बैठाना चाहिए ताकि नेत्र बैंकों को दान में मिले नेत्रों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। ये नेत्र मुफ्त दिए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स नेत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुफ्त ले जाती है। एयरलाइन्स के स्टाफ द्वारा नेत्रों को संभालने के शुल्क फ्री कस्टम क्लीयरेन्स सम्बन्धी कार्यों को सरल बनाया जाय ताकि नेत्र दान में विलम्ब न हो और उस पर कोई अतिरिक्त खर्च न करना पड़े।

इस प्रकार प्राप्त किये नेत्रों का कोर्नियल ग्राफ्टिंग में उपयोग किया जाना चाहिए और नेत्र लगाये जाने वाले व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए।

(घ) जहाँ कहीं और जब कभी आवश्यक हो इसके बारे में कानून बनाए जाने चाहिए।

(iii) पोस्टीरियर सेगमेंट ब्लाइंडनेस : (क) नेत्र रोगों का पता लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोग पूर्णतः अंधेपन के शिकार न बन जाएं। निधान और उपचार की सुविधाओं के अतिरिक्त लोगों को इस बात की भी जानकारी दी जानी चाहिए कि वे अपने नेत्रों का आरम्भ में ही इलाज करवा लें और बाद में वे अपनी आँखों का इलाज निरंतर जारी रखें।

(ख) नेत्र के पोस्टीरियर की विक्षतियों के इलाज के क्षेत्र में हाल ही में जो नये काम हुए हैं उनकी सूचना नेत्र चिकित्सकों आदि को दे दी जानी चाहिए और पोस्टीरियर सेगमेंट की खराबियों को ठीक करने के लिए नई-नई सेवाओं के विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(ग) पोस्टीरियर सेगमेंट ब्लाइण्डनेस के जिन रोगियों को आगे बड़े अस्पतालों में जाने की जरूरत होती है उनके लिए उपयुक्त स्थानों पर स्थित खास-खास अस्पतालों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि ये अस्पताल इन रोगियों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान कर सकें।

3. समाजोन्मुखी नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की योजना

(1) योजना:— समाज-प्रधान नेत्र उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए और यह कार्य वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं के साथ विभिन्न स्तरों पर एकीकृत होना चाहिए। ऐसी योजना में तात्कालिक मध्यावधि तथा दीर्घावधि उद्देश्यों, दृष्टिकोणों, क्रियाकलापों, लक्ष्यों, संसाधनों, प्रबोधन और मूल्यांकन आदि की बातें विस्तार से दी हुई होनी चाहिए।

(2) प्रशिक्षण:—(क) समाजोन्मुखी नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य तथा तत्सम्बन्धी कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं को उन गैर-तकनीकी सेवाएं सुलभ कराने का प्रशिक्षण देना होगा जो लोगों में जागृति पैदा करने, स्वास्थ्य शिक्षा देने, धन संचित करने के लिए तथा सामूहिक नेत्र शिविरों के आयोजन एवं सहायता के लिए अपेक्षित हैं। इनमें ऐसी अन्य सेवाएं भी शामिल हैं जिनकी स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को आवश्यकता होती है।

(ख) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्मिकों की पाठ्यचर्या को मजबूत बनाया जाना चाहिए और उनमें बन्धता निवारण और उपचार के उपरान्त अन्धे व्यक्तियों की नेत्र ज्योति बहाल करने की संकल्पनाएं भी शामिल कर दी जाएं। जहां कहीं संभव हो इन प्रशिक्षणार्थियों को इन्टर्नशिप, रेजीडेंसी और स्नातकोत्तर अध्ययन के समय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।

(ग) सामाजिक कार्यकर्ताओं गैर-तकनीकी स्वयंसेवकों, नर्सों और कार्य चिकित्सकों को जनरल प्रैक्टिस के संबंध में सेवाकालीन प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिए ;

(घ) देशों की कुछ संस्थाओं को चुना जाए या खोला जाए जिससे कि वे उन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने में साज-सामान से लैस और उपयुक्त स्टाफ वाले राष्ट्रीय संस्थानों का काम कर सकें जिनकी समाजोन्मखी नेत्रविज्ञान में प्रशिक्षण देने और अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

(ङ) उपचार से ठीक हो सकने वाले अंधों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था और अनुसंधान कार्य कैसे हो, इन तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(च) विद्वानों और अनुसंधाताओं के क्षेत्रीय आदान-प्रदान की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं और विकासशील देशों द्वारा पारस्परिक तकनीकी सहयोग से आदान-प्रदान के ऐसे अवसरों की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए ।

(iii) स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक शिक्षा (क) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में चलाया जाना चाहिए और उसमें नेत्र स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । लोगों को अपनी देखरेख स्वयं करने के लक्ष्य का भी उसमें समावेश होना चाहिए।

(ख) सभी स्वास्थ्य और तत्संबंधित कार्मिकों, सामुदायिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्कूल-अध्यापकों, विभिन्न व्यवसायों के संगठित क्षेत्रों के प्रबन्धकों और समाज के अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में नेत्र स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी विषयों को शामिल किया जाना चाहिए ।

(ग) नेत्र स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रचार-साधनों को खोज निकालना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ सामाजिक और सांस्कृतिक नेताओं के साथ-साथ समाज में उपलब्ध अन्य संसाधनों को भी ध्यान में रखा जाए ।

(iv) चिकित्सा से ठीक हो सकने वाले अंधों की नेत्र ज्योति बहाली कार्यक्रम के लिए संसाधन

(क) साधनों को जुटाने के लिए दानियों को सुपरिभाषित उद्देश्य बताए जाएं । धन लगातार मिलता रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध साधनों के उपयोग के बारे में समय-समय पर जानकारी लेते रहना और हिसाब-किताब रखना जरूरी है । इसमें लेखों के वार्षिक विवरण की व्यवस्था करना भी शामिल है । प्रस्तावित कार्यक्रम का बजट तैयार करते समय बढ़ती हुई लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

(ख) प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए सामुदायिक साधनों को जुटाना और योजना बनाने के लिए सरकारी साधनों को उपलब्ध करना पहला कदम होना चाहिए । इसके पश्चात् द्विपक्षी, अन्तर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी साधनों से मिल सकने वाली सहायता का पता लगाया जाना चाहिए ।

(ग) साधनों को जुटाने के काम का समन्वय राष्ट्रीय स्तर के तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(घ) प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

(ङ) इस क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच परस्पर तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम से और यदि आवश्यक हो तो अन्य साधनों के माध्यम से कार्मिक, सप्लाइयों और उपकरणों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

श्रम ब्यूरो का स्थानान्तरण

*812. **श्री बसन्त साठे:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे:

(क) क्या शिमला और चंडीगढ़ से श्रम ब्यूरो को किसी केन्द्रस्थ स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो मामला किस स्तर पर विचाराधीन है ;

(ग) श्रम ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्यकुशलता की दृष्टि से सुदृढ़ करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) वर्ष 1978-79 के लिए श्रम ब्यूरो को कौन सी नयी योजनाएं सौंपी गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं। अगस्त, 1971 में श्रम ब्यूरो का एक भाग शिमला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित किया गया था। ब्यूरो के शेष भाग को भी चंडीगढ़ स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यात्मक दक्षता को सुदृढ़ करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(घ) पिछले वर्ष से जारी योजनाओं के अतिरिक्त , 1978-79 के दौरान निम्नलिखित नई योजनाएं आरम्भ करने का विचार है : --

(1) बीड़ी, टाइल्स तथा ईंटों, जूरी आदि की तरह के कुछ असंगठित उद्योगों में श्रम स्थितियों का सर्वेक्षण।

(2) बागान उद्योगों में महिला श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक दशाएं ।

(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के मजदूरों के रहन-सहन और कार्य की दशाओं का सर्वेक्षण ।

(4) निर्दिष्ट प्रकार के गाँवों में ग्रामीण मजदूरों की दशाओं का गहन अध्ययन ।

(5) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अधीन श्रम सांख्यिकीय का संकलन--नमूना सर्वेक्षण।

(6) मशीन टेबुलेशन एकक का आधुनिकीकरण ।

चासनाला की घटना और कोयला खानों में अशांति

*813. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान चासनाला, धनबाद में 28 जनवरी, 1978 की घटना और उसके परिणामस्वरूप कोयला खानों में उत्पन्न अशाँति की ओर दिलाया गया है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात और खान मंत्री ने अपनी चासनाला की हाल ही की यात्रा के दौरान बिहार कोयला खान कामगार यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया था कि वह सारी दुर्घटना की विस्तृत जाँच करेंगे ; और

(ग) यदि हाँ, तो वह जाँच कब की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हाँ । 28-1-1978 को चासनाला में एक घटना हुई थी । पता चला है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की चासनाला खान के पास कामगार के दो दलों में झगड़ा हो जाने से गोली चली थीं और एक व्यक्ति मारा गया था तथा कई व्यक्ति घायल हुए थे ।

(ख) और (ग) मैंने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि पुलिस की जाँच का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये ।

जावर खानों के विसर्जित जल का टीडी नदी में गिरना

*814. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर (राजस्थान) में जावर खानों के विसर्जित जल (टेलिंग वाटर) को स्वास्थ्य के लिए हानिकर होने के बावजूद टीडी नदी में गिरने दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पानी को सिंचाई के काम में लाये जाने के कारण वहाँ खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है;

(ग) क्या वहाँ बनाये जा रहे नये टेलिंग बाँध में इस जल को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(घ) क्या इस पानी को पीने वाले पशु पानी के साथ सोडियम साइनाइड नहीं पी रहे हैं जो एक जहर है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) यह सच है कि टेलिंग बाँध से निथारा हुआ जल टीडी नदी में डाला जाता है, परन्तु इस प्रकार डाला गया जल स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है । अपशिष्ट जल सम्बन्धी विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है ।

(ख) जी नहीं । नदी में डाले गए इस जल से भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि मार्च से जून के दौरान नदी में जल का प्रवाह बहुत कम रहता है, इसलिए सिंचाई के लिए कोई गुजाँइश नहीं होती है ।

(ग) एक नए टेलिंग बाँध, जिसका इस समय निर्माण हो रहा है, के 1979 के मध्य तक बन जाने पर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अपशिष्ट जल नदी में नहीं डाला जाए ।

(घ) नदी में डाले जा रहे जल में किसी प्रकार का सोडियम साइनाइड नहीं है ।

विवरण

ब्यौरा	जून 77	जुलाई 77	अगस्त 77	दिसम्बर 77	जनवरी 77	फरवरी 78		जल दूषण, रोक और नियंत्रण संबंधी राजस्थान बोर्ड, जयपुर के भा०मा०-2490 पार्ट-1 1974 द्वारा निर्धारित सीमाएं
						पुराना बाँध	नया बाँध	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पी एच	8.7	9.0	8.8	8.0	8.2	7.8	8.0	5.5--9.0
2. रंग	सफेद टरविड	सफेद टरविड	सफेद टरविड	सफेद टरविड		टरविड	साफ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. फेनोलफलिन आलकेलिनिटी					शून्य	शून्य	शून्य	
4. मिथले आरेन्ज अल-कोलिनिटी					158	212	152	
5. कुल कठोरता					297	385	254	
6. कैलसियम कठोरता					155	280	168	
7. एम जी कठोरता					142	105	86	
8. सल्फेट्स					144	148	44	
9. क्लोराइड्स					63	73	45	
10. कुल ठोस		..			676		524	
11. ससपेंडिड सोलिड्स	62 पी पी एम	60	70	85	78		46	100 पी पी एम
12. डिजोल्वड सोलिड्स			..	..	598	524	478	
13. साइनाइड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.2
14. एक्सथेट्स		..		..	शून्य	शून्य	शून्य	
15. जस्ता	0.62	0.83	0.70	0.65	3.5	3.2	3.2	5.0
16. सीसा	0.065	0.066	0.048	0.05	0.09	0.10	0.09	0.10
17. लोहा	0.18	0.12	0.20	0.20	0.3	0.3	0.25	0.30
18. तांबा	0.06	0.058	0.055	0.05	टी आर	टी आर	टी आर	3.0
19. अवशिष्ट क्लोरीन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.0
20. देमो	32°सी	32°सी	29°सी	26°सी				40°सी

जापान द्वारा लौह अयस्क के आयात में कटौती और श्रमिकों की जबरन छुट्टी

*815. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री जापान द्वारा लौह अयस्क के आयात में कमी किये जाने के बारे में 16 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार जापान को कितने मूल्य का और कितना लौह अयस्क भारत से निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में कितना निर्यात होने का अनुमान है;

(ग) जापान द्वारा भारत से मंगाये जाने वाले लौह अयस्क में कमी किये जाने से कितने लौह अयस्क श्रमिकों को जबरन छुट्टी दिये जाने की आशंका है।

(घ) जबरन छुट्टी किये गये श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये यदि कोई व्यवस्था की गई है, तो वह क्या है ; और

(ङ) हमारे लौह अयस्क के लिए कोई अन्य ग्राहक खोजने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक)

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों में जापान को निर्यात किए गए भारतीय लौह अयस्क की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है :--

वर्ष	मात्रा मिलियन टनों में और मूल्य करोड़ रुपयों में है	
	मात्रा	मूल्य
1974-75 .	16.13	114.02
1975-76 .	17.18	154.31
1976-77 . . .	17.77	178.15

(ख) वर्ष 1977-78 में जापान को लगभग 16.34 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात किया गया है और आशा है कि वर्ष 1978-79 में भी लौह अयस्क को इतनी ही मात्रा का निर्यात किया जायेगा जब तक कि जापान में इस्पात के उत्पादन में और अधिक गिरावट न आ जाए।

(ग) इस बात को देखते हुए कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास लौह अयस्क का काफी अधिक भंडार है, हाल में कुछ अतिरिक्त परियोजनाएं चालू की गई हैं, वर्ष 1978-79 में जापान को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है और विश्व में इस्पात उद्योग में अत्यधिक मंदी है, लौह अयस्क निकालने वाले कुछ मजदूरों को जबरी छुट्टी को जाने की आशंका है। जिन मजदूरों की जबरी छुट्टी करनी पड़ेगी उनकी ठीक ठीक संख्या अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर निर्भर करेगी कि जापान तथा अन्य देशों को वास्तव में कितना माल भेजा जाता है।

(घ) सरकार ने ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सभी उपाय शुरू किए हैं जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें विश्व में इस्पात उद्योग में आई मन्दी के कारण जिससे लौह अयस्क के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है, लौह अयस्क की खानों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक भी हैं जिनको जबरी छुट्टी करनी पड़ेगी ताकि उनको दूसरा रोजगार मिल सके ।

(ङ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम जापान के अलावा अन्य देशों में लौह अयस्क के लिए अतिरिक्त बाजारों की भी खोज कर रही है परन्तु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।

नेताजी के सम्मान में विशेष डाक टिकट

*816. **श्री समर गुह**: क्या **संचार** मंत्री विशेष डाक टिकट के बारे में 23 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4201 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्ट्रल हाल में नेताजी के चित्र की स्थापना की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी करने के संबंध में आने वाली कठिनाइयों संबंधी तथ्य क्या है; और

(ख) क्या टिकटों की पांचवीं पारिभाषिक श्रृंखला 27 मई, 1976 को जारी की गई थी, यदि हां, तो क्या नेताजी के सम्मान में इसी प्रकार के डाक टिकट जारी किये जायेंगे और क्या नेताजी के सम्मान में नये डाक टिकट पुनः जारी करने के प्रश्न पर फिर से विचार किया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) ऐसे डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव फिलैटली सलाहकार समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रख दिया जाएगा।

पारपत्र आवेदन पत्रों पर संसद् सदस्यों द्वारा प्रमाणीकरण

*817. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारपत्र आवेदन पत्रों पर संसद् सदस्यों द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने की पद्धति को समाप्त करने का सुझाव देते हुए क्या एक या अनेक संसद् सदस्यों से सरकार को कोई **पत्र** प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे पारपत्र आवेदन पत्रों पर विधान सभा सदस्यों को भी हस्ताक्षर करने का अधिकार देकर प्रमाणीकरण (संसद् सदस्य द्वारा) करने की वर्तमान पद्धति का और आगे विस्तार करने एवं उसे व्यापक बनाने का है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष अगस्त में अपनाई गई उदार क्रियाविधि की अगस्त, 1978 में समीक्षा करते समय माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) विधान सभा सदस्यों को पासपोर्ट आवेदनों पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Post Offices housed in Rented Buildings and Expenditure thereon.

†*818 **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to lay a statement :

(a) the number of post offices in the country housed in the rented buildings and the annual amount of expenditure being incurred on account of their rent and the number of post offices housed in Government buildings;

(b) whether Government propose to purchase land for housing these post offices in future; and

(c) if so, the amount allocated for the purpose in 1978-79 ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) 19061 Post Offices are at present functioning in rented buildings for which the department is paying Rs.3.45 crores annually as rent. 2,431 Post Offices are functioning in departmental buildings.

(b) It is proposed to purchase land for important Post Offices in a phased manner.

(c) Rs. 25 lakhs.

Non-Availability of new Telephone Directories of States at Special Services of Delhi Telephones

†*819. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the new telephone directories of the States are not available with the special services of the Delhi Telephones such as "183" and Directories of 1975 are only available with the operators there;

(b) Whether even after formation of new Governments in the States, the operators give 3 years old telephone numbers; and

(c) if so, the reasons for such irregularity and the full details in this regard ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) '183' Positions in Delhi Telephones have been supplied with the current issues of telephone directories in most cases. Arrangement is being made to obtain the issues of the remaining directories.

(b) and (c) Yes. This is so, for those stations for which the available directory itself is 3 years old.

उन देशों के नाम जहां भारतीय राष्ट्रिक पासपोर्ट और वीसा के बिना जा सकते हैं

*820. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय राष्ट्रिकों को किन देशों में पर्यटक के रूप में जाने के लिये पासपोर्ट अथवा वीसा लेने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) क्या भारत का विचार कुछ और पड़ोसि देशों के मामले में इन औपचारिकताओं को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में हुई बातचीत के तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुन्डू: (क) पर्यटक के रूप में नेपाल और भूटान जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को पासपोर्ट अथवा वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। अन्य सभी देशों की यात्रा करने के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को पासपोर्ट लेने की आवश्यकता होती है।

सदन की मंज़ पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें उन देशों के नाम दिये गये हैं। जिनमें पर्यटकों के रूप में जाने के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पर्यटक के रूप में विदेश जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के लिए वीज़ा की आवश्कता से सम्बद्ध विवरण।

(क) **राष्ट्रमंडलीय देश :**

(i) उन राष्ट्रमंडलीय देशों की सूची जिसमें भारतीय पर्यटकों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं :—

1. बोत्स्वाना
2. कनाडा
3. फिजी

4. गुयाना
5. जमैका
6. कीनिया
7. मलेयशिया, (बशर्ते कि वे डेक यात्री के रूप में यात्रा न करें और उनके पास हवाई/समुद्री जहाज की वापसी टिकट हो।)
8. मारिशस
9. मलावी
10. लेसोथो
11. न्यूजीलैण्ड
12. नाइजिरिया
13. सेशेल्स
14. सिंगापुर (दो सप्ताह तक)
15. तंजानिया
16. ट्रिनिडाड एवं टोबागो
17. जाम्बिया

(ii) उन राष्ट्रमंडलीय देशों की सूची जिनको यात्रा करने के लिए भारतीय पर्यटकों को वीज़ा की आवश्यकता होती है लेकिन जो निःशुल्क जारी किए जाते हैं :—

1. आस्ट्रेलिया
2. हांगकांग

(ख) **गैर-राष्ट्र मंडलीय** देश :

(i) उन गैर-राष्ट्रमंडलीय देशों की सूची जिनके लिए भारतीय पर्यटकों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है :—

1. चिली
2. आयरलैण्ड
3. माल्दीव

(ii) उन गैर-राष्ट्रमंडलीय देशों की सूची जिनकी यात्रा करने के लिए भारतीय पर्यटकों को इन देशों के बीच सम्पन्न वीज़ा समाप्ति करारों के कारण वीज़ा की आवश्यकता नहीं है :—

1. बल्गारिया
2. डेन्मार्क
3. जर्मन संघीय गणराज्य
4. फिनलैण्ड
5. आइसलैण्ड
6. नार्वे
7. स्वीडन
8. यूगोस्लाविया

(iii) उन गैर-राष्ट्रमंडलीय देशों की सूची जिनकी यात्रा करने के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा प्राप्त करना पड़ता है परन्तु उन्हें इन देशों के बीच सम्पन्न वीजा शुल्क समाप्ति करारों के कारण वीजा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं :—

1. अफगानिस्तान
2. अर्जन्तीना
3. चेकोस्लोवाकिया
4. यूनान
5. हंगरी
6. ईरान
7. मंगोलिया
8. पोलैण्ड
9. रूमानिया
10. सान मारिना
11. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ
12. ऊरूवे।

देशों का समूह

7520. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'ग्रुप आफ 77' के रूप में जाने वाले देशों में समूह की उत्पत्ति क्या है, और इस ग्रुप के कृत्य क्या हैं;

(ख) तीसरे विश्व के देशों की शब्दावली से सरकार का क्या अभिप्राय है और इस शब्दावली की उत्पत्ति क्या हैं; और

(ग) ऐसे देशों के नाम क्या हैं जो 'ग्रुप आफ 77' के सदस्य हैं और तीसरे विश्व के देशों में किन-किन देशों में शामिल किया जाता है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुंडू): (क) सर्वप्रथम ग्रुप 77 की स्थापना अंकटाड (व्यापार एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) संदर्भ में की गई थी। 77 विकासशील राष्ट्रों की संयुक्त घोषणा को 1964 के प्रथम अंकटाड सम्मेलन के अन्तिम अधिनियम के अनुबन्ध के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद से विउपनिवेश की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नये स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के आविर्भाव से ग्रुप 77 के सदस्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। परन्तु ग्रुप का नाम इसकी प्रारम्भिक सदस्य संख्या के आधार पर अब भी बना हुआ है। ग्रुप 77 का प्रारम्भिक कार्य उन समस्याओं के प्रति विकासशील देशों के संयुक्त दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह ग्रुप अब अंकटाड के संदर्भ में जेनेवा में और आर्थिक मामलों से सम्बद्ध से संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति के संदर्भ में न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सक्रिय रूप से कार्य करता है।

(ख) सबसे पहले 1955 में हुए अफ्रो-एशियाई सम्मेलन में शब्दावली "तीसरे विश्व" का प्रयोग फ्रांस द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने हमेशा विकासशील देशों को "तीसरे विश्व" की संज्ञा को अयथार्थ बताया है। "तीसरे विश्व के देश" शब्दावली का वास्तविक अर्थ विकासशील देशों से हैं और भारत

सरकार ने निरन्तर विकासशील देशों को विकासशील देश या संयुक्त राष्ट्र में प्रचलित शब्दावली में ग्रुप 77 कहना ही पसन्द किया है। क्योंकि हम विश्व को तीन अलग-अलग विश्वों में विभाजित करने की स्थिति को स्वीकार नहीं करते जो कि "तीसरे विश्व" शब्दावली में निहित है।

(ग) इनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

विवरण

ग्रुप 77 के सदस्य

अफगानिस्तान
अल्जीरिया
अंगोला
अर्जन्तीना
बहामास
बहरीन
बंगलादेश
बारबडोस
बेनिन
भूटान
बोलिविया
बोतस्वाना
ब्राजील
बर्मा
बुरुंडी
केप वर्डी
मध्य अफ्रीकी गणराज्य
छाड
चिली
कोलम्बिया
कोमोरोस
कोंगो
होन्दूरस
भारत
इन्डोनेशिया
ईरान
कोस्टा रिका
क्यूबा
साइप्रस
प्रजातांत्रिक कम्पूची
कोरिया जनतांत्रिक लोक गणराज्य
प्रजातांत्रिक यमन
डोमिनिकन गणराज्य
इक्वाडोर
मिस्र
अल-साल्वदोर
इक्वाटोरियल गिनी
इथोपिया
फिजो
गेबोन
गेम्बिया
घाना
ग्रेनाडा
ग्वातेमाला
गिनी
गिनी-बिसाऊ
गुयाना
हैती
निकारागुआ
नाइजर
नाइजीरिया
ओमान

इराक
आइवरी कोस्ट
जमैका
जोर्डन
कीनिया
कुवैत
लाओ जनतांत्रिक लोक गणराज्य
लेबनान
लेसोथो
लाइबेरिया
लिबियाई अरब गणराज्य
मडागास्कर
मलावी
मलयेशिया
माल्दीव
माली
माल्टा
मारितानिया
मारिशस
मेक्सिको
मोराको
मोजाम्बीक
नेपाल
सीरियाई अरब गणराज्य
थाईलैण्ड
टोगा
ट्रिनिडाड एवं टोबागों
ट्यूनिसिया
उगांडा
संयुक्त अरब अमीरात
कैमरुन संयुक्त गणराज्य
पाकिस्तान
फिलस्तीनी मुक्ति संगठन
पनामा
पपुआ न्यूगिनी
पेराग्वे
पेरु
फिलीपीन्स
कतार
कोरिया गणराज्य
रुमानिया
रुआन्डा
साओ तोमे और प्रिन्सिपी
साउदी अरब
सेनेगल
सेशेल्स
सियारा लिओन
सिंगापुर
वियतनाम समाजवादी गणराज्य
सोमालिया
श्रीलंका
सूडान
सूरीनाम
स्वाज़ीलैण्ड
तंजानिया संयुक्त गणराज्य
अपर वोल्टा
उरुग्वे
वेनेजुएला
यमन
यूगोस्लाविया
जैरे
जाम्बिया

टेलीविजन सेट निर्माता और बिक्रेता एजेंसियां

7521. **श्री के० प्रधानी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टेलीवीजन सेट निर्माता और विक्रेता एजेंसियों की संख्या कितनी है और उनमें से प्रत्येक ऐजेंसी ने मासिक दैनिक मजदूरी के आधार पर कितने व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा है ;

(ख) क्या उक्त एजेंसियां सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर मासिक/दैनिक मजदूरी का भुगतान कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

उत्तर पूर्वी दूर संचार के सर्किल के कर्मचारी

7522. **श्री अहमद हुसैन**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1976 और 31 दिसम्बर, 1977 को निम्नलिखित वर्गों में उत्तर पूर्वी दूर संचार सर्किल में कुल कितने कर्मचारी थे और (एक) अनुसूचित जातियों (दो) अनुसूचित जनजातियों और (तीन) अल्पसंख्यक समुदाय के कितने कितने कर्मचारी थे :

1. प्रथम श्रेणी
2. द्वितीय श्रेणी
3. तृतीय श्रेणी
4. चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारियों सहित तथा दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों सहित) और
5. चतुर्थ श्रेणी (दैनिक मजूरी) ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

श्रेणी	31 दिसम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार			
	अनुसूचित-जाति	अनुसूचित-जनजाति	अन्य समुदाय	योग
1	2	3	4	5
प्रथम . . .	—	—	15	15
द्वितीय	5	2	77	84
तृतीय	493	653	4,580	5,726
चतुर्थ . . . . (इनमें सफाई कर्मचारी शामिल हैं और दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं)	134	112	456	702
चतुर्थ श्रेणी . . . . (दैनिक मजूरी वाले)	—	—	—	—

	31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार			
	2	3	4	5
प्रथम ङ .	--	--	17	17
द्वितीय	6	4	76	86
तृतीय . .	495	663	4,597	5,755
चतुर्थ . . . . (इनमें सफाई कर्मचारी शामिल हैं और दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं)।	135	113	446	694
चतुर्थ श्रेणी . . (दैनिक मजूरी वाले)	--	--	--	--

संबंधित दूर संचार सर्किल अल्प संख्यक समुदायों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने में असमर्थ हैं क्योंकि इसको परिभाषा के बारे में उन्हें सन्देह है।

चेचक का टीका

7523. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेचक के टीके का अभी भी उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चेचक के उन्मूलन के साथ देश में टीके का प्रयोग न होने से उसे निर्यात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस टीके का किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा का टीका निर्यात किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) सारे विश्व से चेचक का उन्मूलन अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार नवजात बच्चों को प्राथमिक टीका लगाने का काम जारी रखा जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं । तथापि नेपाल, श्रीलंका, बंगला देश और भूटान में उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को उनके के अनुरोध पर वेक्सीन दान में दी गयी थी ;

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

R.M.S. Office at Gangapur City

†7524. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the R.M.S. office has been functioning for quite a long time at Gangapur City (Sawai Madhopur, Rajasthan) Station, Western Railway and if so, since when the said office has been functioning;

(b) whether the said office continues to be in the same condition in which it was first opened, even after a lapse of such a long time;

(c) whether because of the erratic functioning of the said office, people could get no benefit from it and if so, the reasons therefor;

(d) the value of Government stamps sold and the registrations made during the last three years; and

(e) whether in view of these circumstances, Government will arrange for the construction of a building for the said office and ensure its proper functioning in public interest and if so when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) There is transit mail office of RMS at Gangapur City Railway Station with one mailguard and one mailman. It was established on 11-5-70.

(b) Yes, Sir.

(c) The functioning of the office has been satisfactory.

(d) There is no such sale as it is not a Post Office

(e) The construction of building for transit mail office has been agreed to by the Railways. Site plan and building plan stand approved at the cost of Rs. 25,000/- and all efforts are being made to get the building constructed as early as possible.

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार समझौता

7525. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान द्वारा यहां से इस्पात और भारत द्वारा वहां से मेवों का आयात करने के बारे में भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और यदि कोई समझौता है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) अफगानिस्तान से विशेषज्ञों का एक दल भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को विविधता प्रदान करने और उसे संवर्धित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए भारत आया था और 27 मार्च से 1 अप्रैल, 1978 तक यहां ठहरा था। व्यापार की कम जटिल पद्धति अपनाने के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श हुआ था।

सूखे मेवे अफगानिस्तान से निर्यात के एक परम्परागत मद रहे हैं । अफगानिस्तान द्वारा भारत से इस्पात के आयात के विषय में कोई बातचीत नहीं हुई ।

डाक तथा तार विभाग में सीनियर आर्कीटेक्ट

8525. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जबकि गत दो वर्षों के दौरान डाक तथा तार विभाग में सुपरिन्टेन्डेंट इंजीनियरों के पदों की संख्या में आठ गुणा वृद्धि हुई है, सीनियर आर्कीटेक्ट के पदों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपरिन्टेन्डेंट इंजीनियरों और सीनियर आर्कीटेक्ट के पदों के बीच निश्चित अनुपात बनाये रखने के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध है; और

(ग) इस विभाग में अनुपात न बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गलत मीटर रीडिंग करने और अधिक राशि के बिल बनाने के बारे में शिकायतें

7527. **श्री माधव राव सिंधिया**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गलत मीटर रीडिंग करने और अधिक राशि के बिल बनाने के बारे में दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों में गत छः महीनों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ;

(ख) उपभोक्ताओं की कठिनाई को दूर करने और उन्हें वित्तीय हानि से बचाने के लिए ऐसी प्रथा को रोकने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद् सदस्यों के लिए कार्यरत कुछ टेलीफोन भी गत एक वर्ष से त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग दिखा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) 7059।

(ख) इनकी रोक थाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:—

1. सभी उपभोक्ताओं के मीटरों की नेमी जांच करना।
2. जहां टेलीफोन कनेक्शनों से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा हटाई गई है वहां इस सुविधा की नेमी जांच करना।
3. पाक्षिक मीटर रीडिंग ली जाती है । यदि मीटर रीडिंग में कोई असाधारण वृद्धि दिखाई देती है, तो उसकी जांच की जाती है ।

(ग) और (घ) संसद् सदस्यों से भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें मीटर रीडिंग के दोषपूर्ण होने का आरोप लगाया गया है। ऐसी हर एक शिकायत की तुरन्त जांच की जाती है और जहां औचित्य पाया जाता है छूट दे दी जाती है।

रानीगंज में रिफैक्टरियों का इस्पात मंत्रायल को अन्तरण

7528. **श्री राबिन सेन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है कि रानी गंज के रिफ्रेक्टरियों के समूह को, रक्षित उद्योग के रूप में ,उद्योग मंत्रालय से इस्पात मंत्रालय को अतंरित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) भारत सरकार इस प्रस्ताव पर ध्यान दे रही है ।

उत्तर कोरिया की यात्रा करने वाले अधिकारी

7529. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के उन अधिकारियों की संख्या और पदनाम क्या हैं जिन्होंने राजनयिक काम से इतर अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए गत दो वर्षों में कोरिया लोकतंत्रात्मक जनवादी गणतंत्र (उत्तर कोरिया) की यात्रा की ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : भारत से एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने 10 मई, से 14 मई, 1977 तक कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा की और भारत तथा कोरिया लोकतांत्रिक-जनगणराज्य के बीच वार्षिक व्यापार प्रोतोकोल सम्पन्न किया । इस प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :—

(क) श्री प्रेम कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय————————नेता ।

(ख) श्री ए० के० आहूजा, संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक, खनिज व धातु व्यापार निगम———सदस्य ।

(ग) श्री वी० एन० सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक (परामर्शदाता) राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधि भारत का राजदूतावास, मास्को————सदस्य ।

मिजोरम में डाक-तार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी

7530. **डा० आर० रोथुआम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि मिजोरम में काम करने वाले आकाशवाणी, एस०आई०बी० फील्ड पब्लिसिटी, डाक तथा तार (डाक विंग) और जनरल मैनेजर, डाक तथा तार (रखरखाव) के कुछ केन्द्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है जबकि डाक तथा तार इंजीनियरिंग विंग (दूरसंचार), डाक तथा तार विभाग के तार विंग, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और एल० सी० के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते के लाभ से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो मकान किराया भत्ते के मामले में अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह इस मामले की जांच करेंगे जिससे असंगतियों को दूर किया जा सके और केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपरोक्त मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जाये ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क), (ख) और (ग) सरकार के मौजूदा आदेशों के अधीन मिजोरम में तैनात केन्द्र सरकार के केवल उन्हीं कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिलता है, जिनका भारत में किसी भी स्थान पर तबादला किया जा सकता है। इन आदेशों का अर्थ गलत समझने के कारण डाक-तार की कुछ यूनिटें अपने उन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दे रही थीं जो इसके हकदार नहीं थे। इस गलती को सुधारने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

दूर संचार विंग के जूनियर इंजीनियर संवर्ग में पदोन्नति के अवसर न होना

7531. **श्री यशवन्त बोरोले**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के दूरसंचार विंग के 15,000 जूनियर इंजीनियरों ने उनके संवर्ग में पदोन्नति के अवसर न होने के कारण रोष व्यक्त किया था;

(ख) क्या यह सच है कि जब भी उनमें से 6000 व्यक्ति विभागीय परीक्षा पास कर लेने के बाद अपनी पहली पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही इन कठिनाइयों के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने और जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर जूनियर इंजीनियर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मौजूदा प्रत्याशित पदों पर चयन के लिए विचार करने के योग्य बन जाते हैं। अर्हता प्राप्त कर लेने से वे तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'बी' में पदोन्नति पाने के हकदार नहीं बनते हैं। 5 वर्ष की सेवा के बाद ये अधिकारी विभागीय परीक्षा में बैठने के पात्र बन जाते हैं, जबकि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन कर लेने के बाद उन्हें पदोन्नति काफी लंबी अवधि के बाद मिलती है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही 6000 के लगभग इन अधिकारियों को पदोन्नति मिल जानी चाहिए।

(ग) पिछले भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए संबंधित कर्मचारियों के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदन के बाद, और जगह बनने के बाद उनकी बारी आने पर ही होनी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Direct Line Between Keshod and Manavader

†7532. **Shri Dharmasinbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether on 10th December, 1977, Keshod Nagar Chamber of Commerce, Keshod, District Junagadh in Saurashtra in Gujarat has sent a representation to Telephone Officers at Delhi, Ahmedabad and Junagadh for a direct telephone line between Keshod and Manavader; and

(b) if so, by when it would be sanctioned and the work started and completed ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) Yes Sir. A representation has been received from Keshod Nagar Chamber of Commerce for provision of a direct trunk circuit between Kishod and Manavader. There is a proposal for a 60-Chl. UHF link between Manavader and Junagadh under examination. Direct trunk circuit between Kishod and Manavader will be feasible after provision of the link.

(b) No specific date can be stated at this stage.

उड़ीसा में स्पंज लोहा संयंत्र

7533. **श्री प्रद्युमन बल**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने किसी फर्म के सहयोग से स्पंज लोहा तैयार करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र भेजा है;

(ख) क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने उड़ीसा में स्पंज लोहा तैयार करने वाला कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार को अनुमति दी जा चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अनुमति कब तक दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख), (ग) और (घ) दि इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (राज्य सरकार का उपक्रम) को प्रतिवर्ष 300,000 टन स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए एक आशय-पत्र दिया गया है। इस परियोजना के लिए क्योंझर जिले में स्थान चुना गया है।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है,कि सभी सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के पश्चात् विदेशी सहयोग के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जाए ; यह प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

गोआ में टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

7534. **श्री एडुआर्डो फैलीरो**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा की जनता को नये टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) गोवा में 23 एक्सचेंज काम कर रहे हैं। उनमें से 19 एक्सचेंजों में एक उचित दूरी के भीतर थोड़े समय में ही टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकते हैं। फिर भी, लाइन संबंधी साज-सामान की कमी के कारण लंबी दूरी के थोड़े से टेलीफोन कनेक्शन कुछ वर्षों से बकाया पड़े हैं।

2. शेष 4 एक्सचेंजों में काफी बड़ी प्रतीक्षा सूचियां हैं। इसका कारण यह है कि इमारतों में जगह की कमी के कारण इन एक्सचेंजों का विस्तार करने में कठिनाईयां हैं।

3. छोटे एक्सचेंजों के मामले में लाइन संबंधी साज-समान की सप्लाई में वृद्धि करके लंबी दूरी के टेलीफोन कनेक्शन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 बड़े एक्सचेंजों के मामले में इमारतों में जगह बढ़ाने और अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

हिन्द महासागर में फ्रांस के युद्धपोत

7535. **श्री सरत कार**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह भी सच है कि फ्रांस ने हिन्द महासागर में विमान भेदी राकेटों और जहाज तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से लैस युद्धपोत तैनात किये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि फ्रांस ने पहले भी हिन्द महासागर में दो पनडुब्बियां भेजी है;

(ग) क्या भारत सरकार ने फ्रांस सरकार को बताया है कि वह हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र रखना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में फ्रांस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) फ्रांसीसी सरकार हिन्द महासागर में शांति के क्षेत्र की स्थापना के संबंध में भारत सरकार की स्थिति से अवगत है जो कि इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के अनुरूप है। अब तक फ्रांसीसी सरकार इस घोषणा पर और इस विषय से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संकल्पों पर मतदान से अनुपस्थित रही है।

आपातस्थिति के दौरान विदेशों में भेजा गया प्रचार साहित्य

7536. **श्री आर० के० महालगी**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने आपात स्थिति के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य आपात स्थिति विरोधी नेताओं और संगठनों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार का प्रचार साहित्य अपने दूतावासों के माध्यम से विदेशों में भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन पर, पार्सल पर लगने वाली राशि सहित कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ग) किन भारतीय दूतावासों को उपर्युक्त साहित्य वितरित करने को कहा गया था और कितने व्यक्तियों को उक्त साहित्य भेजा गया था; और

(घ) क्या विदेशों में दूतावास कार्यालयों को इस बारे में कोई लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने कुछ पुस्तिकाओं की श्रृंखला प्रकाशित की थी जिनका उद्देश्य स्पष्टतः आपातकाल का औचित्य सिद्ध करना था और इनमें से कुछ को अब प्रतिबन्धित संगठनों और श्री जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध प्रचार समझा जा सकता है। इन पुस्तिकाओं में से केवल कुछ पुस्तिकायें इस मंत्रालय ने ली थीं और ये विदेश स्थित हमारे मिशनों को नेमी रूप से भेजी गयी थीं।

(ख) विदेश मंत्रालय ने इन प्रकाशनों को प्राप्त करने में कोई खर्च नहीं किया। इन पुस्तिकाओं को भेजने पर हुए खर्च का हिसाब नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये पुस्तिकायें विदेश-स्थित हमारे मिशनों को नियमित रूप से जाने वाले राजनयिक थैलों द्वारा भेजी गयी थीं।

(ग) ये प्रकाशन वितरण के लिए थे और प्रत्येक मिशन को इनकी कुछ प्रतियां यथा आवश्यक इस्तेमाल के लिए भेजी गयी थीं।

(घ) यद्यपि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि विदेश-स्थित हमारे मिशनों को इन पुस्तिकाओं के बारे में कोई लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी, परन्तु हमारे कुछ मिशनों ने यह बताया कि ये प्रकाशन विदेशों में वितरण योग्य नहीं हैं और ये वहां पठनीय भी नहीं हैं।

Foad Poisoning

7537. **Shri Ram Sewak Hazari :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of persons died of food poisoning in the country during the past three years, State-wise and year-wise;

(b) the measures adopted to check such deaths and outcome thereof; and

(c) the measures adopted to ensure that hotels and 'Dhabas' serve clean meals and also to excercise control over them and the outcome thereof ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a), and (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

आयुर्वेदिक कालेज

7538. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने आयुर्वेदिक कालेज और कालेज एवं अस्पताल चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार आयुर्वेद की शिक्षा का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत में 93 मान्यताप्राप्त आयुर्वेदिक कालेज हैं। लगभग सभी कालेजों के साथ शिक्षण अस्पताल सम्बद्ध कर दिये गये हैं।

(ख) सूची संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2141/78]

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद ने आयुर्वेद में स्नातक पूर्व शिक्षा के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया है और भारत सरकार की सहमति से इसे राज्यों के पास कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद ने विशेषज्ञ बनाने के विचार से स्नातकोत्तर शिक्षा का न्यूनतम स्तर तथा उसकी पाठ्यचर्या भी तैयार कर ली है ताकि वे आयुर्वेद के विभिन्न विषयों के लिए [illegible], भेषजिक विशेषज्ञ तथा अनुसंधान कार्यकर्ता उत्पन्न कर सकें। स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए तेरह विषय और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 15 विषय आरम्भ करने का इसका विचार है।

जयपुर में खोले गए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आशा है कि वह आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में भारतीय चिकित्सा का स्नातकोत्तर संस्थान, स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा देश के विभिन्न भागों में, स्नातकोत्तर शिक्षा के दर्जे बढ़ाए गए सोलह विभागों में भी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सभी संस्थान भारत सरकार की केन्द्रीय सहायता से खोले गए हैं

केन्द्रीय सरकार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्नातक पूर्व कालेजों को उनकी इमारतें, छात्रावास एवं प्रयोगशालाएं बनाने, आवश्यक उपकरणों की खरीद करने तथा फार्मेसियों एवं जड़ी-बूटी उद्यानों को खोलने के लिए आर्थिक सहायता देती है।

राज्य सरकारों तथा प्राइवेट एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे कालेजों को आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। अनेक स्नातकपूर्व कालेजों में अध्यापकों के स्तर को सुधारने के लिए, उन अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिनके पास स्नातकोत्तर अर्हता नहीं हैं

रत्नगिरि में एल्यूमीनियम संयंत्र

7539. **श्री बापू साहिब पुरूलेकर**: क्या इस्पात और खान मंत्री रत्नागिरि में एल्यूमीनियम परियोजना के बारे में 24 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1560 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन सभी वर्षों में सरकार वित्तीय कठिनाईयों के कारण रत्नगिरी एल्यूमीनियम परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने में असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह रत्नगिरि में गैर-सरकारी क्षेत्र में एल्यूमीनियम संयंत्र के निर्माण की अनमति देगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को कोल्हापुर जिले में उदगीर और दुआंगक बाड़ी में बाक्साईट का उपयोग करने की अनुमति देगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) व (ख) रत्नागिरि एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट एक मंजूरशुदा प्रोजेक्ट है जिसे अभी वित्तीय कठिनाइयों के कारण शुरु नहीं किया जा सका है यदि गैर-सरकारी क्षेत्र की कोई पार्टी इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाती है तो सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) संभवतः इसका आशय ऊदगिरि और धंगरवाड़ी के बाक्साइट के उपयोग से है। यदि इस प्रोजेक्ट की गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुमति दे दी जाती है तो गैर-सरकारी क्षेत्र में बाक्साइट भंडारों के उपयोग की भी अनुमति दे दी जाएगी।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

कर्मचारी संगठनों को मान्यता देने के नियम

7540. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :**
श्री वायालार रवि :

क्या संसदीय कार्य तथा **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारियों के संगठनों को राष्ट्रीय तथा सर्किल स्तरों पर मान्यता देने की वर्तमान पद्धति अप्रजातांत्रिक है; और

(ख) यदि हां, तो उन सगठनों को मान्यता देने हेतु प्रजातांत्रिक पद्धति लागू करने के लिये क्या प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय त्रिपक्षीय निकायों तथा अन्य निकायों में ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि स्वरूप का निर्धारण करने के लिए मापदण्ड तथा प्रक्रिया तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Telegraph and Telephone Facilities in the Rural Areas of Maharashtra

†7541. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of new places in rural areas in Maharashtra where telegraph and telephone facilities have been provided to 1977-78; and

(b) district wise details thereof ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) The number of new place in rural areas in Maharashtra where telegraph and telephone facilities have been provided in 1977-78 are 110 and 113 respectively.

(b) The district-wise details are given below :

S. No.	District	No. provided with telephone facility in 1977-78	No. provided with telegraph facility in 1977-78
1.	Ahmednagar	7	7
2.	Akola	1	1
3.	Amravati	6	5
4.	Aurangabad	4	4
5.	Bhandra	2	2
6.	Bhir	Nil	Nil
7.	Buldhana	Nil	Nil
8.	Chanda	Nil	Nil
9.	Dhulia	6	6
10.	Jalgaon	6	5
11.	Kolaba	3	3
12.	Kolhapur	14	13

1 2	3	4
13. Nagpur	3	3
14. Nanded	8	8
15. Nasik	10	10
16. Osmanabad	4	4
17. Parbhani	3	3
18. Ratnagiri	9	9
19. Poona	5	5
20. Satara	4	4
21. Sangli	8	8
22. Sholapur	3	3
23. Thana	1	1
24. Wardha	4	4
25. Yeotmal	2	2
Total :	113	110

कोयला खान भविष्य निधि की राशि जमा करना

7542. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयला खान भविष्य निधि की जमा राशियों, मालिकों के अंशदान और उस पर ब्याज की राशि के निपटान में असाधारण विलम्ब होता है तथा प्रशासन में यह एक स्थाई दोष हो गया है ;

(ख) क्या कोयला खान भविष्य निधि के जमाकर्ताओं को आवश्यक कार्यों के लिए जैसे कि मकान बनाने, मरम्मत कराने, भूमि खरीदने, लड़कियों के विवाह आदि के लिये जमा राशि को वापस लने की अनुमति हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुल कितने आवेदकों को बीच में राशि निकालने की अनुमति दो गई तथा कुल जमाकर्त्ताओं की तुलना में उनकी प्रतिशतता क्या है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत सदस्यों को उनके खाते में जमा ब्याज सहित कुल अंशदानों की उस राशि में से, जो ऐसी पेशगियां प्राधिकृत करने की तारीख को उनके खाते में मौजूद हो, वापिस न की जाने वाली पेशगियां मन्जूर करने के उपबंध विद्यमान हैं । ये पेशगियां उपभोक्ता सहकारी समितियों में शेयरों को खरीदने, मकान बनाने, जीवन बीमा पालिसियों में धन लगाने और पुत्री के विवाह तथा सदस्य के बच्चे की मैट्रीकुलेशन के बाद की शिक्षा के खर्चों को वहन करने जैसे प्रयोजनों के लिए दी जाती है ।

Hindi Advisory Committee in the Ministry

†7543. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so, the names of members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendations of the official Languages Department ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad sai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि

7544. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने वर्ष 1977 में किसी समय अयस्कों के मूल्यों में वृद्धि पर लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की खानों के मालिकों के साथ कोई समझौता किया था; और

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों को बड़ा जमदा क्षेत्र की निजी क्षेत्र की खानों से निम्न ग्रेड के मैंगनीज की सप्लाई खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत की जाती है । मूल्य के बारे में पिछले समझौते की समाप्ति पर, जो पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31-3-1977 तक वैध था, खनिज तथा धातु व्यापार निगम सेल ने मैंगनीज अयस्क के संभारकों के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए एक नया करार करने के लिए अप्रैल, 1977 में त्रिपक्षीय बातचीत शुरू की थी । हिन्दुस्तान स्टील लि०, खनिज तथा धातु व्यापार निगम सेल तथा पूर्वी क्षेत्र के खान मालिकों की एसोसिएशन के विशेषज्ञों की एक समिति ने उत्पादन लागत में वृद्धि के दावों की विस्तारपूर्वक जांच की थी । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 15-7-1977 को पांच वर्ष की अवधि के लिए एक नया समझौता किया गया है । यह समझौता 1-4-1977 से लागू है और इसमें निम्नग्रेड मैंगनीज़ अयस्क का आधार मूल्य 62 रुपए प्रति टन निश्चित किया गया है जबकि पहले आधार मूल्य 49.80 रुपए प्रति टन था ।

जहां तक लौह अयस्क का सम्बन्ध है सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने अपनी अधिकांश आवश्यकताएं अपनी रक्षित खानों से पूरी करते हैं । फिर भी, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखाने विशेष ग्रेड के लौह अयस्क की कुछ मात्रा खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत बड़ा जमदा क्षेत्र के निजी क्षेत्र के खान मालिकों से प्राप्त करते हैं । पैट्रोल के मूल्यों, परिवहन की लागत, माल के उतारने-चढ़ाने के प्रभारों आदि में वृद्धि हो जाने के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम इस प्रकार के लौह अयस्क के मूल्यों में वृद्धि की सिफारिश करती रही है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम की सिफारिशों के आधार पर राउरकेला इस्पात कारखाना वर्ष 1975-76 के मूल्यों पर वर्ष 1976-77 के लिए 0.18 रुपये प्रति टन की दर से तथा वर्ष 1977-78 के लिए 2.25 रुपए से 3.18 रुपए प्रति टन की दर से वृद्धि करने को सहमत हो गया है । इसी प्रकार दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी वर्ष 1975-76 के मूल्यों पर वर्ष 1976-77 में की गई लौह-अयस्क की सप्लाई के लिए 0.75 रुपए प्रति टन की दर से वृद्धि करने को सहमत हो गया है और वर्ष 1977-78 के मूल्यों के बारे में बातचीत चल रही है ।

महकों में स्थापित और पायसी कारकों का उपयोग

7545. **श्री भारत सिंह चौहान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री महकों में स्थायित्व और पायसी कारकों के उपयोग संबंधी प्रारूप नियम 61 क और 61 ख को अंतिम रूप दिये जाने के बारे में 2 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1342 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संबंधित प्रारूप की अधिसूचना के प्रकाशन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि अधिसूचना इस बीच प्रकाशित कर दी गई है तो क्या वे उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) नियमों के मसौदे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । जैसे ही इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा, उन्हें राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाएगा और जैसाकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23(2) के अन्तर्गत अपेक्षित है, अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चिकित्सा स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन

7546. **श्री सूरज भान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने युवा चिकित्सा स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक चलाने और कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों की उन्हें वहां स्थायी रूप से रह कर कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिये, आयकर की दरों में रियायत देने का है ताकि ग्रामीण लोगों को सक्षम चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह कर कार्य करने के इच्छुक डाक्टरों को भवन बनाने और उपकरण खरीदने के लिए सहकारी समितियां अथवा राष्ट्रीय बैंकों से रियायती ब्याज दरों पर ऋण दिया जा सकता है; यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सक्षम चिकित्सा कार्मिकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकृष्ट करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) युवा चिकित्सा स्नातकों की ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी क्लिनिक एवं स्वयं की स्थापित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिलहाल केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है । राज्य सरकारों से इस संबंध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है जो कि मिलने पर सभा पटल पर रखी जाएगी ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों को वहां हमेशा के लिए स्थापित करने के उद्देश्य से उन्हें आयकर की दरों में छूट देने का सरकार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) हमारे राष्ट्रीय-कृत बैंक डाक्टरों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ वित्तीय सहायता दे रहे हैं । इन सुविधाओं की सूची संलग्न है ।

[ग्रथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2142/78]

भारतीय रेड क्रास सोसायटी के सेक्रेटरी जनरल की सेवावधि में वृद्धि

7547. **श्री ररीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेडक्रास सोसायटी के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल की जिनकी आयु 70 वर्ष है, सेवावधि में चार वार एक-एक वर्ष की वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्तमान महासचिव की उम्र 68 वर्ष है । उन्होंने 16-6-69 को भारतीय रेडक्रास सोसायटी में कार्यभार संभाला था । प्रारम्भ में, उनसे 3 वर्ष का अनुबंध किया गया था और फिर उनसे तीन नए अनुबन्ध किए गए जिन से कुल अवधि बढ़ कर 7 वर्ष हो गई ।

(ख) भारतीय रेडक्रास समिति ने यह बताया है कि महासचिव के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय करते समय, प्रबन्ध समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखा था कि इस अवधि के दौरान उनके द्वारा आरंभ की गई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही थीं ।

यह ठीक है कि अब इन्हें अधिक समय देना संस्था के लाभ में नहीं होगा, पर यह विभाग रेडक्रास के स्वायत्त होने के कारण उसमें दखल नहीं दे सकता है ।

Value of Bags for Ammonium Sulphate Purchased in Bhilai

7548. **Shri Mohan Bhaiya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the value of bags (Bardana) purchased for the ammonium sulphate produced in the Bhilai Steel Plant during the past three months;

(b) whether the deal is being inquired into by the vigilance department; and

(c) if so, the full facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) During the months from December' 77 to February' 78 the value of bags purchased by Bhilai Steel Plant for Packing Ammonium Sulphate was Rs. 11.22 lakhs.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

इन्डियन रेड क्रास सोसाइटी के अध्यक्ष

7549. **श्री शरद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने संसद में एक वक्तव्य दिया है कि इंडियन रेड क्रास सोसायटी के वर्तमान अध्यक्ष को एक वर्ष की अवधि के लिए 24 फरवरी, 1977 को मनोनीत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके स्थान पर नये अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी हां ।

(ख) जी हां । श्री वी०एम० तारकुण्डे नये अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं ।

(ग) यह प्रश्न नही उठता ।

Denial of Visas to Hungarian Journalists

†7550. **Shri Yadvendra Dutt** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether some Hungarian Journalists applied for visa to visit India but the Indian Embassy did not issue the same and if so, the reasons therefor;

(b) whether they subsequently requested his Ministry and the Ministry gave the permission for visa on telex;

(c) whether even after this, the officials of Indian Embassy in Hungary took full six weeks in issuing visa to them and if so, the reasons therefor; and

(d) whether even after the orders of his Ministry, the Embassy officials asked the question from the Journalists whether the Conference which they intended to attend was going to be actually held and if so, the action proposed to be taken by Government to check the recurrence of such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) (a) & (b) The visa application of Dr. Janos Follinusz and Mr. Adam Danko, Hungarian Journalists were received by the Indian Embassy in Budapest on February 2 and 3, 1978 respectively. The matter was referred to the Governement of India by the Indian Embassy by cable and athuorisation to grant visas to enable them to participate in the third International Seminar of Economic journalists in New Delhi from Feb. 8 to 11, 1978, was sent to the Embassy without any delay on Feb. 3. The Embassy sought some clarification on Feb. 4 in respect of standing instructions about the participation of Foreign journalists in International conferences or seminars in India. The clarification was supplied on Feb. 6 and visas were issued by the Embassy to the two journalists on the morning of Feb. 7, 1978.

(c) It is always the effort of our missions to promptly disposes of visa applications. There was no delay in this case. It is, therefore, not correct that Embassy took six weeks in issuing visas to the two journalists.

(d) Does not arise.

मेडिकल अधिकारियों के लिए सवारी भत्ता

7551. **श्री के० लकप्पा**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछ मेडिकल अधिकारी निर्धारित दरों पर सवारी भत्ता ले रहे हैं लकिन वे उक्त योजना का लाभ उठाने वाले बीमार व्यक्तियों के निवास स्थानों का कोई दौरा नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन काम कर रहे चिकित्सा अधिकारियों को रोगियों को उनके घरों पर जाकर देखने के लिए सवारी भत्ता दिया जाता है। इस सवारी भत्ते के भुगतान की मंजूरी दौरों के रिकार्ड की छानबीन करने के पश्चात् तभी दी जाती है जब वह सुनिश्चित हो जाता है कि चिकित्सा अधिकारी ने अपने दौरों की निर्धारित न्यूनतम संख्या को पूरा कर लिया है।

चूंकि औषधालयों में डाक्टरों के पास समय कम होता है और उन्हें बहुत बड़ी संख्या में रोगियों को देखना होता है, इसलिए डाक्टरों को रोगी को उसके घर पर जाकर देखने या देखने से इन्कार करने का फैसला थोड़ा बहुत अपने विवेक से भी करना होता है जो प्रत्येक रोगी के मामले में रोग संबंधी उनकी अपनी राय पर आधारित होता है।

यदि किसी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध यह शिकायत हो कि उसने बिना किन्हीं ठोस कारणों के रोगी को उसके घर पर जाकर देखने से इन्कार किया है तो उचित जांच-पड़ताल के पश्चात् उस डाक्टर के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है।

निम्न श्रेणी लिपिकों की कथित नियुक्ति

7552. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, दिल्ली में निम्न श्रेणी के कुछ लिपिकों की अवैध भर्ती के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी संघ (रजिस्टर्ड), दिल्ली के उपाध्यक्ष से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो सरकार के विचाराधीन है।

रोजगार कार्यालयों के प्रति अर्ध-सरकारी निकायों का रवैया

7553. **श्रीमती मृणवल गोरे**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये समिति के बारे में 30 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4860 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की जांच करने और रोजगार कार्यालयों के जरिए भर्ती करने के बारे में अर्ध-सरकारी निकायों के रवैये के बारे में जांच करने के लिये गठित समिति को कोई निदेश दिए गए हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा): सरकार के संकल्प संख्या डी जी ई टी-5 (9)/77-ई ई-1, दिनांक 1-3-1978 के पैरा 3(iii) में यथा-निर्धारित समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार (केन्द्रीय और राज्य) और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों दोनों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवारों की नियुक्ति को बढ़ावा देने, और नियोजकों द्वारा रोजगार सेवा का अधिक से अधिक तथा प्रभावशाली उपयोग करवाने के बारे में सलाह देने और उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए समिति से अनुरोध किया गया है। अतः आदरणीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट विषय समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल है।

Electricity For Telephone Automatic Machines in U.P.

7554. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether electricity is needed at least for nine hours in 24 hours for the operation of Telephone automatic machines ; and

(b) if so, the steps taken by Government to ensure the operation of automatic machines in Uttar Pradesh ?

The Minister of State For Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) (b) Uninterrupted electric power supply is an essential pre-requisite for uninterrupted operation of all automatic telephone exchanges. As a safeguard against failures of public electric supply of short duration, stand-by batteries are installed in all telephone exchanges. In case of infrequent power failures of long duration, it becomes difficult to maintain continuity of telephone service. To reduce this problem, portable stand-by engine generators are being provided for, common use of a group of exchanges.

भारत-चीन सीमा विवाद

7555. **श्री हरि विष्णु कामत**: क्या **विदेश** मंत्री 16 मार्च, 1978 को ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में दिये गये अपने वक्तव्य और उस पर किये गए प्रश्नों के अपने उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन सीमा विवाद को सीधे और शांतिपूर्ण बातचीत से हल करने के विषय पर चीन की सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या प्रारम्भिक बातचीत के लिये कोई तारीख तथा स्थान का निर्धारण किया गया है, यदि नहीं, तो इन दोनों सरकारों के बीच बातचीत की प्रगति क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो सीमा विवाद को हल करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारत सरकार पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर चीन लोक गणराज्य के साथ संबंध सुधारना चाहती है और यह चाहती है कि दोनों देशों के बीच बकाया सभी मामलों को द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जाये जिसमें सीमा का सवाल भी शामिल है ।

"काश्मीर"

7556. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **विदश** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने काश्मीर में संयक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति पर अपत्ति करते हुए उनके मंत्रालय को लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उस पर मंत्रालय कि क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस समय काश्मीर में कितने विदेशी पर्यवेक्षक उपस्थित हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने अब तक उन पर कितनी धनराशि खर्च की है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सैनिक पर्यवेक्षक दल की उपस्थिति के बारे में हमारे रुख से सम्बद्ध एक सुझाव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जम्मू और काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की संख्या इस समय 11 है।

(घ) सैनक पर्यवेक्षकों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक किये गयें खर्च का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है । बहरहाल, यह खर्च अधकांशत: नकद न होकर दूसरे रूपों में होता है जैसे कि मुफ्त आवास की व्यवस्था, मुफ्त वाहन जिसमें 'पाल' आदि का प्रावधान भी शामिल है ।

Sinking of Simla

7558. **Shri Subash Ahuja** : Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Simla has been sinking constantly for many years now ; and

(b) if so, action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) There is no evidence of constant sinking of Simla town as such. However, local slips and subsidences have been reported from time to time.

(b) The subsidences reported in 1950, 1959 and 1966 were investigated by the Geological Survey of India and another subsidence in 1971 by Central team which included an officer of the Geological Survey of India. Certain remedial measures including a programme for further investigations to find a long term engineering solution to this problem were suggested, action on which rests primarily with the State Government. However, action on some of the recommendations has already been taken by the local authorities.

खाद्य नमूनों का पुनः विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशालाएं

7559. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य नमूनों का पुनः विश्लेषण करने के लिये और प्रयोगशालायें खोलने की योजना बनाई गई है जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पुनर्विश्लेषण प्रयोगशाला खोलने की कोई योजना है ;

(घ) क्या प्रत्येक नगरपालिका को अपनी स्वयं की खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा ; और

(ङ) क्या विश्लेषण करने के लिये निजी (प्राइवेट) प्रयोगशालाओं को प्राधिकृत किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसायद यादव) : (क) और (ख) इस समय देश में 85 सरकारी विश्लेषक प्रयोगशालाएं हैं जो स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों द्वारा चलायी जाती हैं। यदि किसी सरकारी विश्लेषक द्वारा खाद्य नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट गलत प्रतीत होती है तो खाद्य अपमिश्रण की अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2ई०) के तहत उपबन्ध के अनुसार देश के किसी अन्य सरकारी विश्लेषक द्वारा नमूने के दूसरे हिस्से का दुबारा विश्लेषण करा सकता है। चूंकि 85 सरकारी विश्लेषण प्रयोगशालाएं पहले ही विद्यमान हैं, इसलिये दोबारा विश्लेषण कार्य के लिए इस प्रकार की और प्रयोगशालाएं खोलने का कोई विचार नहीं है ।

तथापि, सरकार ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) की अपेक्षा के अनुसार जिन मामलों में मुकदमें चलाए गए हैं उनमें अदालतों द्वारा अपनी अंतिम राय देने के लिए भेजे गए खाद्य के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए कलकत्ता स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन प्रयोगशालाओं को पहली अप्रैल, 1978 से केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निर्दिष्ट किया है :—

(1) खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद ।

(2) जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे ।

(3) केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर ।

(ग) और (घ) इन मामलों का संबंध राज्य सरकारों से है ।

(ङ) जी नहीं ।

पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का अंश

7561. **श्री आर एन० राकेश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में, यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हों तो उन्हें मिला कर प्रत्येक वर्ग के कुल कितने पद भरे गये और उन नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का अंश क्या था और प्रत्येक वर्ग के कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया तथा उसके क्या कारण थे; और

(ख) प्रत्येक वर्ग के पदों में कितनी विभागीय पदोन्नतियां की गईं/कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया और उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिये गये ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री एस० कुण्डू) : (क) और (ख) सदन की भेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें 1975 और 1976 के वर्षों के संबंध में अपेक्षित सूचना दी गयी है । वर्ष 1977 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ? आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कुछ पद आरक्षण से मुक्त कर दिये थे।

विवरण

वर्ष	पद समूह	सीधी भर्ती						पदोन्नति						
		भरे गये कुल पद	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या।		वस्तुतः नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की सं०		पुनः आरक्षित किये गये पदों की संख्या	भरे गये पदों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या		वस्तुतः नियुक्त अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के लिए उम्मीदवारों की संख्या		पुनः आरक्षित किये गये पदों की संख्या	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा
1975	समूह क	23	4	4	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	समूह ख	32	9	4	7	1	2	3	138	7	2	8*	1	—	1
	समूह ग	103	13	7	18*	4	—	3	16	1	—	1	—	—	—
	समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	5	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1976	समूह क	27	4	3	4	2	—	1	29	4	2	—	—	4	2
	समूह ख	22	7	7	2	1	5	6	108	18	14	13	—	5	14
	समूह ग	108	13	9	15*	—	—	9	30	7	4	1	—	6	4
	समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	7	2	2	3	—	—	2	5	2	—	3*	—	—	—
	(सफाई कर्मचारी)	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*इनमें पिछले वर्ष से अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्तियां शामिल हैं।

Loss suffered by Central Government due to strike by Maharashtra Government Employees

7562. **Shri Hukam Chand Kachhwai :** Will the Minister of **Parlimentary Affairs and Labour** be pleased to state the loss suffered by Central Government in terms of moneys and production, separately as a result of the recent strike by state Government employees in Bombay and Maharashtra ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): Matters relating to State Civil Services come within the Jurisdiction of the State Government, the Ministry of Labour have no information about the loss in terms of money and production as a result of the recent strike by State Government employees.

भुज और हैदराबाद (सिंध) के बीच बस सेवा

7563. **श्री अनंत दवे :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार हो रहा है तथा दोनों देश वाणिज्यिक और सामाजिक आदान-प्रदान के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) क्या भुज-खावड़ा और हैदराबाद (सिंध) के बीच अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इनमें से कुछ कदम पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर उठाये गये हैं और वे दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों में सम्मिलित हैं। 1975 के व्यापार करार पर दोनों ओर के प्रतिनिधिमण्डल अगले माह के शुरू में इस उद्देश्य से विचार-विमर्श करेंगे कि व्यापार विकास संवंधित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिये । सरकार ने यात्रा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की । सरकार ने दोनों देशों के बीच खेलकूद के क्षेत्र में हाल ही में हुए आदान-प्रदान का तथा पाकिस्तानी कलाकारों की भारत यात्रा का स्वागत किया है। सरकार यह आशा करती है कि भारतीय कलाकारों तथा अन्य पेशे के लोगों का भी पाकिस्तान की यात्रा करना संभव होगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत तथा पाकिस्तान के बीच यात्रा द्विपक्षीय समझौतों से नियंत्रित है जो, इस समय, दोनों देश के राष्ट्रीक को एक दूसरे देश में हवाई जहाज तथा रेल और कुछ निश्चित स्थलों पर सड़क द्वारा सीमा पार करने की अनुमति देते हैं। फिर भी, एक देश से दूसरे देश को वाहन ले जाने-लाने के संबंध में कोई समझौता नहीं है।

सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन देने के लिए मशीनरी

7565. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने हाल ही में सामूहिक सौदेबाजी के बारे में सरकार को यह सुझाव दिया है कि श्रम मंत्रालय को राज्य सरकारों और राष्ट्रीय श्रमिक संघों के साथ परामर्श कर के सामूहिक

सौदेबानी की व्यवस्था करनी चाहिये तथा नियोजकों को सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन देने के लिये मशीनरी बनानी चाहिए तथा इसे औद्योगिक विधेयक में स्थान दिया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क): जी हां।

(ख) व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक के समक्ष संदर्भ में इस सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जा रहा है।

Survey of Sagar Division

7566. **Shri Narmada Prasad Rai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of surveys to locate the minerals resources in the Sagar division, and whether the Government have formulated any scheme to set up big industries based on these surveys and if so, the types thereof;

(b) industries now to be set up in Sagar division;

(c) whether the schemes have been formulated to exploit the raw materials like copper iron and cement available in abundance in Sagar division and the resasons of not implementing those schemes; and

(d) the measures being taken by Government to survey and find out conclusively the raw materials like copper in Hirapur, Bunda, Dhamoni, Gadhodogri, iron in Tedurkhera, Shahgarh, Gadhadogri and Cement in Bhangarh lidhera (Khurd), Malthon ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) (a) Geological Survey for locating minerals is a continuous process. However, in the recentye ars surveys carried out in Sagar Division include investigations for basemetals, phospharite, and uranium minerals in Sagar and Chhatarpur districts and for pyrophyllite in Tikamgarh district. Currently Geological Survey of India is investigating for phosphqrite in Hirapur area in Sagar and Chhatarpur districts and for basemetal in Salaiya area, Chhatarpur district. State Department of Geology and Mining is investigating for pyrophyllite in Tikamgarh district. The investigations are at preliminary stage. As such, the question of setting up of industries based on these surveys is premature at this stage.

(b) & (c) Information awaited from State Government.

(d) As the copper occurrences in Hirapur in Bunda tehsil and those of iron in Tedurkhera, Shahgarh etc. are not significant, at present there is no programme of further investigations of these occurrences by Geological Survey of India.

पंजाब सर्किल में 1978-79 में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या

7567. **डा० बलदेव प्रकाश:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सर्किल में 1978-79 में (उप डाकघरों सहित) कुल कितने डाकघर खोले जाने हैं ;

(ख) क्या चौक रतन सिंह अमृतसर के निवासियों का इस चौक में एक डाकघर खोले जाने की कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ग) यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या यह सच है कि सबसे समीप डाकघर इस बस्ती से 4 किलोमीटर दूर है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) उत्तर पश्चिम सर्किल में वर्ष 1978-79 के दौरान 200 शाखा डाकघर खोलने का अस्थायी प्रस्ताव है । उप डाकघर खोलने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि जहां औचित्य सिद्ध होता है ये खोल दिये जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चौक रतन सिंह अमृतसर में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया था।

(घ) नजदीक का मौजूदा डाकघर अर्थात् सेठ जगत बन्धु रोड डाकघर चौक रतन सिंह से करीब 2 फलांग की दूरी पर है।

Gum Paste on Postal Material

†7568. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the gum paste applied on the portions to be stuck of postal material supplied nowadays is so thin that people find it difficult to stick envelop, inlands, etc; and

(b) if so, whether Government have given a thought to this problem ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) & (b) There is no such general complaint. However measures are being taken for improving the quality of gum. Stricter quality control in the application of gum on the machines is being resorted to and all possible efforts are made for imporving the process.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश/इलाज के लिए उपकर लगाया जाना

7569. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रवेश/इलाज के लिए आने वाले रोगियों से किसी तरह का उपकर लिया जाता है. यदि हां, तो उसके तथ्य और आधार क्या है;

(ख) क्या अधिकांश रोगी उचित उपकर का भुगतान न करने के लिए अपनी आय के वास्तविक आंकड़े नहीं बताते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को राजस्व की हानि न होने देने के लिए इस व्यवस्था को त्रुटिरहित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) (1) पहली बार जाने पर 50 पैसे का ओ० पी० डी० शुल्क लिया जाता है ।

(2) उपचार के लिए कोई उपकर नहीं लिया जाता है किन्तु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल के जनरल वार्डो में भर्ती होने के लिए 2/- रुपये का और प्राइवेट वार्डो में भर्ती के लिए 5 रुपए का उपकर लिया जाता है ।

(3) उपचार के लिए कोई उपकर नहीं लिया जाता है यद्यपि जिन रोगियों की मासिक आय 500/- रुपये और इससे अधिक होती है, उन्हें ई० ई० जी०, ई० सी० जी० एक्स-रे जांचों आदि सहित विभिन्न जांचों पर होने वाला आनुपातिक खर्च वहन करना पड़ता है । तथापि, 500 रुपये और इससे अधिक की मासिक आय वाले रोगियों के संबंध में शल्य चिकित्सा सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर कुछ शुल्क लिया जाता है ।

(ख) रोगी अपनी मासिक आय जितनी बताते हैं वह प्रमाणिक मान ली जाती है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

माईनिंग स्कूल क्योंझार (उड़ीसा) से डिप्लोमाधारियों की रोजगार के लिए पात्रता

7570. **श्री गोविन्दा मुण्डा**: क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो छात्र माईनिंग स्कूल, क्योंझार (उड़ीसा) से माईनिंग डिप्लोमा प्राप्त करते हैं तब तक रोजगार पाने के पात्र नहीं है जब तक कि वे धनबाद से अतिरिक्त क्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते ;

(ख) यदि हां, तो रोजगार पाने के लिये ऐसी दूसरी परीक्षा आवश्यक होने के क्या कारण है ;

(ग) उक्त नीति के कारण प्रतिवर्ष कितने छात्र प्रभावित होते हैं ; और

(घ) ऐसे छात्रों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने हैं ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं । खनन स्कूल, क्योंझार से खनन में डिप्लोमा पास करने वाले विद्यार्थी पात्र हैं, जबकि वे सिरदार, मेट, ओवरमन, फोरमैन या सर्वेक्षक के रूप में कार्य करने का निर्धारित अनुभव रखते हों। तथापि उनको वरिष्ठ पर्यवेक्षी पद अर्थात सहायक प्रबन्धक, या प्रबन्धक के रूप में नियोजित करने से पहले, उन्हें प्रबन्धक प्रमाण-पत्र की परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा का आयोजन कोयला तथा धातुत्पादक खान विनियमनों के अधीन गठित खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(ख) खनन एक जोखिमी व्यवसाय है और नियत समय में खानों में काफी संख्या में व्यक्ति नियोजित किये जाते हैं । इन व्यक्तियों की सुरक्षा खनन कार्यों की सुरक्षा पर निर्भर करती है । चूंकि वरिष्ठ पर्यवेक्षी कार्मिकों को सुरक्षा कार्यों को करने में कनिष्ठ पर्यवेक्षक कार्मिकों का मार्गदर्शन करना पड़ता है । इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसी हैसियत में कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनकी व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर जांच की जानी चाहिये ।

(ग) लगभग 20 उम्मीदवार प्रभावित हुये ।

(घ) खनन इंजीनियरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी संयुक्त बोर्ड ने खनन स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों को शिकायतें देने के प्रश्न पर विचार किया। बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर खनन डिग्री और डिप्लोमा–धारियों को कुछ रियायतें पहले ही 1974 में दी गई थी। तथापि, कोयला खान विनियमन, 1957 और धातुत्पादक खान विनियमन, 1961 के विनियम 17 के अधीन उड़ीसा खनन स्कूल, क्योंझार द्वारा प्रदान किए गए खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

रानीगंज-कलकत्ता के बीच एस०टी०डी सेवा का कार्य न करना

7571. **श्री कैलाश प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज-कलकत्ता के बीच एस०टी०डी टेलीफोन लाइन तथा साधारण ट्रंक लाइन कब से काम नहीं कर रही है ; और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयले की सप्लाई के लिए रानीगंज क्षेत्र मुख्य केन्द्र है इस क्षेत्र में निर्बाध टेलीफोन सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) रानीगंज-कलकत्ता उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग टेलीफोन लाइन और साधारण ट्रंक लाइन संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Criteria for Nominations in T.A.C.

†7572. **Shri Ramjiwan Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased state :

(a) the rules and the criteria laid down for nominating persons on the Telephone Advisory Committee; and

(b) whether the Telephone Advisory Committee set up before the promulgation of Emergency has since been reconstituted and if not, the reasons therefor ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasadi Sai) : (a) Copy of the rule as applicable now are placed on the table of the House.

(b) Out of total of 50 TACs to be reconstituted as per revised policy, 20 have been constituted and the remaining are under processing.

[Placed in Library See No. LT 2143/78]

Telephone Connection to Milk Producers Cooperative Society of Jagannathpura Gujarat

†7573. **Shri Motibhai R. Chaudhary** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) when a demand for providing a telephone connection from Sidhpur Telephone Exchange was received from the Milk Producers Cooperative Society of Jagannathpura Village;

(b) whether the Society deposited money with the telephones department as required under O.Y.T. Scheme with the hope of getting telephone connection early and if so, the reasons for not providing telephone conncetion to it so far; and

(c) the time taken in providing telephone connection under the O.Y.T. Scheme after the requisite amount has been deposited and when the same is now proposed to be given ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) The demand for telephone connection from Sidhur Exchange was received from Milk Producers Cooperative Society of Jagannathpura village on 5-9-1977. as O.Y.T.

(b) Yes Sir, the Society deposited Rs.3000/-on 5-9-1977 as O.Y.T. deposit and the telephone connection was provided on 5-12-1977.

(c) Telephone was provided after a period of 3 months of O.Y.T. deposit. The delay has been due to the time taken for procurement of requisite stores.

भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा रेलवे को दिया गया विलम्ब शुल्क

7574. **श्री सी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने को रेलवे विलम्ब शुल्क के रूप में बड़ी राशि देनी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी राशि दी गई और इसके लिये कौन उत्तरदायी है; और

(ग) ऐसे व्यय से बचने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) 1-4-1973 से 31-3-1977 तक चार वर्ष की अवधि में भिलाई इस्पात कारखाने ने विलम्ब-शुल्क के रूप में रेलवे को 244.19 लाख रुपये दिए हैं जबकि रेलवे का क्लेम 781.14 लाख रुपए था। भिलाई इस्पात कारखाने ने रेलवे के विवादास्पद क्लेम के लिए अस्थायी तौर पर 269.51 लाख रुपए का एक और भुगतान किया है। रेलवे द्वारा इस्पात कारखानों से विलम्ब-शुल्क अन्य बातों के साथ-साथ वैगन फ्री टाइम अलाउंस तथा प्रति वैगन प्रतिदिन की विलम्ब-शुल्क की दरों के आधार पर लिया जाता है और इसका सम्बन्ध इस्पात कारखानों में परिचालन परिमाण तथा व्यवस्था और उसके लिए उपलब्ध सुविधाओं आदि से है। वर्तमान अपर्याप्त फ्री टाइम आलाउंस के अलावा रेलवे ने 1-5-1973 से विलम्ब-शुल्क की दर में भी तीन गुना वृद्धि कर दी है। एक अन्तः मंत्रालय समिति का गठन किया गया है जो इस्पात संयंत्र परिचालन का अध्ययन करेगी तथा युक्तिसंगत वैगन फ्री टाइम आलाउंस के बारे में सिफारिश करेगी।

कैनारी द्वीपसमूह से भारतीयों का निकाला जाना

7575. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 अप्रैल, 1978 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि केनारी द्वीपसमूह से 14 भारतीयों को निकाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह क्या सच है कि उनके निकाले जाने का कोई कारण नहीं बताया गया; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) इन्हें निष्कासित किये जाने का कारण यह था कि इनके पास न तो वैध वीजा था, न कार्य परमिट और न रिहायशी परमिट।

(ग) हमारे राजदूतावास ने इस मामले को स्पेन के गृह और विदेश-कार्य मंत्रालय के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया था और उनपर इस बात का जोर दिया था कि कनारी द्वीप में रहने और कार्य करने वालों के प्रति वे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनायें। स्पेनी प्राधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीयों के विरुद्ध कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं बरती जाएगी।

Non-Deposit of P.F. by Niranjan Weaving Mill, Surat

7576. **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labou** be pleased to state :

(a) whether the proprietors of the Niranjan Weaving Mill in Surat of Gujarat have not deposited the Provident Fund of their workers including their share to the fund, for the last many years;

(b) if so, the amount thereof and the reasons therefor; and

(c) whether Government have taken any action against the proprietors of the mill under the relevant laws for not depositing the povident fund and if so, when and the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha : The Provident. Fund. Authorities have reported as under :—

(a) M/s. Niranjan Mills Private Limited, Surat, an exempted establishment under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, have transferred the total provident fund contributions upto January, 1978 to their Board of Trustees.

(b) and (c) Do not arise.

प्राइवेट मेडिकल कालेजों में शिक्षा का स्तर

7577. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्राइवेट मैडिकल कालेजों में शिक्षा का स्तर गिर गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये मैडिकल कालेज छात्रों से भारी धनराशियां लेकर अपना कार्य चला रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा आल इण्डिया मैडिकल एसोसिएशन से विचारों का आदान-प्र दान किया है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में प्राइवेट मेडिकल कालेजों के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कुछेक प्राइवेट मैडिकल कालेज अपेक्षित स्तर के नहीं है ।

(ख) प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे मेडिकल कालेज छात्रों से अत्याधिक अध्ययन शुल्क ले रहे हैं और उनमें से कुछ कालेज तो प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा दान भी ले रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आंध्र प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के मेडिकल कालेजों का काम अपने हाथ में ले लिया है। कर्नाटक सरकार ने अभी इस मामले में कार्य करना है ।

मैंगनीज लौह-अयस्क आदि खानों में मजदूर

7578. **श्री सुखेन्द्र सिंह**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश में मैंगनीज अयस्क, लौह-अयस्क, डोलोमाइट तथा चूना-पत्थर की खानों में क्रमशः कितने-कितने मजदूर हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त हुई विवरणियों के अनुसार दिसम्बर, 1977 के महीने में मध्य प्रदेश में इन खानों में लगाए गए दैनिक मजदूरों की औसतन संख्या इस प्रकार थी :--

मैंगनीज अयस्क की खानें	5,622
लौह अयस्क की खानें	17,411
डोलोमाइट की खानें	4,130
चूना-पत्थर की खानें (मुख्य खनिज के रूप में)	7,875

भागलपुर में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

7579. **डा० रामजी सिंह**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष धनराशि नियत किये जाने के उपरान्त भी भागलपुर में डाक तथा तार के कर्मचारियों के लिये कोई क्वार्टर नही बनाये गये;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के लिये दोषी कौन है और क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने वाली है;

(ग) क्या इन क्वार्टरों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ होगा; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी नहीं। वर्ष 1977-78 के दौरान स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई निधियां नियत नहीं की गई थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भागलपुर में 74 स्टाफ क्वार्टर हैं और वहां कर्मचारियों की संख्या लगभग 420 है। इस प्रकार वहां के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की उपलब्धता 17.6 प्रतिशत है जबकि इसका अखिल भारतीय औसत 6.5 प्रतिशत है। 1978-83 की योजना के दौरान अन्य स्थानों के प्रस्तावकों के साथ भागलपुर में कुछ और क्वार्टर बनवाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(घ) इस प्रारंभिक स्थिति में कोई तारीख निर्धारित करना संभव नहीं है।

74 नजरबन्दियों को वापस लेने में पाकिस्तान का इंकार

7580. **श्री के० मालन्ना**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने जम्मू और काश्मीर के विभिन्न जेलों में इस समय 74 नजरबन्द व्यक्तियों को वापस लेने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने इस बारे में उनके मंत्रालय से भी सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) : जम्मू-काश्मीर के राज्यों में नजरबन्द पाकिस्तानियों के देश-प्रत्यावर्तन के लिए जम्मू-काश्मीर की सरकार ने विदेश मंत्रालय से सहायता मांगी है। जम्मू-काश्मीर में तथा दूसरे राज्यों में नजरबंद पाकिस्तानी राष्ट्रकों की सूचियां विदेश मंत्रालय को पहले ही प्राप्त हो गई थीं। ये सूचियां पाकिस्तानी प्राधिकारियों को भी दी जा चुकी हैं।

चालू वर्ष के दौरान मंगलौर में इस्पात कारखाना

7581. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष अर्थात् 1978-79 में मंगलौर में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व आरम्भ करना

7582. **श्री मनोहर लाल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार ने प्रबन्ध में कर्मकारियों के प्रतिनिधित्व की नीति की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ई० पी० एफ० संगठन के सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज में आल इण्डिया ई० पी० एफ० स्टाफ फैडरेशन से कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम में संशोधन होने तक कम से कम दो प्रतिनिधि मनोनीत करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता के सिद्धांत के प्रति सरकार वचनबद्ध हैं और वह श्रमिकों की सहभागिता की कोई ऐसी योजना शुरू करने के लिए उत्सुक हैं जो कारगर तथा अर्थपूर्ण हो। इस नीति के अनुसार केन्द्रीय श्रम और संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1977 में एक समिति नियुक्त की गई थी। आशा है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह कहना समयपूर्व होगा कि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नामित किया जाएगा।

Linking of Supaul and Virpur with Patna

†7583. **Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Supaul and Virpur are sub-divisional headquarters and also headquarter of Kosi Project and have their strategic importance also due to their being on Indo-Nepal border;

(b) whether they have a telephone exchange, but are not linked with Patna by direct telephone system as a result of which telephone subscribers are facing great difficulty; and

(c) if so, the steps proposed in this regard ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) :(a) Supaul & Virpur are Sub Divisional Head Quarters and are near the Indo-Nepal Border. Virpur is also the head quarters of Kosi Project.

(b) & (c) Supaul exchange is connected by direct ect. to Saharsa & Virpur exchange to Forbesganj. Saharsa and Forbesganj are connected to Patna ondirect circuits. The traffic between (a) Supaul and Patna, and (b) Virpur and Patna is too small to justify provision of direct telephone circuits.

देश में खनिजों के सर्वेक्षण के लिए नये कार्यक्रम

7584. **श्री बलदेव सिंह जलरोतिया**: क्या इस्पात और खान मंत्री 17 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 638 के उत्तर के सम्बन्ध में जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकार खनिज विकास तथा खुदाई के नये कार्यक्रमों को पूरा करना स्थगित नहीं किया है, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खानों के सर्वेक्षण विकास तथा खुदाई के लिये क्या मानदंद अपनाया जाता है;

(ख) क्या केरल, बिहार उड़ीसा तथा आसाम में ही नहीं परन्तु शेष राज्यों में भी, विशेषकर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल जैसे पिछड़े राज्यों में, खानों के सर्वेक्षण का विकास करना मंत्रालय का कार्य नहीं है ताकि छिपी सम्पदा को निकाल कर इन राज्यों को विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें ;

(ग) जब कोई संवैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है तब क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों में सर्वेक्षण करने से रोकने का कोई आधार है; और

(घ) क्या यह बात मंत्रालय की जानकारी में है कि जम्मू की तहसील रियासी में फराख में, और डोड जिले में सनका गांव के निकट मालड़ी में तथा सलाल और राजौरी के निकट लोहे की खानें हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ख) इस संबंध में समान अतारांकित प्रश्न संख्या 3204 के लिए लोक सभा में 8 दिसम्बर, 1977 को दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। फिर भी, अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) खनिज स्रोतों के सर्वेक्षण के मानदण्ड भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था के केन्द्रीय प्रोग्रामिंग बोर्ड द्वारा पूर्ण विचार विमर्श और व्यापक सलाह मशविरा के बाद निर्धारित कार्यक्रमों पर आधारित होते हैं, जिसमें संबद्ध राज्य सरकारों, खनन और खनिज संसाधनो के विकास में लगे सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रतिनिधि और गैर-सरकारी तकनीकी विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा सर्वेक्षण कार्यक्रम राज्य प्रोग्रामिंग बोर्ड के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। खानों और खनिज आधारित उद्योगों के विकास के मानदण्ड भी देश की आवश्यकताओं के अनुरूप पंच वर्षीय योजना में उल्लिखित प्राथमिकताओं, निर्यात संभावनाओं तथा खनन कार्य और खनिज आधारित उद्योगों की अर्थवत्ता को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं ।

(ख) देश में खनिज स्रोतों की खोज और सर्वेक्षण का कार्य केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों विशेष रूप से भारतीय भूसर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम द्वारा किया जाता है इसके साथ-साथ राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा भी इसी प्रकार के सर्वेक्षण और खोज कार्य किए जाते हैं खनिज खान और खनिज (विनियन तथा विकास) अधिनिमम की अनुसूची में आते हैं, उनके खनन और बिकास आदि कार्य सामायन्तः केन्द्रीय सरकार के निगमों द्वारा किया जाता हें जबकि अन्य खनिजों से संबंधित विकास कार्य राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अथवा निजी खान मालिकों द्वारा किया जाता हैं ।

(ग) जी नही ।

(घ) जम्मू कश्मीर में अनन्तनाग, रायसी और लद्दाख जिलो में लौह-अयस्क और पुरानी खदानों के होने की सूचना मिली हैं लेकिन फराख, मालदी, सलाल और राजौरी में लौह अयस्क के लिए निकट अतीत म कोई खनन कार्य नहीं हआ है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए०आई०आई०एम०एस०) में अन्य राज्यों से आने वाले रोगियों को इलाज में प्राथमिकता देना

7585. **श्री निर्मल चन्द जैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०) में कोई ऐसी व्यवस्था है कि अन्य राज्यों से आने वाले रोगियों (अन्तरंग और बहिरंग) को उनकी जांच और इलाज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ख) क्या यह सच है कि "सीरम इलैक्ट्रोफोरेसिस" के रूप में एक अत्यन्त साधारण परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(घ) क्या रोगियों को "सीरम इलैक्ट्रोफोरेसिस" परीक्षण के लिए उपरोक्त संस्थान के क्लिनिकल पैथालोजी में पहले भेजा जाता है और 8 दिन बाद उन्हें बताया जाता है कि ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया गया है; और

(ङ) सरकार का विचार इस प्रकार के समय की आपराधिक बरबादी के लिए क्या प्रस्तावित कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं, जिन परीक्षणों के लिए समय लेने की जरूरत होती है उन्हें पहले आए पहले पाए के आधार पर किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए एक रजिस्टर रखा जाता है।

(ख) "सीरम इलेक्ट्रोफारेसिस" अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में स्थित तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं में ऐसे मामलों में किया जाता है जिनमें रोग का पता लगाने के लिए यह निश्चित रूप से उपयोगी होता है अथवा यह परीक्षण विशिष्ट क्लिनिकी समस्याओं के लिए जरूरी होता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संस्थान ने यह पुष्टि की है कि रोगियों को इस परीक्षण के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की क्लिनिकल पैथालोजी में नहीं भेजा जाता है।

हिन्द महासागर में नौसैनिक अभ्यास

7586. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष से छोटे देशों सहित विभिन्न देशों के नौसैनिक अभ्यास बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या है और हिन्द महासागर में विदेशों के बढ़ते हुए नौसैनिक अभ्यास को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(ग) हिन्द महासागर के बारे में नई सरकार की नीति क्या हैं और क्या इस विषय पर हमारे देश के विचार बड़ी ताकतों को बता दिये गये ; हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर विदेशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, नहीं। सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है।

(ख) इसका प्रश्न नहीं उठता। लेकिन इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विदेशों द्वारा खुले समुद्र में नौसैनिक अभ्यास करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है और जब तक शांति के क्षेत्र की स्थापना नहीं हो जाती तब तक इस प्रकार के अभ्यासों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता।

(ग) और (घ) हिन्द महासागर के संबंध में सरकार की नीति विभिन्न अवसरों पर बतायी जा चुकी है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इससे भलीभांति परिचित है। सरकार हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र की स्थापना से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के सकल्पों का समर्थन करती है और यह चाहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इन संकल्पों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करें जिससे कि हिन्द महासागर में सभी तरह की विदेशी सैनिक उपस्थिति, जिससे तनाव और प्रतिद्वन्द्विता की भावना अनिवार्यतः जन्म लेती है, समाप्त हो जाए। सरकार ने बड़े राष्ट्रों से और हिन्द महासागर का नौवहन की दृष्टि से उपयोग करने वाले प्रमुख देशों से अनेक अवसरों पर यह अनुरोध किया है कि वे शांति क्षेत्र की स्थापना की दिशा में अपना पूर्ण सहयोग दें। सरकार ने हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सैनिक उपस्थिति को सीमित करने के विषय में इन दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता का स्वागत किया है और यह आशा व्यक्त की है कि इस परिसीमन के उपरांत पूर्ण विसैन्यीकरण हो जाएगा।

AD HOC Appointments to posts of Class II in P & T Deptt.

†7587. **Shri Nathu Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) how many ad-hoc appointments have been made on the posts of Superintendent and equivalent Class II (Gazetted) Posts in the Department of Posts and Telegraphs;

(b) since when D.P.C. meeting has not been held for such post; and

(c) when the meeting of the D.P.C. is likely to be held in this regard ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) In all 310 posts in various Class-II services of the P & T Department have been filled on ad-hoc basis.

(b) & (c) The position is indicated service-wise :

Postal Supdt. Service Gr. 'B' and Postmaster's Service Gr. 'B' :

The last DPC meeting for selection to the grade of Postal Superintendent's Service Group 'B' was held in September, 1975 and the last DPC for promotion to the Postmaster's Service Group 'B' was held in April, 1974. The rules of recruitment for promotion to Postal Superintendent's Service Group 'B' are being revised in consultation with the Department of Personnel, Union Public Service Commission and the Ministry of Law. The DPC meeting for selection for promotion would be held on the revision of the recruitment rules. The DPC meeting for the Postmaster's Service Group 'B' will also be held alongwith the D.P.C. for Postal Superintendent's Service Group 'B'.

Accounts Officers of Postal Wing :

The Departmentalisation of postal accounts took place on 1-4-76 when a number of officials from the Indian Audit & Accounts Department were transferred to the P & T Department. No DPC has been held so far thereafter. The rules of recruitment for these posts are being finalised and the DPC will be held after the rules of recruitment are notified.

Civil Wing—Asstt. Engineer (Civil)/(Elect) and Asstt. Architects :

A DPC for promotion to the grade of Assistant Engineer (Civil/Electrical) was last held on 20-3-78. In respect of Assistant Architects the last DPC was held on 2-6-76. Proposal in this regard is being ensidered.

Shortfall in Pig Iron Production in Bhilai Steel Plant

7588. **Shri Ram Vilas Paswan** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether pig iron production in the furnace in Bhilai Steel Plant fell short of 1000 to 2000 tonnes daily during the last 8 months;

(b) if so, the amount of loss suffered every day; and

(c) the daily production capacity of the furnace of Bhilai Steel Plant ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) and (b) No, Sir. The average daily production of hot metal from the Blast Furnaces at Bhilai during the last eight months i.e. from August, 77 to March, 78 was 7,473 tonnes which fell short of the target by about 482 tonnes only.

(c) The average rated capacity is 8,137 tonnes per day.

वांडिवाश में उपग्रह टेलीफोन संचार केन्द्र

7589. **श्री सी० वेणुगोपाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या तमिलनाडु के नार्थ आरकट जिले में वांडिवाश में उपग्रह टेलीफोन संचार केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ किया जाएगा और परियोजना पर कितनी लागत आएगी तथा रोजगार अवसरों के लिए क्या गुंजाइस है ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद राय) : (क) तमिलनाडु के नार्थ आरकट जिले में वाडि-वाश नामक स्थान पर उपग्रह दूर-संचार केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Programmes of National Council for Safety in Mines

7590. **Dr. Vasant Kumar Pandit** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the National Council for Safety in Mines was set up for encouraging safety consciousness amongst all categories of mine workers;

(b) whether most of the programmes have now been discontinued and the regional office in Koderma has been closed and the Council also does not arrange any programme in areas other than coal mines; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) Yes Sir. The Organisation was started as a Society under the Societies Registration Act. Originally its activities were confined to coal mines. Later its activities have been extended to mica, iron ore and dolomite mines.

(b) and (c) Some of the programmes of the National Council for Safety in Mine have had to be slowed down as receipts which have grown from Rs. 6,05,200 in 1974-75 to Rs. 10,23,300 in 1976-77 have not been adequate to meet the expenditure. The Governing Body of the Council has decided to withdraw the field unit from Koderma on the understanding that this area would be served by other field units as and when necessary. Publicity material is supplied to this area as required.

ng dead lock in Wage Board for Journalists

7591. **Shri Ugrasen**: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether he has received any memorandum from the Indian Federation of Working Journalists' Association, All India Newspaper Employees' Federation and other Journalists' Organisations intimating the decision of the journalists to go on strike as a protest against bycott of the Wage Board by employers; and

(b) if so, the salient features of the proposals mooted to resolve the deadlock as stated in the reply given to Unstarred Question No. 5889 on the 6th April, 1978 ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) The National Confederation of Newspaper and News Agency Employees' Organisations have forwarded a Resolution adopted by a Convention of the newspaper employees held in Calcutta on the 28th March, 1978. The Resolution, among other things, authorises the Confederation "to chalk out a programme of agitation culminating in an indefinite strike."

(b) The salient features of the proposals made by the employee's organisations at the meeting held on the 27th March, 1978 are that all pending matters before the Wage Boards should be discussed at the bipartite level in order to arrive at a settlement and that all unresolved matters, should be referred to the Chairman of the Wage Boards, for his decision which should be final and binding on both the sides.

पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट, चंडीगढ़ में हड़ताल

7592. **श्री भगत राम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट , चण्डीगढ़ में कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण हड़ताल हुई ;

(ख) कर्मचारियों की मांगें क्या थीं ;

(ग) हड़ताल समाप्त करने के लिये कर्मचारी संघ के साथ क्या समझौता किया गया ; और

(घ) समझौते के किन मुद्दों का क्रियान्वयन कर दिया जा रहा है और शेष मुद्दों पर क्रियान्वयन कब किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) यूनियन की मुख्य मांगें इस प्रकार थीं :—

(1) स्नातकोत्तर संस्थान और चंडीगढ़ के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1973 से केन्द्रीय वेतनमान दिए जाने चाहिएं और साथ ही पंजाब पैटर्न पर इस संस्थान के कर्मचारियों को दिए जा रहे नगर भत्ता, निःशुल्क आवास और धुलाई भत्ता जैसे विभिन्न भत्तों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए;

(2) वर्कचार्ज या दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए ; और

(3) कथित अत्याचारों के शिकार हुए 6 कर्मचारियों के मामले फिर से खोले जाने चाहिएं, मेरिट के आधार पर उनकी जांच की जानी चाहिए और संबंधित कर्मचारियों को बहाल किया जाना चाहिए ।

(ग) स्नातकोत्तर संस्थान और स्नातकोत्तर संस्थान के कर्मचारियों की यूनियन के बीच हुए समझौते की एक प्रति संलग्न है (अनुबंध)।

[पटल पर रखा गया। दखिए संख्या एल० टी०-2144/78]

(घ) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(1) **केन्द्रीय वेतनमान** :—

पंजाब के वेतनमान और भत्ते प्राप्त करने वाले जो कर्मचारी पदोन्नति होने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समतुल्य पदों के वेतनमानों में आते हैं उन कर्मचारियों की सम्पूर्ण परिलब्धियों को सुरक्षित किया जा रहा है ।

(2) वर्कचार्ज और दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करना :

(क) केन्द्रीय रजिस्ट्रेशन कार्यालय में दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे लिपिकों को नियमित करने के लिए लिपिकों के 29 पद बनाने सम्बंधी मामले पर संस्थान विचार कर रहा है।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के 68 कर्मचारियों को, जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली थी, नियमित कर दिया गया है। शेष 20 कर्मचारियों को तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी करते ही नियमित कर दिया जाएगा।

संस्थान में चतुर्थ श्रेणी के 31 और कर्मचारी हैं जो दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं। संस्थान के निकाय इन कर्मचारियों की समस्याओं की जांच करेगा।

(ग) इंजीनियरी विभाग के लिए स्वीकृत 219 पदों में से 97 पदों को हड़ताल से पहले ही नियमित कर दिया गया था। शेष 122 पदों के लिए संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के रोजगार कार्यालय को मांग भेजी गई थी। अब तक उन्होंने इनमें से 105 पदों के संबंध में अनुपलब्ध प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

इंजीनियरी विभाग में दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे लगभग 200 कर्मचारी हैं और उक्त विभाग के कार्यभार की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

(3) कुछेक कर्मचारियों को तंग करना

चार कर्मचारियों अर्थात् सर्वश्री केहरसिंह, श्रीमती सी० के० कमल, नछतर सिंह और आर० के० गुप्ता को बहाल किया जा चुका है।

(4) हड़ताल की अवधि के लिए भुगतान

हड़ताल की अवधि अर्थात् 4 नवम्बर से 11 नवम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को उनके वेतन के बराबर अनुग्रह राशि दे दी गई है। जो कर्मचारी 1 दिसम्बर, 1977 को आधे दिन अनुपस्थित रहे थे उन्हें भी उक्त आधे दिन का पूरा वेतन दे दिया गया है।

आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस तथा पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट चण्डीगढ़ में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को दाखिले।

7593. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज तथा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज चण्डीगढ में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए (एक) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने तथा (दो) न्यूनतम निर्धारित अंकों में इन जातियों के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट देने सम्बन्धी वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन में की गई अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) और (ख) : स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में दाखिले के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने तथा न्यूनतम निर्धारित अंकों में इन जातियों के छात्रों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट देने के बारे में 1973-74 की अपनी रिपोर्ट में की गई अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयुक्त की सिफारिशों अक्तूबर, 1974 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, चण्डीगढ़ के ध्यान में ला दी गई थी ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, कुल स्नातकोत्तर सीटों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और उनके लिए सुरक्षित हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वर्ष से अधिक कार्य किया है, जो चिकित्सा स्नातक पिछड़े इलाकों के निवासी हैं, और वे जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन कार्य कर रहे हैं । निर्धारित न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट भी इन जातियों के उम्मीदवारों को दी जाती है। स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि उसके विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों का 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जाति के लिए 5 प्रतिशत) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जाए तथा इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों में इन जातियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाए ।

भारत अलाय स्टील लिमिटेड, पटना को लाइसेंस

7594. **श्री वीरेंद्र नाथ बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अलाय स्टील लिमिटेड, पटना को स्टेनेलेस स्टील ए० आई० एस० आई० 304 बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो उन्होंने इस प्रकार का इस्पात किस प्रकार बनाना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) क्या यह कम्पनी हिन्दुस्तान स्टील दुर्गापुर की भांति 21400 रुपये प्रति टन के बजाय इस स्टील को 24350 रुपये टन की दर से बेच रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मण्डा) :

(क),(ख),(ग) और (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के महा निदेशक की पदावनति

7595. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के पदासीन महानिदेशक की हाल ही में पदावनति की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एक विभागाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करने में सामान्य तथा सरकारी परम्पराओं और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है :

(ग) महानिदेशक के विरुद्ध उक्त कार्यवाही सरकार ने किन कारणों से की है ; और

(घ) क्या मंत्री महोदय को पता है कि उक्त कार्यवाही से भूगर्भीय विभाग के अधिकारियों में बहुत असंतोष पैदा हो गया है और पुरानी परम्पराओं के अनुसरण में उनकी निष्ठा कम हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पर तत्कालीन पदासीन अधिकारी को, जो परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर था, पदावनत कर दिया गया था क्योंकि महानिदेशक के रूप में उसका कार्य संतोषजनक नहीं था ।

(घ) इस विषय में कुछ अखबारों में खबर छपी है और श्री वर्द्धन सहित कुछ लोगों से अभ्यावेदन भी मिले हैं । यह कहना सही नहीं है कि इस कार्यवाही से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के अधिकारियों में व्यापक असंतोष पैदा हुआ है ।

कोयला खानों में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा

7596. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में मरने वाले व्यक्तियों के मुरिवारों के मआवजे के लिये कितने आवेदन-पत्र इस समय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) सरकार द्वारा उनके निपटान के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० राम कृपाल सिंह) :

(क) : कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन कोयला खानों में काम कर रहे ऐसे श्रमिक, जो प्रतिमास 1,000/- रु० तक की मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं ; दुर्घटनाओं की सूरत में या रोजगार के कारण या रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाली ऐसी व्यावसायिक बीमारियों की सूरत में जिनके परिणामस्वरूप वे विकलांग हो जाएं या उनकी मत्यु हो जाए प्रतिकर के हकदार हैं। मृत्यु के मामलों में, नियोजक को प्रतिकर की राशि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मकार प्रतिकर आयुक्तों के पास जमा करानी पड़ती है ताकि यह राशि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को दी जा सके । विभिन्न राज्यों में आयुक्तों के पास लम्बित पड़े हुए मुआवजे के लिए आवेदन-पत्रों की संख्या के संबंध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) : आन्ध्र प्रदेश सरकार आदि से अनुरोध किया गया है कि, जहाँ कहीं आवश्यक हों, वे अधिनियम के अधीन दावों का निपटारा शीघ्र करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त करने के बारे में विचार करें ।

DIFFERENCE IN DEFINITION ABOUT INDUSTRIAL DISPUTES ACT WITH SUPREME COURT

7597. Dr. Ramji Singh: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the definition of industry accepted by Government and how far does it differ from the definition pronounced by the supreme Court on the 21st February, 1978 ;

(b) whether Government propose to exclude the establishments like Water Supply and Sewage Disposal and Gandhi Ashram from the purview of Industrial Disputes Act ;

(c) if not, whether the above decision of the Supreme Court is likely to have an adverse effect on serveral social and voluntary organisation; and,

(d) whether this will not add to the number of cases of disputes ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) (a) to (d) : The entire question of defining the word 'industry' in the light of the latest judgement of the Supreme Court is under consideration in the context of Comprehensive Industrial Relations Law.

कोयला खानों पर भविष्य निधि की बकाया राशि

7598. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान मालिकों पर भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ख) भविष्य निधि की बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस वसूली को शीघ्रतापूर्वक करने की दृष्टि से कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम में दण्डात्मक उपबन्धों को और कड़ा बनाने के लिये उपयुक्त रूप से संशोधन करने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) :

(क) राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित बकाया राशि 21.56 करोड़ रुपये है जिसमें हरजाने की राशि भी शामिल हैं । राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि के लिए 30 सितम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि लगभग 1 करोड़ रुपये है ।

(ख) राष्ट्रीयकरण से पहले की बकाया राशि के सम्बन्ध में, भुगतान आयुक्तों के समक्ष दावा मामले दायर किए गए हैं । जहाँ तक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् की बकाया राशि का सम्बन्ध है, कोयला कंपनियों से बकाया राशि जमा करने के लिए कहा जाता है, जिसके जमा न कराए जाने की सूरत में कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही की जाएगी ।

(ग) और (घ) : इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

यातायात के लिये नई सिगनल प्रणाली

7599 **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल इंस्टीटयूट आफ ओकूपेशनल हैल्थ (राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान) ने एक ऐसी यातायात सिगनल प्रणाली निकाली है जो वाहनों के आवागमन के लिए हाथ से संकेत देने की कठिनाई से यातायात को बचाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता यातायात प्रणाली नामक यह प्रणाली विद्यत चालित यातायात नियंत्रण प्रणाली से बहुत सस्ती है तथा छोटे नगरों के लिए अधिक उपयुक्त है ; और

(ग) क्या इस प्रणाली को प्रयोग के आधार पर किसी नगर में आरम्भ किया गया है और यदि हाँ, तो इसके कार्यकरण के बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) अहमदाबाद नगर के पुलिस आयुक्त ने इस यूनिट को पाल्डी, अहमदाबाद में 15-3-78 को एक महीने की अवधि के लिए प्रयोगात्मक आधार पर लगाया था । इस यूनिट का कार्य अब तक संतोषजनक रहा है ।

श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4 के पदों का बनाया जाना

7600. **श्री शंकर देवर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान विदेश मंत्रालय में श्रेणी-3 तथा क्षेणी-4 के कितने पद बनाये गये ;

(ख) प्रत्येक पद किस वर्ष और तारीख को बनाया गया और मंजूर किया गया तथा इन रिक्त पदों को किस तिथि को भरा गया ;

(ग) इन में से कितने पदों के लिए विज्ञापन दिये गये ; और

(घ) इन पदों पर प्रतियोगिता तथा चयन समिति के द्वारा कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) 75 पद जिनमें 48 तृतीय श्रेणी के हैं और 27 चतुर्थ श्रेणी के हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा कोई नहीं । लेकिन तृतीय श्रेणी के मंत्रालयी पद भारत सरकार के लिए समग्र रूप से भरती करने वाले निकायों द्वारा विज्ञापित किये जाते हैं । चतुर्थ श्रेणी के पद रोजगार-दफतर के माध्यम से भरे जाते हैं ।

(घ) 51 पद या तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरे गये अथवा इस मंत्रालय में चयन-समितियों/परीक्षाओं के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जिसमें विवेकाधिकार के अधीन नियुक्तियां भी शामिल हैं जिनके अंतर्गत दूसरे मंत्रालय/विभागों में पहले से नियुक्त और इस मंत्रालय के लिए स्थानांतरित कार्मिक भी शामिल हैं । शेष 24 पद अभी खाली हैं ।

विवरण

क्रम सं०	सृजित पदों का नाम	पदों की संख्या	पद सृजन का वर्ष और तिथि	किस तारीख को भरे गये
1	2	3	4	5
1.	अवर श्रेणी लिपिक	2	19-4-1974	29-7-1975
				––वही––
2.	आशुलिपिक	1	19-4-1974	16-4-1974
3.	शोफर	1	24-9-1974	27-5-1975

1 2	3	4	5
4. उच्च श्रेणी लिपिक	2	11-10-1974	11-10-1947
			—वही—
5. अ० श्रेणी लिपिक	2	11-10-1974	11,10-1974
			—वही—
6. चालक	1	11-10-1974	11,10-1974
7. जमादार	1	11-10-1974	11-10-1974
8 चपरासी	3	11-10-1974	11-10-1974
			—वही—
			—वही—
9. शोफर	1	25-11-1974	1-7-1975
10. चपरासी	3	26-11-1974	अभी नहीं भरे गए
11. आशुलिपिक	1	16-12-1974	12-3-1974
12. शोफर	1	16-12-1974	18-9-1976
13. अ०श्रे०लि०	1	11-2-1975	11-2-1975
14. शोफर	1	1-3-1975	अभी नहीं भरा गया
15. अ० श्रे० लि०	1	8-4-1975	25-10-1975
16. जमादार	1	8-4-1975	29-12-1975
17. चपरासी	2	8-4-1975	8-4-1975
			एक नहीं भरा गया
18. चपरासी	1	2-8-1975	2-8-1975
19. अ० श्रे० लि०	1	10-9-1975	18-10-1976
20. सुरक्षा गाड	1	17-9-1975	22-1-1976
21. शोफर	1	31-10-1975	13-12-1977
22. शोफर	1	31-10-1975	18-6-1976
23. अ० श्रे० लि०	1	29-12-1975	अभी नहीं भरा गया
24. शोफर	1	29-12-1975	4-3-1976
25. दफ्तरी एवं गेस्टेटनर प्रचालक	1	30-12-1975	28-3-1977
26. अ० श्रे० लि०	1	29-1-1976	18-10-1976
27. अ० श्रे० लि०	1	25-2-1976	18-10-1976
28. भंडार परीक्षक	2	31-5-1976	1-8-1976
			—वही—
29. शोफर	2	7-7-1976	10-10-1977
			अभी एक नहीं भरा गया
30. शोफर	2	31-7-1976	18-11-1977
			2-12-1977

1	2	3	4	5
31.	शोफर	1	3-8-1976	2-1-1978
32.	शोफर	1	27-8-1976	1-2-1978
33.	शोफर	1	21-9-1976	19-11-1977
34.	दफ्तरी	2	19-10-1976	अभी नहीं भरे गए
35.	चपरासी	4	19-10-1976	अभी नहीं भरे गए
36.	सुरक्षा गार्ड	1	9-2-1977	9-2-1977
37.	शोफर	2	15-2-1977	1-3-1977 अभी एक नहीं भरी गई
38.	शोफर	1	28-3-1977	7-11-1977
39.	शोफर	1	16-5-1977	अभी नहीं भरी गई
40.	सुरक्षा गार्ड	1	6-6-1977	6-6-1977
41.	शोफर	5	21-6-1977	18-7-1977 15-10-1977 18-10-1977 1-11-1977 14-11-1977
42.	चपरासी	1	23-8-1977	23-8-1977
43	शोफर	1	20-9-1977	अभी नहीं भरी गई
44.	शोफर	1	20-9-1977	अभी नहीं भरी गई
45.	तकनीशियन	1	1-10-1977	22-2-1978
46.	सुरक्षा गार्ड	1	4-10-1977	अभी नहीं भरी गई
47.	शोफर	1	19-10-1977	4-3-1978
48.	सुरक्षा गार्ड	2	22-10-1977	22-10-1977 22-10-1977
49.	शोफर	1	2-11-1977	अभी नहीं भरी गई
50.	शोफर	1	2-12-1977	अभी नही भरी गई
51.	शोफर	1	23-1-1978	अभी नहीं भरी गई
52.	सुरक्षा गार्ड	1	25-1-1978	अभी नहीं भरी गई
53.	शोफर	1	24-2-1978	अभी नहीं भरी गई
54.	सुरक्षा गार्ड	1	28-2-1978	अभी नहीं भरी गई

जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक की गणना करने के लिये ध्यान में रखी जाने वाली वस्तुयें

7601. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि ;

(क) जनवरी और फरवरी, 1978 के महीनों में 12 महीने का औसत जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक क्या था ; और

(ख) जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक की गणना करते समय जिन वस्तुओं के मूल्यों को लिया जाता है उसका ब्यौरा क्या है तथा इस प्रक्रिया में प्रत्यक वस्तु को कितना महत्व दिया जाता है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण (1 और 2) संलग्न हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2145/78]

पूर्व-पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग

7602 **श्री पी० राजगोपाल नायडू**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग (महाद्रमार्ग को केन्द्रीय सरकार वाला भाग) पर कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितने पुलों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ग) यह कौन से चरण तक पूरा हो गया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां । पूर्व-पश्चिमी राजमार्ग के मध्य महेन्द्र राजमार्ग पर निर्माण कार्य 1972 में आरंभ किया गया था ।

(ख) इस सड़क पर 127 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

(ग) परियोजना का 62% कार्य पहले ही पूरा हो चुका है । शेष कार्य चल रहा है और दिसम्बर, 1981 तक इस कार्य के पूरा हो जाने की आशा है ।

जमा राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि

7603. **श्री चित्त बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि बोर्ड ने जमा राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि करने और अंशदाताओं को ऋण आदि देने से सम्बन्धित अन्य संशोधन किये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

वियतनाम के साथ व्यापार करार

7604 **श्री धर्मवीर वशिष्ट**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियतनाम के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच कितने और किस प्रकार के व्यापार और अन्य करारों पर हस्ताक्षर किये गये; और

(ख) भारत द्वारा प्रस्ताविक तीन लाख टन गेहूं और उसके पुनः भुगतान के बारे में क्या ब्यौरा है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू (क) : वियतनाम समाजवादी गणराज्य के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार हूए थे :

(1) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग सम्बन्धी करार ।

(2) विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग-सम्बन्धी करार ।

(3) कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी करार ।

(4) भारत से आपूर्तियों निमित्त वित्त की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार से वियतनाम सरकार को दस करोड़ रुपये का ऋण देने का करार।

इसके अतिरिक्त दोनों सरकारों में सिद्धांत रूप से इस बारे में भी सहमति हुई थी कि वियतनाम को 30 करोड़ रुपये का भारतीय बुक व्यवस्था से भी ऋण दिया जाएगा और भारत सरकार वियतनाम की सरकार को 300,000 टन गेहूं का ऋण भी देगी ।

(ख) इसका ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

सोवियत संघ के साथ सहयोग के क्षेत्र

7605 **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में सोवियत संघ के एक दल की यात्रा के परिणामस्वरूप अर्न्तशासनिक भारत-सोवियत आयोग के चौथे सत्र के दौरान सहयोग के नये क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेंद्र कुण्डू) : (क) और (ख) जी, हां । 2 से 6 मार्च, 1978 तक नई दिल्ली में भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में सहयोग के निम्नलिखित नये क्षेत्रों के बारे में बातचीत हुई :

(1) सोवियत सहायता से भारत में स्थापित इस्पात संयंत्रों तथा मशीन-निर्माण संयंत्रों की प्रौद्योगिकी तथा उपस्कर को अद्यतन बनाना । सम्बद्ध भारतीय तथा सोवियत संगठनों के बीच सहयोग का एक ठोस कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

(2) फाउन्ड्री ग्रेड पिग आयरन के उत्पादन के लिए पत्तन-आधारित निर्यातोन्मुखी धमन भट्टी परिसर की स्थापना जिसका ब्यौरा 1978 के मध्य तक तैयार हो जाने की आशा है ।

(3) आंध्र प्रदेश में, प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 600,000 टन ऐल्यूमिना उत्पादन-क्षमता के एक ऐल्यूमिना संयंत्र की स्थापना । उक्त बैठक में बाक्साइट भंडार के मूल्यांकन

के सम्बन्ध में और एक विस्तृत सम्भावयता रिपोर्ट तैयार करने के बारे में संविदाओं पर हस्ताक्षर किये गये ।

(4) भारत द्वारा निर्धारित किये जाने वाले भंडारों से बहु-धात्विक अयस्क का संसाधन तथा सुकिन्दा (उडीसा) भंडारों के लाइमनाइट अयस्क वाले निकल का संसाधन । इसके सम्बन्ध में सम्भावयता रिपोर्ट तैयार करने से सम्बद्ध ब्यौरा बाद में तैयार किया जायेगा ।

दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग-कार्यक्रम तैयार करने के बारे में भी बातचीत हुई, जैसा कि अक्तूबर 1977 में हमारे प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत-सोवियत संयुक्त घोषणा में परिकल्पित है। इस प्रयोजन के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया जा रहा है।

सरकार द्वारा आयोजित संसद सदस्यों के अध्ययन दौरे

7606. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान संसद सदस्यों के अध्ययन दौरे आयोजित किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1977-78 के दौरान निम्नलिखित सरकारी उपक्रमों के संसद सदस्यों के दौरों को संसदीय कार्य विभाग द्वारा समन्वित किया गया :—

(1) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, जंगपुरा, नई दिल्ली।

(2) मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली।

(3) ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किसान दिवस।

(5) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला।

(6) जूट तकनीकी, अन्तर्देशीय मत्स्य संस्थानों, परियोजनाओं और विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कलकत्ता, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान/अन्तर्देशीय मत्स्य संस्थान, कटक, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (अन्तर्देशीय मत्स्य), भुवनेश्वर और पुरी केन्द्र आदि।

(7) रक्षा उत्पादन अनुसंधान और विकास स्थापनाएं—

(क) देहरादून-अम्बाला-बंगलौर-चंडीगढ़-लेह।

(ख) बम्बई-पुणे-हैदराबाद-बंगलौर।

(ग) मद्रास-विशाखापट्टनम-कलकत्ता-तेजपुर।

(8) होटल प्रबन्ध का संस्थान तथा केन्द्रीय तकनीकी/केन्द्रीय मत्स्य संस्थान, बम्बई कृषि विज्ञान केन्द्र, कोसबाद, केन्द्रीय जल अनुसंधान संस्थान और कृषि महाविद्यालय, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ पुणे, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी।

(9) केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान प्रयोगशालाएं, जोधपुर, राजकुल परियोजना के केन्द्र, भेड़ और ऊन अनुसंधान और केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान परियोजनाएं, बीकानेर, केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकनगर।

(10) रक्षा उद्योग प्रदर्शनी, नई दिल्ली।

(11) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेला।

सारंगपीपली गांव में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

7607. **श्री धर्मसिंहभाई पटेल:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ जिले के माणावदर तालुका में सारंगपीपली गांव में इस समय कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ; और

(ख) वे वहां कब से हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ जिले के माणावदर तालुके के सारंगपीपली गांव में केवल एक टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहा है।

(ख) यह कनेक्शन वहां 17/1/78 से काम कर रहा है। यह कनेक्शन विविध कार्यकारी सहकारी मंडली सारंगपीपली के अध्यक्ष के नाम में है और माणावदर एक्सचेंज से 20 किलोमीटर की दूरी पर है।

Telephone Connection in Khirsara Ghed Village, Junagadh District

†7608. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether 17 individuals and companies of Khirsara-Ghed village in Keshod Taluka of Junagarh District of Gujarat had deposited Rs. 800 each in the Keshod Post Office on the 25th February, 1976.

(b) if so, the reasons for not providing telephone connections to these people so far ; and

(c) when they are likely to get telephone connections ?

Minister of State For Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) 16 persons have deposited money in Keshod Post Office 13 payments were made on 25-2-76, 1 payment on 26-2-76 and 2 payments on 15-3-76.

(b) & (c) The opening of a small exchange at Khirsaraghed will be financially viable with a minimum of 20 telephone connections. Action to open the exchange would be taken as soon as 4 more parties made the payments.

विदेशों में भारतीय श्रमिकों के लिये काम की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करना

7609. **श्री दुर्गा चन्द:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी में नौकरियों के लिए तैनात किए जाने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत फर्मों और भारत सरकार ने सावधानी के तौर पर क्या उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : जून, 1976 में सरकार द्वारा किए गए नीति निर्णय के अनुसार, कोई भी फर्म संगठन या व्यक्ति विदेश में रोजगार के लिए भारत से कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती नहीं करेगा, जब तक इस उद्देश्य के लिए उसे श्रम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत और विधिवत अनुमोदित न किया गया हो। विदेशी फर्में और संगठन पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है लेकिन श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत किसी भारतीय कम्पनी या संगठन को वे अपनी ओर से काम करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तथापि, ठेके या उप-ठेके के आधार पर परामर्शदाता/निष्पादन कार्य में व्यस्त भारतीय फर्मों या संगठनों को विदेशों में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भर्ती अभिकरणों के माध्यम के बिना सीधी भर्ती करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि रोजगार की शर्त श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई हो।

उपलब्ध सूचना के आधार पर, श्रम मंत्रालय ने प्रत्येक खाड़ी के देश के लिए एक माडल एग्रीमेंट तैयार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी नियोजकों द्वारा श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन, भत्ते, कार्य घंटे, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं, आवास इत्यादि, मुहय्या करने संबंधी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अपने विदेशी नियोजकों की ओर से भारतीय श्रमिकों की नियुक्ति के लिए अनुमति प्राप्त करते वक्त भर्ती एजेंटों द्वारा दिए गए रोजगार ठेकों को जांच-पड़ताल करने के लिए माडल एग्रीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है।

अपने विदेशी नियोजकों की ओर से भर्ती एजेंटों के लिए ऐसा रोजगार करार करना अपेक्षित है, जिसमें रोजगार के विभिन्न पहलू शामिल हों। अनुमति के लिए आवेदन करने से पूर्व, भर्ती एजेंटों को स्वयं इस बात से संतुष्ट होना पड़ता है कि भर्ती किए गए कर्मकारों के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित रोजगार करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में व्यवस्थित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लिखित सभी उपबन्ध शामिल किए गए हों। भर्ती एजेंटों द्वारा भर्ती किए गए कर्मकारों को तथ्यात्मक सूचना देना और जिस देश में उन्हें रोजगार के लिए भेजा रहा है, उसकी शर्तों के बारे में विवरण देना आवश्यक है।

यदि इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हों, तो इसकी उचित प्राधिकारियों द्वारा जांच करवाई जाती है और जांच के परिणामों पर उचित कार्रवाई की जाती है।

हिमाचल प्रदेश से पारपत्र आवेदन-पत्रों की संख्या

7610. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में और वर्ष 1978 में अब तक हिमाचल प्रदेश से पारपत्रों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन-पत्र निपटाये गये ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त इन आवेदन-पत्रों का शीघ्रतापूर्वक निपटान करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या
1977 (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक)	3,407	2,698
1978 (1 जनवरी से 31 मार्च तक)	971	351

(ग) हिमाचल प्रदेश से प्राप्त जिन आवेदन-पत्रों पर अभी तक पासपोर्ट जारी नहीं किए गए हैं उनमें से अधिकांश पर निम्नलिखित कारणों से निर्णय नहीं लिया जा सका है :—

(1) आवेदन-पत्र अपूर्ण हैं और आवेदकों से अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज मांगे गए हैं।

(2) इस वर्ष फरवरी और मार्च में प्राप्त आवेदन-पत्रों की अभी जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ के क्षेत्राधिकार में हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ भी आते हैं। बकाया काम को निपटाने के उद्देश्य से सरकर ने चंडीगढ़ कार्यालय के लिए क्लर्कों के 50 पदों और एक जनसंपर्क अधिकारी के पद की मंजूरी दी है।

दिल्ली में पूरे भार वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमताओं में वृद्धि करना

7611. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों पर पूरा भार है और अन्य एक्सचेजों में पूरा भार नहीं है ; और

(ख) जिन एक्सचेंजों पर पूरा भार है उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ताकि उन्हें अन्य एक्सचेंजों के बराबर स्तर पर लाया जा सके ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) जहां कहीं भी इमारतों में गुंजाइश होती है, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है। जहां मौजूदा इमारतों में गुंजाइश नहीं होती वहां मौजूदा एक्सचेंजों को राहत देने के लिए नये स्थलों पर नये एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं। मौजुदा एक्सचेंजों में विस्तार करने और नये एक्सचेंज खोलने के बारे में अस्थायी कार्यक्रम इस प्रकार है :—

वर्ष 1978-79

एक्सचेंज	कोड	विस्तार/नया	क्षमता
शाहदरा पूर्व	20	विस्तार	1600 लाइनें
नेहरू प्लेस	68	नया	2000 लाइनें
तीस हजारी-III	25	नया	10000 "
शक्ति नगर-I	71	नया	10000 "
ओखला	63	विस्तार	1700 "
जनपथ-V	35	नया	2000 "
			27300 "

वर्ष 1979-80

एक्सचेंज	कोड	विस्तार/नया	क्षमता
फरीदाबाद	81	विस्तार	900 लाइनें
जनकपुरी	55	नया	1200 "
राजौरीगार्डन-II	50	नया	6000 "
गाजियाबाद-II	29	नया	2000 "
तीसहजारी-II	23	नया	10000 "
		योग	20100 "

वर्ष 1980-81

नेहरूप्लेस	64	नया	10000 "
गाजियाबाद-II	29	विस्तार	2000 "
जनकपुरी	55	विस्तार	900 "
बदरपुर	82	विस्तार	100 "
बादली	803	विस्तार	100 "
ग्रलीपुर	801	विस्तार	100 "
बहादुरगढ़	83	विस्तार	100 "
राजौरीगार्डन-4	53	नया	10000 "
		योग :	23,300 "

उल्लासनगर (महाराष्ट्र) में फोन के बिलों में कदाचार

7612. **श्री ग्रार० के० महालगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1978 के ब्लिट्ज (बम्बई अंग्रेजी संस्करण) में 'वेन्जफुल स्टाफ कुक फोनी विल्स' शीर्षक से और 13 जनवरी, 1978 के इंडियन एक्सप्रैस (बम्बई संस्करण) में "फोन बिल मलप्रेक्टिसेज इन उल्लासनगर, महाराष्ट्र" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उल्लासनगर टेलीफोन एक्सचेंज (जिला थाने) के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) बम्बई दूरसंचार के जनरल मैनेजर ने ये समाचार देखे थे । उल्लासनगर एक्सचेंज में 15-11-77 को समाप्त होने वाली तिमाही में मीटर पर ग्रधिक

कालें आने के संबंध में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनमें में 32 मामलों में टेलीफोन के बिल सही पाए गए थे। 19 मामलों में छूट दे दी गई थी और शेष 9 मामलों की अभी छानबीन हो रही है।

(ख) जहां कहीं आवश्यक होता है तुरन्त उपचारात्मक कार्यवाई की जाती है।

Conversion of Gangapur City Telephone Exchange into Automatic one

†**7613. Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Communications be** pleased to state :

(a) whether the Ganganagar City Telephone Exchange (Bharatpur, Rajasthan) has a capacity of 200 lines ;

(b) whether Telephone Exchanges with a capacity of more than 200 lines are converted into automatic exchanges as per Government's policy ;

(c) if so, whether the above telephone exchange will also be developed as an automatic exchange in view of its revenue, number of trunk lines and it being the most important exchange in the above Sub-division ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) Yes Sir.

(b) No, Sir,

(c) &(d) While it is the intention of the Government to convert all manual exchanges to automatic working as early as possible due to limited supplies of automatic exchange equipment the progress is slow. Within the available supplies priority is being given to exchanges at District Headquarters and very large manual exchanges. Gangapur not being a district headquarter, does not qualify for this priority and will be taken up in its turn.

Replacing Trunk Boards of Telephone Centre in Hindaun City, Bharatpur District

†7614. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the trunk boards of the Telephone Centre in Hindaun City (Bharatpur, Rajasthan) have become absolutely unserviceable as they are very old;

(b) whether the subscribers face great difficulties while talking on the trunk telephones as a result thereof; and

(c) whether Government propose to replace all of them with new trunk boards soon and if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) No Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Hindi Advisory Committee in the Ministry

7615. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so, the names of members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendations of the Official Languages Department ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Yes, Sir.

(b) A list of the members of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Steel and Mines is enclosed. The names of the members nominated on the recommendation of the Official Languages Department are as under:—

(1) Shri S.N. Mishra,
Professor,
Department of Metallurgy,
Banaras Hindu University,
Varanasi.

(2) Dr. Ram Darash Mishra,
Delhi University,
Delhi.

Statement

1. Minister for Steel and Mines —Chairman
2. State Minister in the Ministry of Steel and Mines—Vice-Chairman
3. Shri Govindram Miri, M.P. (Lok Sabha)
4. Shri Kumari Ananthan, M.P. (Lok Sabha)
5. Dr. Chandra Mani Lal Chaudhari,
M.P. (Rajya Sabha)
6. Shri Shiv Dayal Singh Chaurasia,
M.P. (Rajya Sabha)
7. Dr. Ratnakar Pandey, Convener,
Nagari Pracharini Sabha,
(Delhi Branch),
New Delhi.
8. Dr. S.N. Misra,
Professor,
Department of Metallurgy,
Banaras Hindu University,
Varanasi.
9. Dr. Ramdarsh Mishra,
Delhi University,
Delhi.
10. Secretary (Steel and Mines)

11. Secretary,
Official Languages Department and
Hindi Adviser to the Government of India,
New Delhi.

12. Additional Secretary (Department of Mines)

13. Chairman,
Steel Authority of India Limited,
New Delhi.

14. Joint Secretary (Hindi),
Department of Mines,
New Delhi.

15. Joint Secretary,
Official Languages Department,
New Delhi.

16. Iron and Steel Controller,
Calcutta.

17. Chairman-cum-Managing Director,
Bharat Aluminium Co. Ltd. (BALCO),
New Delhi.

18. Chairman-cum-Managing Director,
Hindustan Zinc Limited,
Udaipur

19. Chairman-cum-Managing Director,
Hindustan copper Limited,
Calcutta.

20. Director-General,
Geological Survey of India,
Calcutta.

21. Controller,
Indian Bureau of Mines,
Nagpur.

22. General Manager,
Rourkela Ispat Limited,
Rourkela.

23. Managing Director,
Manganese Ores (India) Limited,
Nagpur.

24. Chairman-cum-Managing Director,
Metallurgical and Engineering Consultants
(India) Limited,
Ranchi.

25. General Manager
Durgapur Steel Plant,
Durgapur.

26. Managing Director,
Bokaro Steel Limited,
Bokaro.

27. General Manager,
Bhilai Ispat Limited
Bhilai.

28. Managing Director,
National Mineral Development Corporation,
Hyderabad.

29. Managing Director,
Hindustan Steel Works Construction Ltd.,
Calcutta.

30. Joint Secretary (Hindi)
Department of Steel,
New Delhi. —Member-Secretary

बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा सहायक उद्योगों को बेची गई सामग्री की राशि

7616. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालीडीह इण्डस्ट्रियल एस्टेट में बोकारो इस्पात लि० ने सहायक उद्योग को रुपयों में कितनी धनराशि का कच्चा माल बेचा और वर्ष 1977 में उनसे कितनी धनराशि के तैयार उत्पाद खरीदे गये ; विभिन्न कम्पनियों के लिए मदों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग द्वारा सहायक उद्योगों को सहयोग देने की सरकार की नीति है ; और

(ग) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात लि० के लिए इस बारे में उपलब्धि बहुत असन्तोषजनक है और यदि हां तो इसका क्या कारण है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया गुण्डा) : (क) बोकारो स्टील लि० ने 1977-78 में बालीडीह इंडस्ट्रियल एस्टेट के सहायक उद्योगों को कोई कच्चा माल नहीं बेचा है । इस अवधि में इस क्षेत्र में 76 सहायक उद्योगों को दिए गए आर्डरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2146/78]

(ख) : जी, हां ।

(ग) : जी, नहीं ।

हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत

7617. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री के 8 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3197 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन औषधि निर्माण कम्पनी के लिए विशेषज्ञ-राय देने के लिए फार्मासिस्ट का रखना आवश्यक है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज (सोनीपत), हरियाणा के अधीन वर्ष 1973 से कोई फार्मासिस्ट काम कर रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियों का सार्वजनिक प्रयोग के लिए निर्माण किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) जन स्वास्थ्य के हित में इस कम्पनी को ऐसी औषधियों का निर्माण करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत एक निर्माता को औषधियों के निर्माण कार्य की निगरानी करने के लिए सक्षम तकनीकी स्टाफ को नियुक्त करना आवश्यक होता है जिसमें कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो पूर्णकालिक कर्मचारी हो और वह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 971 तथा 76 के अन्तर्गत निर्धारित अर्हताएं रखता हो ।

(ख), (ग) और (घ) : ब्यौरों का पूरा पता लगाया जा रहा है ।

लाइनमैनों को दिये गये औजार

7618. **श्री सूरज भान:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार विभाग में रख-रखाव कार्य पर लगे हुए लाइनमनों की मानक स्तर के औजार दिये जाने का आदेश है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वे जब फील्ड ड्यूटी पर होते हैं, तब उन्हें आवश्यक औजार दिये जाते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) औजारों के टूट जाने की स्थिति में उनके बदले जाने और खो जाने के मामले में नये औजारों के ठीक समय पर सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) जब लाइनमैन ड्यूटी पर हों, उस समय उनके पास सही औजारों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां । मानक औजारों के ब्यौरे अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दे दिए गए हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2147/78]

(ख) जी हां । किस प्रकार के काम होते हैं, उनके लिए आवश्यक औजार आमतौर पर उनके पास उपलब्ध रहते हैं ।

(ग) लाइनमैनों के लिए यह जरूरी है कि किसी औजार के गुम होने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना संबंधित पर्यवेक्षण कर्मचारियों को दें । पर्यवेक्षण कमचारियों को हिदायतें दी गई हैं कि वे उन औजारों के बदले दूसरे औजार देने की व्यवस्था करें ।

(घ) संबंधित इंचार्ज अधिकारियों को ऐसी हिदायतें हैं कि वे लाइनमैनों के औजार किटों का नियमित रूप से निरीक्षण करें ।

ओखला टेलीफोन एक्सचेंज नयी दिल्ली से टेलीफोन कनेक्शनों का दिया जाना

7619. **श्री सूरज भान:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में ओखला एक्सचेंज से दिए जाने वाले नए टेलीफोन कनेक्शनों के आवेदक 1964 अथवा उससे पहले की अवधि से प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन आवेदकों को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

संचार राज्य मंत्री :(श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी हां।

(ख) इस इलाके में राहत पहुंचाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता जोड़ने का अस्थायी प्रस्ताव है :

(1) 1978-79	--ओखला एक्सचेंज की 1700 लाइनों का विस्तार --नेहरू प्लेस में 200 लाइनों का नया एक्सचेंज
(2) 1981	--नेहरू प्लेस में 10,000 लाइनों का दूसरा एक्सचेंज

आशा है कि मौजूदा सभी आवेदकों को वर्ष 1981 तक टेलीफोन दिए जा सकेंगे।

ओखला टेलीफोन एक्सचेंज, नई दिल्ली की सेवा में सुधार करना

7620. **श्री सूरज भान:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या नई दिल्ली में ओखला टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन प्रयोक्ताओं को उपलब्ध की जाने वाली सेवा सन्तोषजनक नहीं है और इससे जनता को भारी असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और कब तक सन्तोषजनक सेवा उपलब्ध हो जायेगी ; और

(ग) क्या उन्हें पता है कि कुछ कनेक्शनों का इस एक्सचैंजस हौज खास एक्सचेंज स्थानान्तरण कर दिये जाने के बाद भी इस एक्सचेंज की सेवा में वास्तविक सुधार नहीं हुआ है और वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए क्या नये उपाय करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) और (ख) जी नहीं। इस एक्सचेंज की सेवा संतोषजनक है। फिर भी, वर्तमान एक्सचैंज उपस्कर को अपग्रेड करने और ओखला एक्सचेंज में 1700 अतिरिक्त लाइनों की स्थापना का काम चल रहा है। इन निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने के बाद बेहतर सेवा उपलब्ध होगी।

(ग) ओखला एक्सचेंज के नम्बरों को हौज खास एक्सचेंज में अन्तरित करने के बाद जो क्षमता उपलब्ध हुई थी उसका इस्तेमाल दिल्ली के अन्य इलाकों से ओखला में ऐसे टेलीफोनों के स्थानान्तरण की मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था जो बहुत दिनों से बकाया पड़ी थीं। इसके परिणाम-स्वरूप ओखला एक्सचेंज में यातायात कम नहीं हुआ है।

1700 लाइनों के चालू हो जाने के बाद, राहत देना संभव हो सकेगा। यह विस्तार कार्य चल रहा है।

डाक-तार विभाग में प्रशिक्षण केन्द्र

7621. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए बाहरी विभागीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए डाक-तार विभाग के वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र अपर्याप्त हैं ;

(ख) देश में प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम क्या हैं और जिन स्थानों पर ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव है अथवा निर्माण किया जा रहा है, उनकी संख्या, नाम का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और प्रत्येक मामले में कितनी तारीख का लक्ष्य रखा गया है और स्थानों एवं अध्यापकों की संख्या में अगर कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन प्रशिक्षण केन्द्रों में अपने छात्रों अथवा कर्मचारियों को प्रवेश देने के बारे में किसी देश ने कभी कोई प्रस्ताव भेजा था और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इन केन्द्रों द्वारा पिछले समय में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(घ) प्रत्येक प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम से कम एक प्रशिक्षण केन्द्र न खोलने के क्या कारण हैं और अन्य चार प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्हें भेजकर सरकारी प्रशिक्षणार्थियों के अनावश्यक व्यय से बचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं । वे पर्याप्त हैं ।

(ख) प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या 45 है । इनके नाम और स्थान का उल्लेख संलग्न सूची में कर दिया गया है। नया प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में विदेशों के 56 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था । ये प्रशिक्षणार्थी अफगानिस्तान, बंगला देश, बारबेडोस, भूटान, बोटसवाना, लेसोथो, मालदिव, मारिशस, नेपाल, फिलिपीन, साउथ यमन, श्रीलंका, सूडान, सुरिनाम, स्वाजीलैंड, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, यमन और जाम्बिया से आए थे।

(घ) प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में सामान्य नीति यह है कि प्रत्येक क्षेत्र या राज्य में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की जाए । इस प्रकार हर एक क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थी अपने समीप के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इससे अनावश्यक खर्च भी बचता है । केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र सिर्फ उच्च प्रशिक्षण के लिए खोले जाते हैं जबकि प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है और उनके लिए एक ही प्रशिक्षण केन्द्र में व्यवस्था की जा सकती है।

विवरण

दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र का नाम :

क्षेत्रीय दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र :

1. जबलपुर
2. नागपुर
3. कलकत्ता
4. बम्बई

5. त्रिवेन्द्रम
6. अहमदाबाद
7. नासिक
8. बंगलौर
9. हैदराबाद
10. मेरठ---गाजियाबाद स्थानान्तरित होने वाला है।
11. पटना
12. मद्रास (जिला)
13. राजपुरा (पंजाब)

जिला दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र :

1. कलकत्ता
2. नई दिल्ली
3. बम्बई
4. मद्रास
5. हैदराबाद
6. बंगलौर
7. पूना
8. अहमदाबाद
9. कानपुर
10. पटना

सर्किल दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र :

1. आन्ध्र प्रदेश (काकिनादा)
2. उत्तर पूर्वी गोहाटी,
3. बिहार (पटना)
4. गुजरात (अहमदाबाद)
5. जम्मू तथा काश्मीर (जम्मू)
6. केरल (त्रिवेन्द्रम)
7. मध्य प्रदेश (भोपाल)
8. तमिलनाडु (मद्रास)
9. महाराष्ट्र (नासिक)

10. उत्तर पश्चिम (राजपुरा)

11. राजस्थान (जयपुर)

12. पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता)

13. उत्तर प्रदेश (लखनऊ)

14. उड़ीसा (भुवनेश्वर)

15. कर्नाटक (बंगलौर)

16. उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र (इस समय यह नई दिल्ली में काम कर रहा है । इसे गाजियाबाद स्थानान्तरित किया जाना है)

डाक प्रशिक्षण केन्द्र :

1. पोस्टल स्टाफ कालेज, नई दिल्ली ।

2. पोस्ट एंड टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर, सहारनपुर ।

3. पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, मैसूर ।

3. पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, दरभंगा ।

5. पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, बदोदरा ।

नेत्रहीन व्यक्ति

7622. **श्री एस०आर० दामाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ठीक हो सकने वाले अन्धता के मामलों के बारे में राज्यवार आंकड़े एकत्रित किए हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविरों और विशेषकर मोतियाबिंद के आपरेशनों के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में सूचना एकत्रित की है ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उसका वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने इन शिविरों को कितनी सहायता दी है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 1973—75 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने अहमदाबाद (गुजरात), कटक (उड़ीसा), इंदौर (म० प्र०), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), मदुरै (तमिलनाडु) और दिल्ली स्थित सात केन्द्रों में एक नमूना सर्वेक्षण किया था । इससे यह विदित हुआ कि ठीक हो सकने वाले लगभग 50 लाख अंधे व्यक्ति आपरेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । यह संख्या देश में अनुमानित कुल 90 लाख अंधे व्यक्तियों का लगभग 55 प्रतिशत है । इनके राज्यवार आंकड़े राष्ट्रीय दृष्टि विकार निवारण एवं अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के जरिये एकत्र किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) मोतियाबिंद के आपरेशन करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कुछ प्राइवेट नेत्र शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जिनकी सही सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । तथापि, हाल ही में एक केन्द्रीय समन्वय समिति स्थापित की गई है और सभी नेत्र शिविरों के कार्य में तालमेल रखने के उद्देश्य से, चाहे वे सरकार द्वारा प्रायोजित हों अथवा प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयोजित किए गए हों, विभिन्न राज्यों में जिला समन्वय समितियां गठित की जा रही हैं और आशा है कि बाद के वर्षों में यह सूचना उपलब्ध हो जाएगी ।

(ङ) राष्ट्रीय दृष्टि विकार एवं अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक शिविर में प्रति अन्तरक्षि (इन्ट्रा आकूलर) आपरेशन के लिए 40 रुपये के हिसाब से सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति नेत्र शिविर 6000 रुपये होती है । वैसे, वर्ष 1977-78 में इन सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों ने केवल 28,281.00 रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी और यह राशि उन्हें दे दी गई थी।

Amount Sanctioned for Medical Facilities for Bihar

7623. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned by the Central Government to Bihar last year for providing medical facilities; and

(b) the amount made available, itemwise, out of the sanctioned amount ?

Minister of State for Health and Family Welfare : (Shri Jagdambi Prasad Yadav) (a) & (b) : A statement giving the requisite information is attached (Annexure).

Statement

Sl. No.	Name of the Programme	Allocations (Rupees in lakhs)	Amount released (Rupees in lakhs)
1.	National Malaria Eradication Programme (Rural) (*) includes Rs. 7.50 lakhs released to the State against their arrear claim in respect of N.M.E. Programme pertaining to IVth Plan period.	96.18	95.91*
2.	National Malaria Eradication Programme (Urban)	8.28	8.28
3.	National Smallpox eradication Scheme	6.00	5.75
4.	Training of Phystherapists, Occupational Therapists and Prospthetic Technicians and payment of stipends	0.50	0.50
5.	Training and Employment of Multipurpose workers	5.03	6.57
6.	School Health Programme	0.80	0.80
7.	Combined Food & Drug Laboratories	4.00	4.00
8.	Estt. of Pschiatric clinics in District Teaching Hospitals	0.50	0.25

1	2	3	4
9.	National Trachoma & Blindess Control programme	1.40	0.70
10	Post-graduate medical education in ISM	1.75	0.75
11.	Leprosy Control Programme	20.00	17.37
12.	Community health services in Rural Areas	13.18	13.18
13.	Rural Family Welfare Services (including maintenance of Rural FamilyWelfare Centres and Sub-Centres and completion of incomplete buildings.)	239.22	290.00
14.	Urban Family Welfare Centres	6.00	11.45
15.	(Other Services and Supplies (including maintenance of sterlization beds, Post Partum Programme and Strengthening of Voluntary sterlization facilities at Primary Health Centres and Taluq Level Hospitals)	55.60	25.13
16.	Direction and Administration (State Secretariat Cell, State Family Welfare Bureau and Distt. level organisation.)	29.35	46.00
17.	POL and funds for major repairs for vehicles at rural Family Welfare Centres, Distt. Family Welfare Bureau, State Family Welfare Bureau and Health & Family Welfare Training Centres.	34.05	30.00
18.	Compensation for IUD and Sterlization.	167.00	27.00
19.	Mass Education and Media.	5.00	5.00
20.	Training, Research and Statistics (Maintenance of Health and Family Welfare Training Centres, ANM & LHV Training Centres and Training of Dais.	30.26	38.00
	Total :	723.10	626.64

(Itemt No. 1 to 15 are directly connected with provision of medical facilities).

In addition to the above Rs. 10 lakhs was released for setting up of a Cobalt Therapy Unit at Rajendra Medical College Hospital, Ranchi.

Assistance in the form of equipment, insecticides, drugs, etc. are being supplied to the State and the allocation for this purpose during 1977-78 is Rs. 113.81 lakhs. The actual cost of equipment etc already supplied is being ascertained and will be supplied Rs. 6,48,476 worth contraceptives, M.C.H. supplies and Dais Kits were also supplied to the State.

Financial assistance has also been given to voluntary organisations towards procurement of medical equipment etc. The amount actually released to the institutions in Bihar during 1977-78 is being ascertained and will be supplied.

Items and Value of Articles Purchased by Bhilai Steel Plant During 1977-78

7624. Shri Mohan Bhaiya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the item-wise quantity and the value of the article purchased by the Purchase Section of the Bhilai Steel Plant in 1977-78 ; and

(b) whether an enquiry has been conducted through the Vigilance Department into the corrupt practices alleged to be indulged in the said purchases and if so, full details there of ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) (a) and (b) : The Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पाकस्तिान के अवैध कब्जे में भारतीय क्षेत्र

7625. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में भारत का कुल कितना भू-क्षेत्र है तथा पाकिस्तानी कब्जे के अधीन प्रमुख स्थानों तथा भूखंडों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान चीन अथवा पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर कोई घटनायें हुई हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जम्मू और कश्मीर का लगभग 78,218 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का लगभग 5180 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र 1963 के तथाकथित चीन-पाक समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान द्वारा चीन को गैर-कानूनी तौर पर दे दिया गया था । इनमें मुजफ्फराबाद, पूंछ, मीरपुर, गिलगिट, बालतिस्तान, नागर और हुंजा प्रमुख स्थान हैं ।

(ख) पिछले एक वर्ष में जम्मू और कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ कोई भी बड़ी मुठभेड़ या वारदात नहीं हुई है ।

ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों के बारे में भारत और आस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण

7626. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारह राष्ट्रमण्डल देशों की ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों के बारे में भारत और आस्ट्रेलिया द्वारा किये जाने वाले संयुक्त सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण में वित्त और जनशक्ति में भारत के सम्भावित अंश का ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में एक यह निर्णय भी लिया गया था कि ऊर्जा के बारे में एक परामर्शदायी दल की स्थापना की जाए (लोकसभा में 24-3-78 को प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य देखें) । इस सम्मेलन के बाद जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार इस दल का उद्देश्य नीचे लिखे अनुसार है :—

"वे ऊर्जा के विषय में राष्ट्रमंडलीय क्षेत्रीय परामर्शदायी दल स्थापित करने पर सहमत हुए जो इस क्षेत्र के अलग-अलग देशों की ऊर्जा समस्याओं का पता लगाने में सहायता करेगा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं के ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से संबद्ध अनुसंधान, विकास और उसके व्या-

व्यावहारिक प्रयोग की प्रविधियो से संबद्ध काम में सहायता देगा, इस प्रकार के काम के लिए संसाधन जुटायेगा और इस क्षेत्र के राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच ऊर्जा संबंधी मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनायेगा । इसका पहला कार्य यह होगा कि वर्तमान वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी की समीक्षा करे और इस बात का पता लगाये कि इसका सर्वाधिक व्यावहारिक प्रयोग कहां किया जा सकता है और अनुसंधान तथा विकास के लिए सर्वाधिक आशाजनक क्षेत्र निर्धारित करें।"

इस परामर्शदायी दल का कार्य जो भारत और आस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है । भारत को इस दल का समन्वयकर्ता बनाया गया है जिसने इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए ऊर्जा विभाग में जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निकट संपर्क से काम करता है, एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया है ।

समेकित दूरसंचार सेवाओं के लये अध्ययन दल

7627. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में समेकित दूरसंचार सेवाओं हेतु उचित प्रौद्योगिकी की सिफारिश करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया है ; और

(ख) उक्त दल के क्या निदेशपद हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों द्वारा विमान यात्रा

7628. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुछ अधिकारी जो विमान से दौरा करने के पात्र नहीं हैं ; सरकारी नियमों का उल्लंघन करके विमानों से प्रायः दौरे करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने ऐसे कितने दौरे किये, इन पर संगठन द्वारा कितनी राशि खर्च की गई और उनका इस यात्रा में क्या लोकहित था ; और

(ग) सरकार द्वारा हर क्षेत्र में की जा रही किफायत को देखते हुए इस व्यर्थ का व्यय रोकने के लये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और श्रम मंत्रालय के उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जो नैमिक रूप से ऐसे दौरों की अनुमति दे रहे हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) भारत सरकार के आदेशों के अनुसार 1800 रुपये तथा 2250 रु० के बीच वेतन पाने वाले अधिकारियों को अपनी इच्छा के अनुसार विमान द्वारा यात्रा करने का अधिकार है, बशर्ते कि यात्रा की दूरी 500 किलोमीट से अधिक हो और यात्रा रेल द्वारा रातों-रात न की जा सकती हो । उपर्युक्त सीमा के अन्दर-अन्दर वेतन पाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी सरकारी नियमों के उपबन्धों के अनुसार विमान से यात्रा करते रहे हैं । यदि किसी अधिकारी को विमान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त न

हो, तो वह विमान द्वारा यात्रा एस० आर० 48(बी) (2) के अधीन इस सूरत में कर सकता है, जबकि कोई सक्षम अधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि विमान से यात्रा करना अतिआवश्यक तथा लोकहित में है । इस सिलसिले में सक्षम प्राधिकरण भारत सरकार है तथा ऐसे मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एस० आर० 48(बी) (2) के अधीन सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाती है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । (ग्रंथालय में रख गया देखिए संख्या एल० टी० 2148/78)

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों द्वारा विमान से की गई यात्राएं सही अर्थ में सरकारी नियमों के उपबन्धों के अनुसार तथा संगठन के कार्य के हित में थीं ।

पाकिस्तान के रास्ते से व्यापारिक परिवहन सुविधायें

7629. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से पाकिस्तान के रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और परिवहन सुविधाओं के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुविधायें मांगी जा रही हैं ; और

(ग) इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच पारस्परिकता के आधार पर पारगमन की सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है।

पाकिस्तानी मंडियों के लिये भारतीय वस्तुयें

7630. **श्री सरत कार :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तस्करी किया हुआ तथा आयात किया गया भारतीय माल पाकिस्तान के छोटे तथा बड़े शहरों की मंडियों में भरा पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की मंडियों में बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली वस्तुओं में से भारत में निर्मित वस्तुएं कौन-कौन सी हैं ; और

(ग) पाकिस्तान ने कौन सी वस्तुएं भारत से खरीदने में रुचि दिखाई है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य व्यापारिक मार्गों से जो माल आता जाता है उसके अतिरिक्त दूसरे बहुत तरह का माल भी सीमा के पार चोरी से लाया-ले-जाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के सीमा प्राधिकारी माल को एक दूसरे के देश में चोरी-छिपे लाने-ले-जाने को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं । भारत से सामान्य व्यापारिक मार्गों से जो माल निर्यात किया जाता है उनमें, ऐसा समझा जता है, मूल्य की दृष्टि से प्रमुख चीजें चाय, इस्पात का सामान, इमारती लकड़ी आदि हैं।

(ग) पाकिस्तान के आयातकों ने भारत से विभिन्न प्रकार का माल खरीदने में दिलचस्पी दिखायी है । सरकार की नीति भेदभाव रहित और पारस्परिक लाभ के आधार पर दो तरफ व्यापार बढाने की है।

Disease Among Workers Producing Synthetic Goods

7631. Dr. R. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :—

(a) whether there is likelihood of workers of mills producing synthetic goods contracting T.B. or such other infectious diseases after lapse of some period ;

(b) whether the concerned mills do not take any action to check these diseases which is in clearcut violation of laws in this regard ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) (a) : No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

पेंशन संबंधी लाभों में सुधार करने की मांग

7632. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय डाक तथा तार और अन्य केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों की एसोसिएशन, पूना ने पैंशन संबंधी लाभों में सुधार करने की मांग की हैं;

(ख) यदि हां तो उनकी मांग कब से विचाराधीन है;

(ग) डाक तथा तार विभाग के (एक) सेवा पेंशन (दो) विधवा पेंशन और (तीन) बाल परिवार पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों की कुल संख्या क्या है ;

(ध) उपरोक्त भाग (दो) में निर्दिष्ट ऐसी कुल पेंशन वार्षिक कितनी दी जाती है; और

(ङ) यदि ऐसोसिएशन की माग स्वीकार की जाती है तो कितनी अतिरिक्त राशि देय होगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई की राहत देने की देय दो किश्तों के बारे में वित्त मंत्री के नाम लिखे तारीख 22-4-77 के पत्र संख्या 699 की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी।

चूंकि इस प्रार्थना के दायरे में केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों के पेंशनभोगी आते हैं, इसलिए उपयुक्त मंत्रालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी ।

(ग), (घ) और (ङ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

श्रम न्यायालय तथा वहां अनिर्णीत मामले

7633. **श्री डी०वी० चन्द्र गोडा :**
श्री एस० एस० सोमानी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक विवादों का निपटारा करने के लिये देश भर में श्रम न्यायालयों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) इन न्यायालयों में अनिर्णीत विवादों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विवादों की संख्या में वृद्धि तथा श्रमिकों को न्याय मिलने में हो रहे विलम्ब को देखते हुए कुछ नए न्यायालय खोलने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आठ केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय हैं और उन सब का क्षेत्राधिकार समस्त भारत है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मज पर रख दी जाएगी ।

(ग) केन्द्रीय सरकार का किसी भी स्थान पर नये श्रम न्यायालयों को खोलने का इस समय कोई विचार नहीं है । तथापि, समय-समय पर नये श्रम न्यायालयों को खोलने की आवश्यकता पर विचार करते समय विवादों की संख्या और मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्कता को ध्यान में रखा जाएगा ।

रीवा में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

7634. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विकास निगम ने सिमारिया गांव के निकट बाक्साइट की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक छोटे एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना पर बल दिया है तथा इसकी सिफारिश की है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना परियोजना

7635. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के लिये प्रस्तावित एल्यूमिना परियोजना छठी योजना में ली जायेगी ।

(ख) यदि हां, तो इस में बिजली की कितनी खपत होगी ; और

(ग) उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित 600,000 टन वार्षिक क्षमता का एक अल्यूमिना संयंत्र लगाने हेतु साध्यता अध्ययन हाल में ही शुरू किया गया है । बिजली की आवश्यक मात्रा सहित अन्य ब्यौरे साध्यता अध्ययन पूरा होने पर ही दिए जा सकते हैं जिसके लगभग 18 महीने में पूरा होने की आशा है ।

Economic Relation with Developing Countries

†**7673. Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to promote economic relations and the exchange of technical knowhow with developing countries in order to counter the moves of the developed countries ;

(b) the hurdles in creating Asian Common Market and the success achieved in this regard ; and

(c) Government's policy in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundru)

(a) Government is of the firm view that the promotion of economic relations and the exchange of technical knowhow among developing countries will be of mutual benefit to all developing countries in promoting their collective self-reliance. In pursuance of this, India is participating in a variety of multilateral schemes to promote cooperation among developing countries. India also extends technical assistance to other developing countries on a bilateral basis through special programmes, such as the Indian Technical and Economic Cooperation Programme. Government does not view such cooperation as an alternative to cooperation with developed countries, but an additional dimension to traditional forms of cooperation. The collective self-reliance of developing countries will enable them to meet the challenges posed to the development of their economies by external factors.

(b) & (c) : There has been some talk regarding the establishment of an Asian Common Market. It is Government's view that such a proposal could be implemented only with the willing cooperation of all concerned countries. Even without an Asian Common Market, economic cooperation amongest countries of the Asian region is increasing through mechanisms established either bilaterally or under the auspices of the Economic and Social Commission for Asai and the Pacific (ESCAP).

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के विरुद्ध जांच

7637. **श्रीमती मृणांल गोरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुबीमल दत्त ने भारतीय रेंडक्रास सोसायटी के अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गयें आरीपों की जाँच की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जाँच पूरी हो गई है ; और

(ग) श्री सूबीमल दत्त के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) : भारतीय रैडक्रास सोसायटी ने (1) सोसायटी के प्रशासन में कथित कुप्रबन्ध और (2) 1971-72 में किए गए कार्य रैडक्रास राहत कार्य के बारे में कतिपय आरोपों की जाँच करने के लिए श्री सुबीमल दत्त की नियुक्ति की थी । उन्होने अपनी यह जाँच जो दिसम्बर, 1977 में आरम्भ की थी 10-2-78 को बिना पूरी किए ही बन्द कर दी । उन्होंने लिखा कि वो आगे जाँच से सम्बन्धित नहीं रहना चाहते ।

Percentage of Agricultural Labourers

7639. Shri Hukm deo Narain Yadav : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state : the percentage of agricultural labourers to the total population of the country in 1952 and 1977, separately and the average annual income of agricultural labourers and whether Government are formulating any scheme to increase their income ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentry Affairs (Shri Larang Sai) : On the basis of decennial censuses during 1951 and 1971, the percentage of agricultural labourers to total population, during 1952 and 1977, can be estimated to be around 8 and 9 respectively.

Information relating to daily Wage rates (annual averages) of ploughman or field labour in different States during the year 1976-77 is at Annexure-I.

Wages of Agricultural labour are fixed and revised under the Minimum Wages Act, 1948. As bulk of employment in agriculture falls in the State sphere, the State Government are asked from time to time to take steps for periodic revision and effective enforcements of the provisions of the Act.

Statement

Daily Wage Rates (Annua l Averages) of Plonghman or Field Labour (Men) in Different States

S. No.	State	1976-77
		(In Rupees)
1.	Andhra Pradesh	4.56
2.	Assam	5.59
3.	Bihar	5.02
4.	Gujarat	5.99
5.	Kerala	7.03
6.	Madhya Pradesh	4.25
7.	Maharashtra	3.71
8.	Karnataka	4.92
9.	Punjab	9.11
10.	Rajasthan.	7.16
11.	Uttar Pradesh	5.27
12.	Himachal Pradesh	6.42
13.	Tripura	4.00
14.	Haryana	8.93
15.	Tamil Nadu	4.19

Source : Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture.

अखिल भारतीय डाकघर निरीक्षक और सहायक अधीक्षक संघ का मांग-पत्र

7640 **श्री रेणुपद दास:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय डाकघर निरीक्षक और सहायक अधीक्षक संघ के मांग-पत्र की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किय गये हैं?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) इन मांगों की जांच कर ली गई है और जहां तक इन मांगों का औचित्य पाया गया है, उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है।

डाक ले जाने के द्रुत साधन

7641. **श्री रेणुपद दास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक लाने ले जाने के कार्य को द्रुत बनाने के उद्देश्य से उसके साधनों में परिवर्तन के लिय निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से, पश्चिम बंगाल के नादिया तथा मुर्शिदाबाद क्षेत्र तत्सबन्धी कार्यक्रम में पीछे क्यों रह गये हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : जहां तक नादिया का संबंध है, वहां की स्थिति संतोषजनक है और वहां के लगभग सभी हरकारा मार्गों को बस-मार्गों में बदल दिया गया है। मुर्शिदाबाद के कुछ ही हरकारा मार्गों को बस मार्गों में बदला जा सका है क्योंकि परिवहन प्राधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है ।

तिब्बत का मामला

7642 **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के संदर्भ में 'तिब्बत के मामले' के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या हैं और.

(ग) यदि नहीं तो उस मामले पर सरकार के क्या विचार हैं?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) (ख) और (ग) भारत सरकार का रूख कई अवसरों पर संसद में और सार्वजनिक रूप से भी बताया जा चुका है। भारत सरकार का हमेशा ही यह मत रहा है कि तिब्बत चीन लोक गणराज्य का एक क्षेत्र है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि 1959 में परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व में हजारों तिब्बती तिब्बत से भागकर भारत आये थे । भारत सरकार ने परम पावन दलाई लामा को इस शर्त पर राजनैतिक शरण दी थी कि वे और दूसरे तिब्बती चीन लोक गणराज्य के संदर्भ में गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंग । यह दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में दखल न देने की हमारी नीति के अनुरूप है । बहरहाल भारत सरकार तिब्बती शरणार्थियों को भारत में बसाने के लिए मानवीय सहायता प्रदान करती है और उनकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्पराओं के अनुरक्षण का समर्थन करती है ।

दिल्ली में अस्पतालों के लिये सलाहकार बोर्ड

8643. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्र/राज्य के नियंत्रण में दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मडिकल साइंसिज और लाला राम स्वरूप टी० बी अस्पताल, महरौली, नई दिल्ली जैसी स्वायत संस्थाओं के लिये भी कोई सलाहकार बोर्ड हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ढांचा/आधार क्या है और वे कितनी अवधि के लिए गठित किये जाते हैं;

(ग) क्या संसद् सदस्य, महानगर पार्षद, आदि उक्त बोर्डों से सम्बद्ध हैं, और

(घ) यदि हां, तो आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज और लाला राम स्वरूप टी० बी० अस्पताल, दिल्ली से सम्बद्ध संसद सदस्यों और महानगर पार्षदों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) जी हां । केन्द्रीय सरकार/दिल्ली प्रशासन के अधीन दिल्ली के अस्पतालों के लिए गठित की गई निम्नलिखित सलाहकार और अन्य समितियों में संसद सदस्य/महानगर पार्षद सदस्य हैं:—

संस्था का नाम	कार्यक्षेत्र	संसद सदस्य/महानगर पार्षद
1	2	3
दिल्ली अस्पताल बोर्ड	सभी अस्पताल	संसद सदस्य 1. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया 2. श्री कंवर लाल गुप्त
विजिटर्स बोर्ड	लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल और गोबिन्द वल्लभ पंत अस्पताल	संसद सदस्य 1. श्री विजय कुमार मल्होत्रा 2. श्री कंवर लाल गुप्त 3. श्री किशोरी लाल 4. श्री शिव नारायण सरसूनिया महानगर पार्षद 5. श्री वीरेश प्रताप चौधरी 6. श्री बिशम्बर दात्त शर्मा 7. श्री सांवल दास गुप्त 8. डा० अमर नाथ कुमार

1	2	3
विजिटर्स बोर्ड		9. श्री बाबू राम सुलंकी
		10. श्री रोहताश सिंह डब्बास
		11. श्री सोम नाथ
		12. श्रीमती पुष्पा काले
		13. बेगम खुर्शीद किदवई
		14. श्री आर० के० जैन
		15 श्री मोहम्मद इस्माइल
		16. डा० डी० के० जैन
	मानसिक अस्पताल शाहदरा	
		महानगर पार्षद :
		1. डा० डी० के० जैन
		2. श्री ईश्वर दास महाजन
		3. श्री सोमनाथ
		4. श्री योगध्यान आहूजा
		5 श्री वेद प्रकाश शर्मा
संस्थान निकाय	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान्	**संसद सदस्य :**
		1. डा० सुशीला नयर
		2. डा० एम० एम० एस० सिद्धू
		3. श्री धीरेन्द्र नाथ बसु
सलाहकार समिति	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल	**महानगर पार्षद :**
		1. डा० राम लाल वर्मा
		2. श्री जसवन्त सिंह फुल्ल
		3. श्री इन्द्र मोहन सहगल

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान :

1. डा० सुशीला नैयर, संसद सदस्य।

2. डा० एम०एम०एस० सिद्धू, संसद सदस्य।

3. डा० धीरेन्द्र नाथ बसु, संसद सदस्य

लाला राम स्वरूप क्षय रोग अस्पताल : कोई नहीं।

Disease Among Workers in Slate Pencil Manufacturing Indusrtry

7644. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Parliamentry Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether thousand of labourers are engaged in slate pencil manufacturing industry which is an unorganised industry and the workers of this industry generally become victims of T.B. within a period of 5 to 7 years ;

(b) whether neither the State Governments nor the Central Labour Department ever made any rules or law Governing service conditions, safety health, etc., of these workers; and

(c) if so, the steps taken by Government in the interest of such workers ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) (a) Slate pencils are usually of two types (i) grey- black and (ii) white-grey. Grey black pencils are manufactured by cutting narrow strips from the slate stone itself of required thickness and polishing the sharp edges. White grey variety is manufactured by extrusion of paste made from certain minerals, clays etc. and drying them. These are mostly cottage sector industries. The total number of persons working in this industry or the number of manufacturing units is not known. Tuberculosis is not considered as an occupational disease. It is a diseases caused by tubercular bacillus. Merely working in this type of process may not, therefore, lead to development of T.B.

(b) and (c) : Various rules prescribing measures for ensuring safety and health of workmen in factories have been prescribed under the Factories Act, 1948, which is administered by State Governments and Union Territory Administrations, Rules made as above are applicable only to the registered factories. No specific rules have been made under the Factories Act with particular reference to the slate pencil manufacturing industry. Most of the slate pencil manufacturing units being in the cottage industry sector do not come under the purview of the Factories Act.

सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को आयुर्वेदिक पद्धति का प्रशिक्षण

7645. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय प्रशिक्षण पा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जन स्वास्थ्य रक्षकों के मैनुअल में अन्य पद्धतियों के साथ-साथ आयुर्वेदिक पर भी कुछ अध्याय हैं । इसे रखने का उद्देश्य यही है कि जहां आयुर्वेद पद्धति प्रचलित है और लोग उसे चाहते हैं, वहां के जन स्वास्थ्य रक्षकों की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाए । जन स्वास्थ्य रक्षकों के प्रशिक्षण का काम पहले ही 2 अक्तूबर, 1977 से शुरू हो चुका है । हमने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे उन क्षेत्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से उस पद्धति को शामिल करें जो वहां प्रचलित हो ।

जिन राज्यों के जन स्वास्थ्य रक्षकों की किटों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां मांगी है और जिन्हें ये दवाइयां दी गई हैं वे हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान पांडिचेरी तथा दादर व नगर हवेली ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को देश के अन्य भागों में लागू करना

7646. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं को देश के अन्य भागों में विस्तार करने के प्रभाव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं देश के उन कस्बों में दी जाती हैं जिसमें कम से कम 7,500 केन्द्रीय सरकार क कर्मचारी रहते हों। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बढ़ाई जा रही हैं बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन आबंटित किया गया हो।

इस समय यह योजना दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, मद्रास, नागपुर, बंगलौर, हैदराबाद और पटना में चल रही है। 1978-79 के दौरान इसे जयपुर, पुणे, लखनऊ और अहमदाबाद में चलाने के विषय में मंजूरी दी जा चुकी है। छठी पंचवर्षीय योजनावधि में निम्नलिखित दस और स्थानों में भी इस योजना को चलाने का विचार है :—

जबलपुर, गोरखपुर, झांसी, अजमेर, आगरा, तिरूचिरापल्ली, देहरादून, बीकानेर, अमृतसर और चण्डीगढ़।

Opening of Medical College in Rampur, U.P.

7647. Shri Rajendra Kumar Sharma : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether a demand is being made for many years for opening a medical college in Rampur District of Uttar Pradesh ;

(b) whether it is a fact that an offer for giving the land of Kothi Khas Bagh Palace for the said medical college has also been made ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The Uttar Pradesh Government have not so far made any such proposal.

(b) & (c) Does not arise. In view of the adequate number of medical colleges in the country Government of India do not see the need for setting up any new medical college.

इस्पात संयंत्रों में ठेका श्रमिक

7648. **श्री वसन्त साठे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में नियुक्त ठेकेदारों की संयन्त्र-वार कुल संख्या कितनी है और वर्ष 1977-78 में उनके द्वारा नियुक्त श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान उक्त श्रमिकों को मजूरी के रूप में उन ठेकेदारों द्वारा कितनी राशि दी गई और संयन्त्र-वार अकुशल पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों को पृथक-पृथक औसत दैनिक मजूरी दी गई ;

(ग) प्रत्येक संयंत्र में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों की अधिकतम संख्या कितनी है ;

(घ) इस्पात उद्योग में ठेका श्रमिकों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

(ङ) क्या ठेका श्रमिक विनियमन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और ठेका श्रमिकों की सेवा, कार्य स्थिति, वेतनमानों आदि की जांच करने के लिए सरकार एक समिति का गठन करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक तथा तार विभाग में नेत्रहीनों के लिये स्थानों का आरक्षण

7649. **श्री वसन्त साठे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक तथा तार विभाग में नेत्रहीनों के लिए कुछ स्थान या उनकी कुछ प्रतिशतता आरक्षित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) डाक तथा तार विभाग में कुल कितने नेत्रहीन कमचारी हैं और उनका कार्य कैसा रहा है; और

(घ) डाक तथा तार विभाग में योग्य नेत्रहीनों को उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस विभाग ने किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी राजदूतावासों में व्यय करने वाले भारतीयों के लिये आदर्श करार

7650. **श्री वसन्त साठे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में दिल्ली स्थित विभिन्न राजदूतावासों और मिशनों में काम करने वाले भारतीयों को सेवा स्थिति के बारे में कोई आदर्श करार तैयार किया है और उस करार की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं;

(ख) इन राजदूतावासों और मिशनों में से प्रत्येक में भारतीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस आदर्श करार के नियमों का पालन कराने के लिए और इन राजदूतावासों/मिशनों में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(घ) वर्ष 1977-78 में पीड़ित किये जाने के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है और उनमें क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या यह सच है कि उन श्रमिकों को (राजनीतिक आधार पर) विभाजित करने का प्रयास जानबूझकर किया जा रहा है, जो एमबेसीज वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन नामक एक पंजीकृत संगठन के अन्तर्गत संगठित है और इन कर्मचारियों की सेवा की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेंद्र कुन्डू) : (क) और (ख) जैसा कि लोक सभा के प्रश्न संख्या 852(1976 के) और 5846 (1978 के) के उत्तर में क्रमशः 18-3-76 और 6-4-1978 को बताया जा चुका है, विदेश मंत्रालय ने 1975 में कार्य के घंटे, अतिरिक्त समय अवकाश, बोनस, सेवा निवृत्ति संबंधी लाभ, सेवांत लाभ आदि से सम्बद्ध व्यवस्थाएं निर्धारित करते हुए एक मॉडल संविदा फार्म तैयार किया था जो विदेश स्थित भारतीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं । यह विदेश स्थित सभी मिशनों को परिचालित कर दिया गया है जिसमें बताई गई शर्तों के पालन की सिफारिश की गई हैं ।

विदेश मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार नई दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों में नियोजित भारतीयों की संख्या लगभग 2770 है।

(ग) विदेशी मिशनों में भारतीय कर्मचारियों से सेवा की शर्तों से सम्बद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय इस मामले को सम्बद्ध विदेशी मिशनों के साथ उठाता है ताकि यह सुनिश्चिय हो सके कि भारतीय कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के हस्तक्षेप के परिणाम उत्साहवर्दधक रहे हैं । चूंकि विदेशी मिशनों में भारतीय कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय हस्तक्षेप करता है इसलिए भारतीय कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए अलग से कोई व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1977 से 1978 तक भारतीय कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्थित 15 विदेशी मिशनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई । सेवांत लाभों आदि के भुगतान न किये जाने से सम्बन्धित शिकायतों के प्राप्त होने पर इन मामलों को संबंधित मिशनों के साथ उठाया गया । उन में से चार ने स्थानीय कर्मचारियों के दावों को निपटाने के लिए इस मंत्रालय की सिफारिशों को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की हैं; शेष मिशनों के साथ मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

(ङ) विदेश मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारतीय कर्मचारियों को राजनैतिक आधार पर अलग-अलग गुटों में विभाजित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । चूंकि माडल संविधा फार्म में उल्लिखित शर्तें जिन्हें समझौते के लिए न्यूनतम शर्त मानी गई है; समीचीन हैं इसलिए इन शर्तों में सुधार लाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विदेशी मिशनों को इस मंत्रालय द्वारा दिये गये तर्कसंगत सुझाव सामान्यतः स्वीकार्य हैं ।

केन्द्रीय सरकार के औद्योगक न्यायधिकरण का धनबाद से हैदराबाद स्थानान्तरण

7651. **श्री ए० के० राव**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से एक को धनबाद से हैदराबाद स्थानान्तरित करने का है । और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या श्रमिकों ने ऐसा न करने के लिए अभ्यावेदन दिया है और मंत्री महोदय ने इस आशय का आश्वासन भी दिया था ; और

(ग) क्या श्रमिकों के हित की दृष्टि से सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–एवं–श्रम न्यायालय को धनबाद से हैदराबाद में स्थानान्तरित करने का सुझाव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है । इस संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

Rashtriya Shram Vir Award 1976 and Rules

7652. Shri Bhanu Kumar Shastri : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the names of the persons who were given 'Rashtriya Shramvir' award in 1976 ; and

(b) the rules for giving the award ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) & (b) A list showing the names of the persons who were given Shram Vir National Awards for the year 1976 along with a copy of the Scheme for giving the award is placed on the table of the House. **[Placed in Library See L.T. 2149/78]**

STD Between Udaipur, Jaipur and Delhi

†**7653. Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) when direct S.T.D., telephone service will be introduced between Udaipur, Jaipur (Rajasthan) and Delhi ; and

(b) the full facts in this regard ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) S.T.D. has already been provided between Jaipur and Delhi. STD between (i) Udaipur and Jaipur (Rajasthan) and (ii) Udaipur and Delhi is expected to be introduced in 1980.

(b) The S.T.D. service from Udaipur to the above places is planned to be provided through a Trunk Automatic Exchange to be installed at Jaipur. The installation of this Trunk Automatic Exchange will commence shortly and is expected to be commissioned in 1980.

राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा खरीदी गई पुस्तकें

7654. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 1976-77 में 10 हजार रुपयों के मूल्य की पुस्तकें खरीदी थी; और यदि हां, तो क्या इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा और ये पुस्तकें किस को मिलीं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : वर्ष 1976-77 के दौरान राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 1,28,810.81 रुपये की पुस्तकें खरीदी और ये पुस्तकें संस्थान के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

Expenditure Incurred on Conference by National Labour Institute.

7655. Shri Bhanu Kumar Shastri. Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the item No. 2 on page No. 124 of the bulletin of March, 1977 of the 'National Labour Institute' under the Ministry; and

(b) if so, the expenditure incurred on the conference in which 27 representatives of 12 countries participated from 21st March to 25th March, 1977 and the achievements thereof and whether a report in this respect will be laid on the Table of the House ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) (a) and (b): The National Labour Institute hosted a five-day Workshop on the Role of Labour Research Organisations in strengthening the research activities in Asian Ministries of Labour from March 21-25, 1977. This was sponsored by I.L.O., Geneva and Asian Regional Project forstrengthening Labour Administration Wing of I.L.O., Bangkok. The total expenditure incurred was Rs. 13,602.30 (Rupees thirteen thousand six hundred and two and paise thirty only). The main purpose of the Workshop was to review the role of research organisations of the countries of Asian Region including the Pacific and to share the experience of the participant countries. A summary of findings and recommendations is given in the attached statement.

Placed in the Library See No. LT 7655/78)

जम्मू और काश्मीर से हज तीर्थयात्री

7656. **श्रीमती पार्वती देवी**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो : दौरान जम्मू और काश्मीर राज्य के कितने तीर्थयात्रियों को हज यात्रा की अनुमति दी गई ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): 1976 और 1977 में जम्मू और काश्मीर से यात्रियों की संख्या क्रमशः 1232 और 1139 थी जबकि उनका विशेष कोटा 1250 और 1300 का था।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया को पुनः चालू किया जाना

7657. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया को पुनः चालू किये जाने के बारे में 16 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, आसनसोल के प्रबंध को अपने हाथ में लेने का निर्णय सिद्धांत रूप में कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उसका प्रबंध अपने हाथ में वास्तव में कब तक ले लेगी;

(ग) "सिद्धांत रूप में" शब्दों का क्या अर्थ है; और

(घ) सरकार ने अपना कार्य केवल निर्माण सुविधा तक सीमित रखने का निर्णय किन कारणों से किया है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबंध का अधिग्रहण करने के बारे में आवश्यक अधिसूचनाएं शीघ्र जारी किए जाने की आशा है ?

(घ) ऐसा प्रौद्यो-आर्थिक कारणों से किया गया है ।

भारतीय टेलीफोन उद्योग का अमरीका के साथ वित्तीय सहयोग करार

7658. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय-टेलीफोन उद्योग का अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन तथा तार विभाग के साथ वित्तीय सहयोग है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) भारत सरकार और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०) ने, इण्टरनेशनल टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्पोरेशन (आई० टी० टी०) ग्रुप के साथ 21 मई, 1964 को, दो करारों पर हस्ताक्षर किये थे ।

पहला करार, न्यूयार्क की इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन (जो कि आई० टी० आई ग्रुप की एक सहायक कम्पनी है) के साथ, भारत में पेंटाकोंटा किस्म के क्रासबार स्विचिंग उपस्कर बनाने का लाइसेंस देने और आई० टी० आई० को 10 लाख अमरीकी डालरों का ऋण देने तथा पेंटाकोंटा क्रासबार उपस्कर निर्माण प्रायोजना के वित्त पोषण के लिए, आई० टी० आई० की साम्य पूंजी में 12.5 लाख अमरीकी डालरों के निवेश के लिए था।

दूसरा करार भारत में पेंटाकोंटा क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी और उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए एण्टवर्प बेल्जियम की, बेल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (जो कि आई० टी० टी० ग्रुप के इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी है) के साथ किया गया था।

आरम्भ में, दोनों करार 21-5-1964 से 7 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य थे । आई० टी० आई० द्वारा करार में परिकल्पित निर्माण क्षमता प्राप्त करने और डाक-तार विभाग द्वारा पेंटाकोंटा क्रासबार एक्सचेंजों के संचालन में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए, करारों की अवधि, 20 मई, 1971 के बाद एक-एक वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई गई थी । करार की बढ़ी अवधि के दौरान आई० टी० आई० ने इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन को कोई स्वामित्व नहीं दिया।

इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन से मिला 10 लाख अमरीकी डालर का ऋण, मई, 1977 से शुरू होने वाली तीन वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है । आई० टी० आई० ने पहली किस्त 23 मई, 1977 को अदा कर दी है ।

आई० टी० आई० में इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन के साम्य पूंजी हिस्सों को खरीदने का प्रश्न विचाराधीन है । इन हिस्सों के खरीद की शर्तों के बारे में, इस समय इण्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन के साथ बातचीत चल रही है ।

आपात स्थिति के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में बर्खास्त किये गये कर्मचारियों की बहाली

7659. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान बर्खास्त किये गये लगभग 4000 कर्मचारियों को जिनमें से अधिकांश गैर-सरकारी क्षेत्र में है, सरकार के स्पष्ट निदेश के बावजूद अभी बहाल किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्व विवरण क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का विचार अपना निर्णय क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पदच्युत किए गए 5,765 व्यक्तियों में से 1669 व्यक्तियों को बहाल किया गया है।

(ग) श्रम मंत्री ने संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे संबंधित संगठनों के साथ अपने पद का प्रभाव डाल कर यह देखें कि ऐसे कर्मचारियों को सेवा में बहाल कर दिया गया है:

(1) जिन्हें उनके नियोजकों ने सेवा से इस कारण बरखास्त या पदच्युत कर दिया गया था, कि वे आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम या भारत रक्षा एवं आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द होने के कारण अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे।

(2) जिन्हें सेवा से इसलिये बरखास्त या पदच्युत किया गया था, कि उनका संबंध कुछ ऐसे संगठनों से था जिन पर पिछली केन्द्रीय सरकार ने पाबन्दी लगा रखी थी या जो तत्कालीन सरकार के कृपापात्र नहीं थे।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

7660. **श्री समर गुह:** क्या संचार मंत्री कलकत्ता टेलीफोन के कार्यकरण के बारे में 9 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2270 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने यह कैसे निष्कर्ष निकाला है कि गत कुछ महीनों के दौरान शिकायतों की संख्या में कमी हुई है:—

(ख) उक्त निष्कर्ष के समर्थन में आंकड़े वह तथ्य क्या हैं; और

(ग) कलकत्ता टेलीफोन विभाग में सुधार हेतु उपरोक्त प्रश्न की मद "एक को तथा छः" के उत्तर में बताये गये उपायों के अनुसरण से क्या परिणाम उपलब्ध हुए?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) भाग (ख) के उत्तर में दिये गये शिकायतों के सांख्यिकीय तथ्यों के आधार पर।

(ख) जून 77 से फरवरी 78 तक की अवधि के बीच की शिकायतों के सांख्यिकीय तथ्य नीचे दिये जा रहे हैं :

महीना	प्रतिमास प्रति 100 टेलीफोनों पर निबल शिकायतों की संख्या
जून 77	53
जुलाई 77	61
अगस्त 77	53
सितम्बर 77	48
अक्टूबर 77	40
नवम्बर 77	38
दिसम्बर 77	40
जनवरी 78	38
फरवरी 78	34

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका उत्तरोत्तर कार्यान्वियन किया जा रहा है और यह काम पूरा होने में कुछ समय लगेगा।

केबुल के जोड़ों की जांच के लिए खाइयों में पानी भरने की व्यवस्था से जोड़ों की हरमेटिक सीलिंग सुनिश्चित होगी और जोड़ों के जरिये नमी पहुंचने के कारण केबुलों को खराब होने से रोका जा सकेगा । कैबिनेटों की स्थापना से केबुल पेयर के दोषों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और नये टेलीफोन कनेक्शन देने में अधिक उपयोग क्षमता मिलेगी । नमी रोधक की व्यवस्था से क्षतिग्रस्त केबुल के एक भाग से जोड़ के पार अन्य शाखाओं में नमी के प्रवेश को रोका जा सकेगा । केबुल के आवरण में छोटी मोटी क्षति के रास्ते केबुल के भीतर नमी पहुंच जाने के कारण जो वितरण केबुल पेयर खराब हो जाते हैं, इस स्थिति की रोक थाम जेली भरे केबुलों के इस्तेमाल से की जा सकेगी ।

भूमिगत केबुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में, माइक्रोवेल प्रणाली के माध्यम से जंक्शनों की जो व्यवस्था की गई है, उससे वैकल्पिक जंक्शन सर्किट उपलब्ध हो जाता है ।

रावलपिंडी में शाहनवाज खां के निवास स्थान का पता लगाने में विफलता

7661. **श्री समर गुह :** क्या विदेश मंत्री 9 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के रावलपिंडी नगर में श्री शाहनवाज खां के परिवार के अनेक निकट सदस्य हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां श्री खा क ानिवास स्थान का पता लगाने में विफलता के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को श्री खां से कोई उत्तर मिला है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) श्री शाहनवाज खां से पत्र लिखकर यह सूचना मांगी गई है ।

(ख) उत्तर आने पर ही सरकार आगे कोई कार्रवाई करने की स्थिति में होगी।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये सहायता

7662. **श्री पी०जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1977-78 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन से सक्रिय तथा आगे सहयोग और सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : परिवार नियोजन/कल्याण कार्यक्रम के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता मुख्यतया मानव प्रजनन पर अनुसंधान कार्य में सहयोग के क्षेत्र में होती है । 1977 के अन्त तक इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग 4,173,047 डालर की सहायता दी थी जिसे देश की 18 अनुसंधान संस्थाओं में बांटा गया । 1977 के बीच कुल 1,071,481 डालर की सहायता दी गई ।

इसके अतिरिक्त 1977-78 के दौरान प्रेरित गर्भपातों के अध्ययनार्थ खर्च के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन से 91,586 डालर की राशि मिली थी ।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम की सहायता देने वाला संयुक्त राष्ट्र का प्रधान संगठन है—जनसंख्या कार्यकलापों को संयुक्त राष्ट्र निधि । इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातिक निधि (यूनिसेफ) द्वारा भी जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के लिये सहायता दी जाती है जो परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है ।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजनायें

7663. **श्री पी०जी० मावलंकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977 के दौरान प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की एक अथवा अनेक योजनायें आरम्भ की थीं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटा ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना को सरकारी क्षेत्र की वाणिज्यिक और सेवा संगठनों पर भी लागू किया गया । इस योजना में कम से कम 100 व्यक्तियों को नियोजित करने वाली एककों में एकक परिषद् तथा संयुक्त परिषदों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है तथा इसमें इन परिषदों के मुख्य कार्य निर्धारित किये गये हैं ।

एक त्रिपक्षीय समिति प्रबन्ध और इक्वटी में श्रमिकों की सहभागिता के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार कर रही है ।

द्रुत डाक सेवा (क्विक मेल सर्विस) का कार्यकरण

7664. **श्री पी०जी० मावलंकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में समूचे देश में द्रुत डाक सेवा (क्विक मेल सर्विस) के कार्यकरण का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के मोटे तौर पर क्या परिणाम निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त 'क्यू०एम०एस०' सेवा में सुधार और इसका विस्तार करने का है तथा यदि हां, तो कैसे और कब तक ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) संतोषजनक है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस सेवा में आगे और सुधार लाने के लिये इस सेवा के कार्यकरण की नियमित जांच की जाती है । इस सेवा का विस्तार करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भविष्य निधि को बैंकों में जमा कराना

7665. **श्रीमती अहिल्या पो० रांगनेकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री भविष्य निधि की राशि को बैंकों में जमा कराने के बारे में 15 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4065 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन उप श्रम-मंत्री द्वारा केन्द्रीय न्यास बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से, धनराशियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेशित करने के लिये कथित रूप से दी गई अनुमति वैधानिक दृष्टि से सही है ;

(ख) यदि नहीं, तो निधि का निवेश अभी तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्यों कराया जा रहा है ; और

(ग) क्या इस निवेश के लिये असुविधापूर्ण स्थानों पर स्थित बैंकों तथा उनकी शाखाओं का चयन किया जाना श्रमिकों के हित में होने की बजाय व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये निर्देश करने के अनुचित उद्देश्य नहीं बताता है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) इस अनुमति का उद्देश्य एक कानूनी प्रश्न पर राय की अभिव्यक्ति है ।

(ख) और (ग) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि निवेश दिल्ली में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की केवल ऐसी शाखाओं में किया गया है, जिन्होंने 61 महीनों के लिये 1000 रुपये की राशि को निवेशित करने के बाद देय तिथि पर 1665 रुपये की राशि का भुगतान करने की पेशकश की थी । जबकि भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित सामान्य दर 1659.02 थी ।

Gold Extracted from Kolar Gold Mines

7666. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of gold extracted from kolar Gold Mines by Government during the past three years, year-wise;

(b) further quantity of gold expected to be extracted from these mines ; and

(c) whether Government have received reports about location of gold mines at any other place ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Bharat Gold Mines Limited, a public sector undertaking of Central Government extracted 1948 Kgs., 2204 Kgs. and 1941 Kgs. of gold from Kolar Gold Mines during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 respectively.

(b) Bharat Gold Mines Limited have reported that based on the present known sources of ore approximately about 35 tonnes, i.e. 35,000 Kgs. of gold is expected to be extracted in future.

(c) There are a few other known gold occurrences in the country, out of which significant deposits are at Hutti in Karnataka and Ramagiri in Andhra Pradesh. Hutti Gold Mines are already being exploited by Hutti Gold Mines Company Limited, a State Government Undertaking, while there are possibilities of exploitation of gold by Bharat Gold Mines Limited at Ramagiri Gold Fields in Andhra Pradesh.

Encouragement of Ayurvedic, Unani and Homoeopathic Systems

7667. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to encourage Ayuyvedic, Unani and Homoeopathic systems of medicine and whether Government would consider formulating a scheme for giving incentive to Vaidyas in rural areas in order to popularise these systems in rural areas ; and

(b) the expenditure incurred last year by Government on the aforesaid medica systems as also the amount allocated for 1977-78 and 1978-79 ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The following steps have been taken by the Government of India to encourage Ayurvedic, Unani and Homoeopathic Systems of medicine :

(1) Progressively increasing allocations are being provided in the Health budget every year.

(2) In 1970, it was decided to utilise Ayurvedic, Unani, Siddha and Homoeopathic systems along with Allopathy for National Health Services in the country and these systems were recognised in 1972 for the purpose of reimbursement of medical treatment under CF(MA) Rules, 1944.

(3) Facilities for treatment according to these systems of medicine have been provide under CGHS..

(4) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy (CCRI M&H) was established in 1969 for research in the different aspects of these systems. Apart from 15 full-fledged Research Institutions, 120 Research Units are functioning in different parts of the country under the Council.

(5) For regulating the education and practice in these systems two statutory Councils, one each for Indian Medicine and Homoeopathy, have been established.

(6) Pharmacopoea Committee for these systems have been constituted for laying down standards and tests for the drugs used in these systems.

(7) The Rules framed under the Drugs and Cosmetics Act are being enforced to bring under its purview the drugs used in these systems.

(8) Two pharmacopoeal laboratories, one each for Indian Medicine and Homoeopathy, have been established.

(9) National Institutes for Ayurveda and Homoeopathy have been established.

(10) To improve standards of teaching, financial assistance is being given to private under-graduate colleges of ISM and Homoeopathy.

(11) Besides two full-fledged post-graduate training institutions in Ayurveda (Post-graduate Centre for Ayurveda in Banaras Hindu University and Gujarat Ayurvedic University) there are 16 post-graduate Department in Ayurveda, two in Unani and 2 in Siddha. These have been established with financial assistance from the Government of India.

(12) To improve the condition of State Pharmacies for ISM, financial assistance is being given by the Government of India.

(13) In February, 1978, the Working Group on Indigenous Systems of Medicine and Homoeopathy constituted by the Planning Commission to prepare the Sixth Five Year Plan programme, gave its report.

(14) Various development programmes for Ayuveda, Unani and Homoeopathy among others, were discussed in the 4th Joint Conference of Central Councils for Health and Family Welfare, held in January 28—31, 1978 and the Conference recommendations have been circulated among the States.

(15) It has been decided to establish in place of C.C.R.I. M.H. 4 Research Councils, one each for Ayurveda including Siddha, Unani, Homoeopathy and Naturopathy including Yoga.

(16) It has been decided to establish a National Institute for Unani System of Medicine.

(17) It has been decided to establish a 300 bedded Ayurvedic Hospital at Harinagar New Delhi.

(18) State Governments/Union Territories have been requested to appoint in the Primary Health Centres, a third Doctor belonging to Indian System of Medicine and Homoeopathy.

(19) It has been decided to open Units of ISM and Homeopathy in all the new dispensaries to be opened under CGHS.

(20) A Company to manage a Central Pharmacy for Indian Systems of Medicines is being set up.

The traditional healers viz. the Vaidyas, Hakims and Homeopaths have an important place in providing medical aid to the people in the villages since a large number of them are settled in the rural areas. In order to make these practitioners more useful in providing health and medical care and to increase their efficiency it is proposed, during the current Five-Year Plan, to impart short term training in community health, including preventive medicine, hygiene and methods of diagnosis in addition to intensive training in their own systems to such practitioners.

Under the Rural Health Scheme the Vaidyas, among others, can also be selected for training as Community Health Workers by the Gaon Sabhas or other representative organisations from within the community itself.

(b) The expenditure incurred during 1976-77 and the allocations made for 1977-78 and 1978-79 by the Government on the different schemes for the development of Homeopathy, Ayurveda, Unani etc., is as under :—

Name of System	Expenditure during 1976-77	Revised Estimates 1977-78	Budget Estimates 1978-79
	(In lakhs)	(In Lakhs)	(In Lakhs)
Homoeopathy . .	21.69	17.08	40.55
Ayurveda, Unani etc. . .	227.00	263.31	438.51

Use of Indigenous Machines for Extraction of Minerals

7668. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are using indigenous machines for locating and extracting minerals in the country;

(b) if not, the number of machines which are still being imported from foreign countries and the amount of foreign exchange spent on this account during the last year; and

(c) the steps taken by Government to ensure that the machines used in the mines are manufactured in the country in future ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) (a) : Indigenous machinery is being used for locating and extracting minerals in the country to the maximum extent possible.

(b) Where suitable indigenous machinery is not available to meet special requirements, such machinery is imported. A statement showing itemwise imports of excavating levelling, boring etc. machinery and surveying instruments during 1976-77 is attached.

(c) The Government of India, in the Ministry of Industry have set up various working groups (including one on Earth Moving and Mining Machinery) to make recommendations

on the targets to be set for the production of machinery and to recommend the optimal way of meeting our needs.

Statement

Value in Rs. lakhs
Quantity as per unit

S.No.	Description of Items Machinery	1976-77		Remarks
		Qty.	Value	
1	2	3	4	5
1.	Bulldozers	13	137.68	Information is based on the advance data received by the Department of Economic Adviser from the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta for 1976-77.
2.	Coal Mining Machinery (Coal cutters) .	204	475.51	
3.	Excavators . .	9	92.46	
4.	Levellers (grading machines).	3	7.38	
5.	Mechanical Shovels	27	169.18	
6.	Mining machinery other than coal mining (cutting machines)	23	16.75	
7.	Petroleum and gas well drilling equipment	1258	379.98	
8.	Pile drivers . .			
9.	Rock drilling machinery (including diamond drilling)	866	99.35	
10.	Scrapers (earth shifting machines)	25	277.94	
11.	Tubewell drilling and core drilling machinery	105	62.40	
12.	Other sorts (including snow-ploughs, not self propelled)	398	63.86	
13.	Parts of mining machinery . .	1830	936.98	
14.	Parts of petroleum and gas well drilling equipment	14744	3892.18	
15.	Parts and accessories of excavating, etc. machinery etc.	6177	1922.32	
16.	Surveying instruments (including photo-geometrical surveying), hydrographic, navigational meteorological, hydrological and geophysical instruments; compasses; range finders, Telescopic levels (theodolites, transits) and parts thereof.		183.54	

Atomic Test by China

†7669. **Shri Daya Ram Shakya :**
Shri Madhavrao Scindia :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether China conducted an atomic test on the 15th March, 1978;

(b) whether Government of India have had talks with China in this regard; and

(c) the parts of India affected by the above test ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu):

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) There is no evidence of any part of India having been affected.

Health Scheme for Industrial Workers

7670. **Shri Ramjiwan Singh** : Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any health scheme for industrial workers; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : (a) A health scheme for industrial workers, namely, Employees' State Insurance Scheme, is already in operation.

(b) the details of the Scheme are as given in the attached statement.

Statement

Broad details of the Scheme are as given below :

Coverage :

The Scheme initially applied to non-seasonal power using factories empioying 20 or more persons. Some State Governments have extended it to smaller power using factories employing 10 to 19 persons, on-power using factories and certain categories of establishments employing 20 or more persons. The wage limit for coverage under the Scheme is Rs. 1,000 per month.

Benefits Provided :

The Scheme provides for medical care and treatment, cash allowance during sickness, maternity and employment injury. The dependents get pension on the death of workers, due to employment injury and funeral benefit towards expenditure on the funeral of an insured person.

Administration :

The Scheme is administered by a corporate body by name of Employees' State Insurance Corporation. The Corporation consists of members representing employees, employers, the Central Government, State Governments, medical profession and the Parliament. The administration of medical care under the Scheme is the responsibility of State Governments, except in Delhi, where the Corporation arranges medical care.

Finances :

The Scheme is mainly financed by contributions from employers and employees. The employers pay contribution at the rate of 4.35% of the total wage bill. The employees contribution works out to nearly 2.17 % of wages.

Grant of H.R.A. to Employees of Palanpur Post Office

†7671. **Sh. Motibhai R. Chaudhary :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the employees of Palanpur Post Office have made a demand for House Rent Allowance and a proposal to this effect has also been sent to the Director-General, Posts and Telegraphs long ago; and if so, the reasons for not taking any decision in this regard;

(b) whether Palanpur is the District headquarters and a big industry of diamond cutting is coming up there as a result of which the population has suddenly increased there and prices have gone up, if so, whether Government propose to accede to this demand; and

(c) the reasons for not granting house rent allowance in Palanpur when it is being given in similar other cities ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) & (b) There is no such proposal under consideration.

(c) House Rent Allowance is not admissible to the Central Government employees including P & T employees at Palanpur under the existing policy and standards.

Providing more lines between Dira and Malad.

†7672. **Shri Motibhai R. Chaudhary :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Dira and Maladi (Gujarat) are big business centres and there is considerable telephone traffic between these places but due to shortage of lines great incovenience is being experienced; and

(b) whether more lines would be laid between these places in order to ease the situation; and if so, when ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) & (b) It is presumed that the names of the places referred to are Deesa and Bhildi. Deesa and Bhildi in Gujarat are having considerable telephone traffic in between.

One additional trunk circuit is being added shortly and another will be added later on during the current year to ease the situation.

Providing Telephone Connection to Cooperative milk Production Society Oontwa

*7673. **Shri Motibhai R. Chaudhary** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Cooperative Milk Production Society of Oontwa village had deposited an amount of Rs.1000 on 20-11-1975 for getting telephone connection from Kadi Exchange; and if so, the reasons for not providing telephone connection to the Society;

(b) the number of those persons provided telephone connections who deposited money on a date after this society had deposited and the reasons therefor; and

(c) whether there is a telephone line from Kadi to this village ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) (a) The Cooperative Milk Production Society of Oontwa village deposited Rs.1000 on 10-12-1975 for getting telephone connection from Kadi Exchange. The telephone could not be provided as it required a large quantity of stores which are still awaited.

(b) 46 persons have been provided telephone connections after December, 1975 as very small quantities of wire were required for each of these.

(c) Yes Sir, but the existing telephone alignment requires strengthening for providing additional connections.

Placing Bisnagar, Badnagar and Kharolu telephone Exchanges under DET, Mehsana

*7674. **Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Bisnagar, Badnagar and Kharolu telephone exchanges were under D.E.T. Mehsana and have now been placed under D.E.T. Palanpur

(b) whether all these three exchanges are in Mehsana District; and if so, the reasons for placing them under other District at a far away distance; and

(c) whether, keeping in view the difficulties of the people, Government would reconsider the matter and place it again under Mehsana ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Yes, Sir. On formation of Palanpur Division in September, 1977 as a result of bifurcation of Mehsana Division into Mehsana and Palanpur Divisions.

(b) Yes, Sir. These exchanges are in Mehsana Revenue District. These exchanges were under SDO(T) Unjha in the erstwhile Mehsana Division and now under D.E.T., Palanpur.

(c) No difficulties are expressed by members of public and there is no reason for transfer of these exchanges under D.E.T. Mehsana. Further it is not feasible at present to place Unjha Sub-Division with above exchanges under D.E.T. Mehsana.

Nurses employed on Daily Wages in Delhi Hospitals

7675. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Nurses are generally employed on daily wages in hospitals of Delhi.

(b) if so, the amount paid to Nurses in the form of daily wages during the last 3 years, year-wise, and

(c) the difficulty being experienced in appointing Nurses on regular basis in the hospitals where such appointments are generally made ?

Minister of State For Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) to (c) No Sir. Nurses are not appointed on daily wage basis in any of the hospitals in Delhi. However, on the advice of the attending Physician/Surgeon "Special Nusing" is arranged for patients requiring special nursing care. But in such cases, although arrangement for the Nurse may be made by the Hospital authorities, the engagement of the Special Nurse is essentiay a private arrangement, which is paid for by the patient.

खानों में मजूरी में असमानता

ो **के० राममूर्ति : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह वताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों और कैप्टिव कोयला खानों में मजदूरी की दरें गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों तथा गैर-कैप्टिव कोयला खानों में मजूरी की दरों की तुलना में अधिक है जैसा कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के हाल के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य एवं श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद् द्वारा खनन क्षेत्र में किये गये व्यावसायिक मजदूरी में असमानता संबंधी सर्वेक्षण का एक निष्कर्ष यह था कि "कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र तथा कैप्टिव खानों में मजदूरी दरें निजी क्षेत्र तथा नानकैप्टिव खानों से उच्चतर थी ।"

(ख) सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार की खानों के लिये निर्धारित की गई मजदूरी दरें तथा कोयला खानों के संबंध में विपक्षीय समझौतों द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी दरें सारे देश में एक समान हैं । अन्य मामलों में मजदूरी दरें मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों या द्विपक्षीय समझोतों पर आधारित हैं

सरकार ने मजदूरी, आय और मूल्य नीति के संबंध में एक अध्ययन दल गठित किया है । अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार के मामले शामिल हैं । न्यूनतम मजदूरी, इसको निर्धारित करने के लिये अपनाये जाने वाले मापदण्ड क्या हों; क्या न्यूनतम मजदूरी एक समान होनी चाहिये या अलग-अलग क्षेत्रों, इलाकों के संबंध में तथा संगठित क्षेत्र में अलग-अलग नियोजकों के लिये यह अलग-अलग हो सकती हैं ।

प्रायोगिक परियोजनाओं का पूरा किया जाना

7677. **श्री के० राममूर्ति : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रमिकों में अपने सामाजिक आर्थिक पर्यावरण तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति समीक्षात्मक जागृति फैलाने के लिये केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में 1977-78 के दौरान प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ग्रामीण श्रमिक उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हुए; **और**

(ग) यदि नहीं, तो प्रायोगिक परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां । 1977-78 के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में 5 दिनों के रिहायशी कैम्प की 14 प्रायोगिक परियोजनाएं आयोजित की गईं।

(ख) 576 ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया । इसके अलावा, अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों के अन्तर्गत एक या दो दिनों की अवधि के 97 कैम्पों में लगभग 4000 ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Emp oyees in Communications Ministry

*7678. **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Class I, II, III, and IV employees working in the Communications Department in each State and the number of employees belonging to the Harijans and Adivasis among them;

(b) the quota of reservations made for Harijans and Adivasis in each category of posts and the percentage of quota out of it filled and whether the entire reserved quota has beed filled; and

(c) if not, the steps being taken by Government to fill this quota and the details thereof the time by which the entire quota will be filled ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) (a), (b), (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

रोडेशिया समझौते पर प्रतिक्रिया

7679. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री चित्त बसु :

श्री हरि विष्णु कामत : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोडेशिया में हुए आन्तरिक समझौते पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई विशेष कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले पर अन्य दशों को भेजे गये पत्र का ब्यौरा क्या है और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क),(ख),(ग) और (घ) भारत सरकार रोडेशिया के आंतरिक समझौते को अवैध तथा अस्वीकार्य मानती है । भारत सरकार का यह निश्चित मत है कि हस्तान्तरण के लिए किसी ऐसे प्रबन्ध के प्रयास से, जिसमें पैट्रियाटिक फ्रंट को शामिल न किया गया हो, जिम्बाब्वे में तथा उसके आसपास नागरिक संघर्ष छिड़ने की संभावना हो सकती है और उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं ।

इस विषय में हम अंग्ररेखी राज्यों से तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी मुक्ति आंदोलनों के नेताओं से और ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों से संपर्क बनाये हुए हैं । हमने दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद् में एक संकल्प भी प्रस्तुत करके अपने इस मत को दुहराया कि सुरक्षा परिषद् तथा महासभा के संगत संकल्पों के अनुरूप दक्षिणी रोडेशिया में उपनिवेशवाद समाप्त करने की विधितः जिम्मेदारी गुनाइटिड किंगडम की है तथा इस बात पर बल दिया कि आत्मनिर्णय के लिये वहां के लोगों के स्वतन्त्र अधिकार के प्रयोग के जरिये बहुमत शासन की स्थापना की जाये । हमने अपना यह मत भी व्यक्त किया कि आंग्ल-अमरीकी प्रस्तावों पर आधारित तथा अफ्रीकी नेताओं और देशभक्त मोर्चा के साथ बातचीत के जरिये संयुक्त राज्य अमरीका तथा युनाइटेड किंगडम द्वारा पहल पुनः शुरू किये जाने से कुछ सफलता मिलेगी । हमारी सरकार तथा अन्य देशों की सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार की ठीक-ठीक विषयवस्तुएं गोपनीय स्वरूप की हैं और उनका ब्यौरा जनहित की दृष्टि से बताया नहीं जा सकता । लेकिन जैसा कि आपको स्मरण होगा कि विदेश मंत्री ने सोमवार 20 मार्च, 1978 को राज्य सभा में इस विषय पर एक विस्तृत वक्तव्य दिया था जिसमें सरकार की स्थिति स्पष्ट की गई है ।

मैंगनीज अयस्क खानों का बन्द किया जाना तथा उसके प्रभाव

7680. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अनेक मेंगनीज अयस्क खानें बन्द पड़ी हैं और बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बालाघाट में तांबे के निक्षेप

7681. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बालाघाट में तांबे के विपुल निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तांबे के खनन के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बालाघाट जिले में मालजखण्ड में तांबे के काफी सम्पन्न निक्षेप हैं । किये गये अन्वेषण के फलस्वरूप इस निक्षेप में 605 लाख टन अयस्क भंडार है जिनमें खदान सीमाओं के अन्दर 1.24% तांबा हैं ।

(ख) सरकार ने मालजखंड ताम्र निक्षेप के दोहन के लिये एक योजना मंजूर की है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख टन अयस्क (इसके अनुरूप 23000 टन धातु) का उत्पादन किया जायेगा । परियोजना पर प्रारंभिक कार्य हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा पहले ही शुरू किया जा चुका है ।

Import of Special Equipments for the Treatment of Cancer

7682. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether for the treatment of cancer patients in the country, some special equipment has been imported by Government recently;

(b) if so, the details thereof;

(c) the names of the hospitals where they are likely to be installed; and

(d) the expenditure incurred on their import ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a), (b), (c) & (d) : Equipment for the treatment of cancer is imported for use in various hospitals/institutions in the country from time to time depending upon need and availability of financial resources. An Automatic Blood Cell Septearator costing Rs. 2.40 lakhs has been installed in March, 1978 by Cancer Institute, Madras out of the grant released by this Ministery. A Linear Accelerator was gifted by the Government of Denmark to this Institute in December, 1976. A Linear Accelerator is also being imported of the Rotary Cancer Hospital, AIIMS, New Delhi.

During 1977-78 this Ministry has given central assistance for the setting up of Cobalt Thereapy Units at (1) Government Royapettah Hospital, Madras (2) Rajendra Medical College, Ranchi, (3) Banaras Hindu University, (4) Medical College & Hospital, Calicuit.

जनसंख्या विस्फोट

7683. **डॉ० रामजी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिय कुछ कठोर विधायी उपाय करने का है, यदि हां, तो किस दिशा में; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार समझती है कि केवल मात्र प्रचार एवं जनशिक्षा के द्वारा यह अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : सरकार छोटे परिवार के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिये शैक्षिक और पूर्णतया स्वैच्छिक दृष्टिकोण अपनाने के लिये वचनबद्ध है तथा अनिवार्य नसबंदी के संबंध में किसी भी प्रकार के कानून बनाने के बिल्कुल खिलाफ है । सरकार को इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राय: देश के लोग जिम्मेदार माता-पिता बनने के महत्व को जानते हैं और अगर उन्हें आवश्यक जानकारी और काफी सेवायें उपलब्ध कराई गई तो वे छोटे परिवार के सिद्धांत को स्वीकार करेंगे ।

गहन शिक्षात्मक और प्रेरणात्मक अभियान चलाये गये हैं, जिनमें गांव के विचार-प्रमुख नेताओं की प्रेरणा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । इस प्रयोजन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रेरणा और शिक्षा शिविर भी लगाये जा रहे हैं । जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और उन्हें मजबूत बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । ये सेवायें परिवार कल्याण कार्यक्रम का अभिन्न अंग हैं । परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक जन-आंदोलन का रूप देने के अभिप्राय से स्वैच्छिक संगठनों और संगठित श्रमिक सैक्टर को अधिकाधिक संख्या में इस कार्यक्रम में लगाने का सुनिश्चय भी किया जा रहा है । हाल ही में चलाई गई नई जनस्वास्थ्य रक्षक योजना तथा गांवों की दाइयों की प्रशिक्षण योजना से भी ग्रामीण लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिलेगी और वे छोटे परिवार के सिद्धांत को अपनाने लगेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भरोधन के सभी तरीकों को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ वहां पर पुरुषों और स्त्रियों के लिये नसबन्दी सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी गई है ।

इस कार्यक्रम के सार्थक कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने तथा 1982-83 तक जन्म-दर को घटाकर 30 प्रति हजार आबादी तक लाने के उद्देश्य की पूर्ति करने के विचार से यह निर्णय किया गया है कि परिवार नियोजन और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के कार्य को प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली केन्द्रीय प्लान सहायता के साथ जोड़ दिया जाये और इस प्रयोजन के लिये राज्यों से 1978-79 में अपेक्षित कार्य-निष्पादन के स्तर उन्हें बताये जा रहे हैं । सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि उपर्युक्त स्वैच्छिक और शिक्षात्मक दृष्टिकोण के जरिये 1983 तक जन्म-दर के स्तर को घटाने का उद्देश्य पूरा कर लिया जायेगा ।

राउरकेला में भर्ती के मामलों में कमजोर वर्गों के साथ अन्याय

7684. **डॉ० रामजी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राउरकेला इस्पात नगर के कमजोर समुदाय के लोगों से भर्ती के मामले में उनके साथ किए गए अन्याय के संबंध में कोई पत्र मिला है; और

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र में क्रमशः श्रेणी I II, III तथा IV में आदिवासियों की प्रतिशतता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जब तक उस पत्र का जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है पूरा विवरण न दिया जाये तब तक यह कहना सम्भव नहीं है कि उक्त पत्र सरकार को मिला है अथवा नहीं ।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने में 1 जनवरी, 1978 को विभिन्न ग्रुपों में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

ग्रुप	कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता
1	2
ग्रुप 'ए'	0.83
ग्रुप 'बी'	1.31
ग्रुप 'सी' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	20.94
ग्रुप 'सी' (केवल सफाई कर्मचारी)	3.51

टिप्पणी : 1. ग्रुप 'ए' के पदों का अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 1300 रुपये से कम नहीं है।

2. ग्रुप 'बी' के पदों का अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 900 रुपये से कम नहीं है परन्तु 1300/- रुपये से कम है ।

3. ग्रुप 'सी' के पदों का अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 290 रुपये से अधिक है परन्तु 900 रुपय से कम है ।

Implementation of Official Language Act, 1963

7685. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the provisions of section 3(3) of the rules made under the Official Languages Act, 1963 are being fully implemented in his Ministry;

(b) if so, the total number of general orders, circulars, notices, tender, permits etc., issued during the last six months of 1977 and the number out of them issued in Hindi alongwith English; and

(c) whether the provision of the said section is not being fully implemented; and if so, the reasons therefor and the steps taken by Government for their implementation ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes, almost fully in so far as the Ministry proper is concerned. However, in the Directorate General of Health Services, in which the nature of the work is mostly technical, every effort is being made to implement these provisions fully.

(b) Total number issued		Number issued in Hindi & English
Ministry proper	239	218
Directorate General of Health Services	220	150

(c) In so far as the Ministry proper is concerned, only 21 orders etc. were inadvertently issued in English only during this period. Fresh Orders have been issued to all the Officers to ensure that provisions of the Official Languages Act are implemented fully.

In so far as the attached office i.e. Directorate General of Health Services is concerned, orders pertaining to Technical Officers etc. were previously being issued in English since it was felt that only a few Officers of this category knew Hindi. However, instructions have again been issued to that office as well to avoid violation of these statutory requirements. Efforts to gear up the implementing machinery are also being made.

Publications of Newspapers and Magazines in Hindi

7686. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the publications and newspapers and magazines brought out by his Ministry/Department in 1977;

(b) the number of publications, newspapers and magazines, out of them , brought out in Hindi also and the reasons for not publishing in Hindi the remaining ones;

(c) whether it is proposed to bring out all such publications and newspapers and magazines in Hindi which are still being brought out in English; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) & (b) Five monthly journals are brought out by this Ministry three in English and two in Hindi.

The two Hindi journals 'Hamara Ghar' and 'Arogya Sandesh' are of popular nature, motivational in character meant for common general public. The English journal 'Centre Calling' is limited in circulation amongst the programme personnel on all-India basis and informative in character.

The journal "Swastha Hind" is published in English only as it is more technical in nature and meant for limited readership. The other monthly 'DGHS Chronicle' is published only in English as it is meant for medical and other technical personnel within the Ministry and its various Departments. This is cyclostyled and not printed.

Apart from these five regular journals many other publications e.g. folders, brochures, booklets, leaflets, etc. are also brought out by this Ministry for educational and motivational purposes. During 1977 about 39 such items were produced out of which 30 were produced in Hindi as well. While some of the items have been produced in all the regional languages also for the common people all over the country, some were produced in English only as these were meant for limited circulation amongst policy makers and programme implementers at higher level on all India basis. A statement giving the list of these items is enclosed (Annexure).

(c) & (d) There is no proposal to duplicate such journals/publications which are restricted in nature and meant for technical personnel at higher level as that would involved huge amidable extra expenditure. However, more and more educational and motivational material for wider circulation is being brought out on the requirement of the programmes.

Statement

List of Publications, Newspapers and Magazines brought out by the Ministry of Health and Family Welfare

I. List of Monthly Journals

(*i*) *Hindi*

(1) Hamara Ghar

(2) Arogya Sandesh

(*ii*) *English*

(1) Centre Calling

(2) Swasthya Hindi; and

(3) D.G.H.S. Chronicle.

II. List of other Publications (Folder/Pamphlets/Brochures/Leaflets etc.).

(*i*) *Hindi Only*

(1) Dehat Me Swasthay Sevaen.

(2) Panchayaton Ka malaria unmoolan mein yogdan—pamphlet.

(3) Kala Azar—Handbill.

(4) Kala Azar—Folder.

(*ii*) *Hindi/English*

(1) Malaria Handbills.

(2) Family Welfare Programme Statement of Policy.

(3) Towards a New Health Policy—Folder.

(4) "New Approach to Health & Family Welfare"—Folder.

(5) Guidelines for implementation of Scheme for Prophylaxis against Vitamin 'A' Deficiency.

(6) Handbill regarding Family Welfare Fortnight.

(7) Your first visit to the Doctor—Leaflet.

(8) Triple Immunisation Booklet.

(9) Prophylaxis against Nutritional Anaemia Booklet.

(10) Prophylaxis against Vitamin 'A' Deficiency—Booklet.

(11) Diarrhoea in Children—Booklet.

(12) Preparation for the New Baby—Booklet.

(13) Preparation for the confinement—Booklet.

(14) Folder on Nirodh.

(15) Guidelines for Media and Extension Personnel.

(16) Placing the people's health in People's hands—Folder

(17) Cataract—Folder.

(18) Conjunctivities—Folder.

(19) Leprosy and you—Folder.

(20) Help fight food Adulteration—Folder.

(21) Freedom from Smallpox—Folder.

(22) You can prevent Mosquito breeding and stop malaria—Folder.

(23) You can prevent cholera—Folder.

(24) Guineaworm—Folder.

(25) Safe water and clean surroundings—Folder.

(26) What you should know about Goitre—Handbill.

English Only

(1) Year Book '75-76—F.W. Planning Programme.

(2) Facts & Figures on F.P.—January '77

(3) Manual for Vasectomy operation (Technical Guidelines).

(4) Role of Medical Officer PHC in Malaria Control—Booklet.

(5) Performance Budget for the year 1977-78 of Deptt. of Health and F.W.

(6) Facts & Figures on Population & F.W. April, 1977.

(7) Facts & Figures on Family Welfare Programme upto July 31, 1977.

(8) Facts & Figures on Family Welfare—October, 1977.

(9) Water supply and sanitation in Urban areas*—Folder.

*Hindi version is being printed.

Language-wise Books in Library

7687. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the total number of books in the library of his Ministry/Department, language-wise;

(b) the amount spent on the purchase of English and Hindi books, separately, for the library during the last two years;

(c) the names of newspapers and magazines purchased for this library at present and the names of Hindi newspapers and magazines out of them; and

(d) whether any scheme has been formulated to increase the number of Hindi books and newspapers and magazines in the library and if so, the details thereof?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a)

English Books	73745
Hindi „	702
Urdu „	2
Sindhi „	2
Kannada „	2
Bengali „	2
Gujarati „	2
Marathi „	2
Panjabi „	5
Kashmiri „	1
Tamil „	1

	1976-77	1977-78
	Rs.	Rs.
(b) (i) English books	25083.88	9591.40
(ii) Hindi books	1345.74	589.25

(c) A statement giving the required information is attached. [Placed in Library—See No. L.T. 2151/78]

(d) With a view to promoting the acquisition of suitable books and periodicals in Hindi, a Committee has been constiuted recently for the selection of books and periodicals.

एल्यूमिनियम निर्माण की लागत में वृद्धि

7688. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान एल्यूमिनियम निर्माण की लागत में वृद्धि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) वर्ष 1977-78 के दौरान एल्यूमिनियम की उत्पादन लागत में वृद्धि मुख्यतया बिजली तथा अन्य निवेश सामग्री की बढ़ी हुई लागत के कारण हुई ।

लौह स्क्रैप का आयात

7689. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात और खान मंत्रालय ने लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा ढलाई के लिये तदर्थ आधार पर लौह स्क्रैप के आयात की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो आयात की अनुमति किस आधार पर दी गई थी और कितनी मात्रा का किस मूल्य पर आयात किया गया;

(ग) क्या स्क्रैप की स्वदेशी उपलब्धता में कोई कमी है और क्या इसका मूल्य इतना अधिक है कि कीमतों में कमी लाने के लिए आयात आवश्यक है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो आयातित स्क्रैप का उपयोग किस-किस लघु इस्पात संयंत्र ने किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकार ने हाल में विद्युत् चाप भट्टी इकाइयों को पिघलाने के लिये फैरस स्क्रैप की कुछ विशिष्ट श्रेणियों का सीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है ।

(ख) और (ग) आयात की अनुमति मुख्यत: देशीय उपलब्धि में प्रत्याशित कमी और देश में स्क्रैप के मूल्यों में स्थिरता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दी गई है। फिर भी, अभी तक आयात नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में लघु इस्पात संयंत्रों के लिये गत वर्ष उपलब्ध स्क्रैप की मात्रा

7690. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत वर्ष लघु इस्पात संयंत्रों में उपयोग के लिए कितना स्क्रैप उपलब्ध था ;

(ख) क्या लघु इस्पात संयंत्रों की मांग पूरी करने के बाद 'स्क्रैप' फालतू था; और

(ग) क्या गत वर्ष स्क्रैप का कोई निर्यात भी किया गया था और किस मूल्य पर ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) वर्ष 1977-78 की दूसरी छमाही में लगाए गए अनुमान से पता चला था कि इस वर्ष में विद्युत् चाप भट्टी इकाइयों को पिघलाने के लिये लगभग 16 लाख टन फैरस स्क्रैप उपलब्ध होगा । मैल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों की कमी का भी पता चला था । इस वर्ष कुछ श्रेणियों का लगभग 12,858 टन मैल्टिंग स्क्रैप निर्यात किया गया । इसमें से 7365 टन एक पड़ोसी देश की तात्कालिक आवश्यकताओं की

पूर्ति के लिये था, 2240 टन पिछले वर्ष की गई व्यवस्था के लिये था और शेष 3253 टन इसलिये निर्यात किया गया था क्योंकि देश के उपभोक्ताओं से उसकी खरीद के लिये कोई मुनासिब 'आफर' नहीं मिली थी । निर्यात किये गये इस माल का जहाज तक निष्प्रभार मूल्य 89.60 लाख रुपये था ।

पारादीप पत्तन कर्मचारियों की यूनियन की सदस्यता

7691. **श्री के० लकण्णा**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य श्रम आयुक्त को निदेश दिया गया था कि पाराद्वीप पत्तन न्यास के अधीन पत्तन श्रमिकों की पंजीकृत मजदूर यूनियनों और पाराद्वीप पत्तन श्रमिक यूनियनों के गुटों की 31 दिसम्बर, 1976 के दिन की सदस्यता का सत्यापन किया जाये, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) पत्तन श्रमिकों की प्रत्येक पंजीकृत मजदूर यूनियनों के तथा पाराद्वीप पत्तन श्रमिक यूनियन के विभिन्न गुटों के सदस्यों की सत्यापित संख्या क्या है; और

(ग) क्या वे पाराद्वीप पत्तन न्यास के अधीन पंजीकृत मजदूर यूनियनों और पारादीप पत्तन मजदूर यूनियन के गुटों की 31 दिसम्बर, 1976 के दिन सदस्य संख्या के बारे में मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा सरकार को पेश किये गये प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

विवरण

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने, 31-12-1976 की स्थिति के अनुसार, पारादीप पत्तन में कार्य कर रही ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या का द्विवार्षिक सत्यापन किया । पत्तन में काम कर रही चार यूनियनों में से, पाराद्वीप पोर्ट मिनिस्ट्रीरियल एम्प्लाइज ऐसोसिएशन नामक एक यूनियन ने पूरे रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये । एक दूसरी यूनियन के मामले में, अर्थात् पाराद्वीप पत्तन श्रमिक यूनियन के दो दलों, जिसमें एक का नेतृत्व श्री निशामनी खुनतिया और दूसरे का नेतृत्व श्री प्रद्युमन बाल कर रहे थे, यनियन के असली पदाधिकारी होने का पृथक रूप से दावा किया और अपनी सदस्यता के रिकार्डों को प्रस्तुत करने की पेशकश की । चूंकि दोनों प्रतिद्वंदी दलों के दावों का निश्चय नहीं किया जा सका, इसलिये यह निर्णय किया गया कि दोनों दलों को सत्यापन हेतु अपनी सदस्यता के रिकार्डों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये । तदनुसार, दोनों दलों ने अपने अपने रिकार्ड प्रस्तुत किये । मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट से निम्नलिखित स्थिति का पता लगा :—

क्रमांक	यूनियन का नाम	यूनियनों की सत्यापित सदस्य संख्या			
		पत्तन कर्मचारी	गोदी श्रमिक	अन्य	कालम 3 से 5 तक का जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	(i) पाराद्वीप पत्तन श्रमिक यूनियन (श्री निशामनी खुनतिया का दल)	1528	298	—	1826

1	2	3	4	5	6
	(ii) पाराद्वीप पत्तन श्रमिक यूनियन (श्री प्रद्युमन बाल का ग्रुप)	510	—	198	708
2.	पाराद्वीप पत्तन श्रमिक संघ	280	—	—	280
3.	पाराद्वीप श्रमिक कांग्रेस .	170	494	—	664
4.	पाराद्वीप पोर्ट मिनिस्ट्रीरियल एम्प्लाइज़ ऐसोसिएशन	पूरे रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये गये ।			
	जोड़ . . .	2488	792	198	3478

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री, बंगलौर में रोजगार की क्षमता

7692. **श्री के० लकप्पा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उद्योग का विस्तार करने का है जिससे भावी दो वर्षों में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के और अधिक अवसर बनें ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) बंगलौर स्थित इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में 1 जनवरी, 1978 को लगभग 18,000 कर्मचारी नियुक्त थे । अनुमान है कि 1978-79 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के दौरान बंगलौर कम्प्लेक्स में लगभग 1000 कर्मचारी और नियुक्त किये जायेंगे ।

(ख) सरकार इस उद्योग का विस्तार करना चाहती है । किन्तु यह विस्तार बंगलौर एकक का विस्तार करने की बजाय अन्यत्र नये एकक स्थापित कर किया जायेगा ।

पूर्वी तट पर एल्यूमिनियम का कारखाना

7693. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी तट के बौक्साइट क्षेत्र में एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने के लिये स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे इस कारखाने को कहां पर स्थापित करना चाहते हैं; और

(ग) इस दिशा में काम की कितनी प्रगति हुई है ।

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) पूर्वी घाट बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित निर्यात प्रधान एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना के लिये साध्यता अध्ययन अभी हाल में ही शुरू किये गये हैं । संयंत्र/संयंत्रों के स्थल, कार्यान्वयन की समय-सूची आदि, ब्यौरों का पता 1979 के मध्य तक साध्यता अध्ययन पूरा होने पर ही चल सकेगा ।

मिनरल सोप (घिया पत्थर) के लिये खनन-पट्टा

7694. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान सरकार ने खनिज रियायत नियम 1960 के नियम संख्या 24 (3) का उल्लंघन करके मिनरल सोप (घिया पत्थर) के लिए खनन पट्टे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने खनन पट्टे दिये गये हैं ;

(ग) नियमों का उल्लंघन करके ऐसे पट्टे देने का क्या औचित्य है ;

(घ) नियमों के उल्लंघन के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं या किये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया गुण्डा) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने ऐसे 7 मामलों की सूचना दी है जिनमें नियमों में निर्धारित अवधि के बाद आदेश पारित किए गए थे।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि आवेदन पत्र परस्पर-व्यापी थे इसलिए उनमें प्राथमिकता का निर्धारण करने में समय लग गया। उनके अनुसार इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के यहां दायर पुनरीक्षण आवेदन पत्रों पर समुचित आदेश पारित किए जा चुके हैं या किए जाएंगे।

मोजम्बीक से प्रस्यावर्तित लोगों से याचिका

7695. **श्री अनन्त दवे :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोजम्बीक इंडियन रीपेट्रियेट्स एसोसियेशन, पोरबन्दर (गुजरात) से भारत वापस भेजे गये लोगों को मोजम्बीक में दिसम्बर, 1961, में जब्त एवं परिसमाप्त की गई आस्थियों के लिये भारत सरकार द्वारा निपटान तथा भुगतान करने के बारे में कोई याचिका प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक कोई कार्यवाई की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क), (ख) और (ग) मोजम्बीक इंडियन रीपेट्रियेट्स एसोसियेशन, पोरबन्दर (गुजरात) से सरकार के पास यह प्रार्थना आयी है कि दिसम्बर, 1961 में मोजम्बीक में इन भारतीय प्रत्यावर्तियों की आस्तियां जब्त करके परिसमाप्त कर दी गई थीं उन्हें भारत सरकार तय करके उनका भुगतान करे। चूंकि यह प्रश्न पुर्तगाल और मोजम्बीक दोनों सरकारों से तालुक रखता है इसलिए हम राजनयिक माध्यमों से इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 1968 में मोजम्बीक से आने वाले भारतीय प्रत्यावर्तियों के 556 परिवारों को पांच-पांच हजार का अनुग्रह अनुदान दिया था। मोजम्बीक अंतरिम सरकार के 5 नवम्बर, 1974 के आदेश संख्या 13/74 के अनुसरण में मोजम्बीक से आने वाले भारतीय प्रत्यावर्तियों के दावे मोजम्बीक सरकार के पास पहले ही दाखिल किये जा चुके हैं। मोजम्बीक से आने वाले भारतीय प्रत्यावर्तियों के दावों का मिलान करने के लिए भी कार्यवाही की गई है। इस मसले का स्वरूप ही ऐसा है कि इसका कोई समाधान खोजने की प्रक्रिया में समय लगना अनिवार्य है।

जिला कच्छ में टेलीफोन

7696. **श्री अनन्त दवे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला कच्छ के लिए जो कि एक पिछड़ा हुआ जिला है, कितने नए टेलीफोन केन्द्र मंजूर किए गए हैं ;

(ख) क्या चितरोड गांव ताल्लुक राहपुर उसमें सम्मिलित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) कच्छ जिले में 1977-78 के दौरान छह नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस गांव में टेलीफोन कनेक्शन के लिए रजिस्टर में दर्ज कोई मांग बकाया नहीं है ।

Derecognition of Medical Colleges

7697. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during his last visit of Jamnagar the Chairman of the Indian Medical Council, had stated that there was possibility of recognition being withdrawn of 6 of the 106 medical colleges in the country including Jamnagar Medical College;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the names of those 6 medical colleges together with the location thereof; and

(d) the action taken or proposed to be taken by the concerned State Governments and the Central Government to see that the recognition of aforesaid colleges is not withdrawn ?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prashad Yadav) (a) Medical Council of India have intimated that President, Medical Council of India did not make any such statement during his visit to Jamnagar.

(b), (c) and (d) : Does not arise.

सुकिन्दा निकल परियोजना के लिये सोवियत रूस की सहायता

7698. **श्री नटवर लाल बो० परमार :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने उड़ीसा में सुकिन्दा निकल परियोजना के कार्यान्वियन के लिये सहायता देने की पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सोवियत रूस ने हाल में ही सुकिन्दा निकिल परियोजना हेतु साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के बारे में एक प्रस्ताव भेजने की पेशकश की है । उनके प्रस्ताव की प्रतीक्षा है ।

डाक-टिकट सलाहकार समिति का चालू वर्ष का कार्यक्रम

7699. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक टिकट सलाहकार समिति के चालू वर्ष के कार्यक्रम में सूरदास तथा सुमित्रानन्दन पन्त का नाम सम्मिलित है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : जी नहीं। सूरदास और सुमित्रानन्दन पन्त के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव तारीख 14-4-78 को फिलैटली सलाहकार समिति के सामने रखे गये थे किन्तु समिति ने इन प्रस्तावों की सिफारिश नहीं की।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को ठेके/लाइसेंस दिया जाना

7700. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संचार मंत्रालय तथा उसके अधीन कोई सार्वजनिक उपक्रम हों तो उनके सहित उससे सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जनता शासन की सारी अवधि के दौरान कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिये गये और उन ठेकों/लाइसेंसों के प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का अंश क्या था और यदि नहीं तो क्यों ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भरे पदों की संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित-जनजातियों की संख्या

7701. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता पार्टी के शासन काल में उनके मंत्रालय, इससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में, जिनमें सरकारी उपक्रम भी शामिल हैं, प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद भरे गये और उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और प्रत्येक श्रेणी में कितने पदों के लिये आरक्षण समाप्त किया गया और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक श्रेणी के पदों पर कुल कितनी विभागीय पदोन्नतियां/दर्जे बढ़ाये गये और उनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय के अधीन कोई भी सरकारी उपक्रम नहीं है। मंत्रालय और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों से संबन्धित अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही हैं और वह यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

ठेके और लाइसेंसों का दिया जाना

7702. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता पार्टी के शासन-काल में उनके मंत्रालय, उससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों ने, जिनमें यदि कोई सरकारी उपक्रम भी हैं तो उनके सहित कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिये और प्रत्येक श्रेणी

में ऐसे कितने ठेके/लाइसेंस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिये गये और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रम मंत्रालय के अधीन कोई भी सरकारी उपक्रम नहीं है। मंत्रालय और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों से संबन्धित अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद

7703. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाय गया है कि भारत के साथ पाकिस्तान अथवा चीन के सीमा विवाद के बारे में भारत द्वारा उनके साथ किये गये किसी भी समझौते या संधि का जम्मू तथा काश्मीर द्वारा अनुसमर्थन किया जाना जरूरी है ;

(ख) क्या इस प्रकार का कोई संवैधानिक दायित्व है ; और

(ग) इस कथित वक्तव्य के बारे में सरकार की और क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (ग) जम्मू और काश्मीर के बारे में पाकिस्तान के साथ किसी भी समझौते में राज्य विधान सभा की भूमिका से सम्बद्ध शेख अब्दुल्ला के वक्तव्य के बारे में सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट देखी है। सरकार संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा बल्लभगढ़ में आरम्भ की गई स्वास्थ्य योजना

7704. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने स्वास्थ्य योजना में सामुदायिक सहयोग के अधीन बल्लभगढ़ (हरियाणा) में एक परियोजना आरम्भ की है ;

(ख) क्या किन्हीं ग्रामों ने भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है यदि हां, तो उन ग्रामों के नाम क्या हैं और उन्होंने क्या सहायता दी है ; और

(ग) क्या प्राक्कलन समिति (1976-77) ने इस बात को दोहराया था कि पनहेरा खुर्द केन्द्र के परिणामों का अध्ययन किया जाये और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा बल्लभगढ़ विकास खण्ड में 1965 में एक व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना मुख्यतः जन सहयोग और सहायता पर निर्भर करती थी।

1974 में पनहेरा खुर्द गांव में केवल लोगों के सहयोग से एक स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी जिसके लिए सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं दी गई थी।

(ख) जी, हां। निम्नलिखित गांवों को इमारतों आदि के लिए सहायता दी गई :—

(क) दयालपुर गांव

(1) इमारत के लिए जमीन।

(2) केन्द्र के निर्माण के लिए 40,000 रुपये। इस भवन के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था परियोजना द्वारा की गई थी।

(3) स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 1975 में एक इमारत।

(ख) छांसा गांव

(1) इमारत के लिए जमीन।

(2) इमारत बनाने के लिए 37,000 रुपये। इमारत के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था परियोजना द्वारा की गई।

(ग) पनहेरा खुर्द गांव

भूमि और इमारतों, जिनमें एक अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र, एक दिवस देख-रेख केन्द्र, एक पुस्तकालय, जूनियर स्टाफ और डाक्टरों के लिए रिहायशी मकानों की भी व्यवस्था। जमीन के अलावा, इमारत बनाने पर दो लाख रुपये से भी अधिक खर्च आया था। यह धन गांव के लोगों द्वारा स्वयं एकत्र कर खर्च किया गया था, किसी संगठन को नहीं दिया गया था। इसका उद्देश्य ग्राम का सर्वांगीण विकास था, जिसमें स्वास्थ्य, प्रौढ़-शिक्षा, ग्रामीण हस्तशिल्प, शिशुओं और बच्चों की दिन में देख-रेख, कृषि, सफाई, आदि शामिल हैं। उन्होंने इस केन्द्र का नाम ग्राम विकास केन्द्र रखा। इसके अतिरिक्त अनेक ग्राम पंचायतों ने भी बल्लभगढ़ विकास खण्ड की व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना के उप-केन्द्रों के लिए इमारतों की व्यवस्था की है।

(ग) जी, हां। अनुमान समिति के सदस्य इस परियोजना को देखने गए थे और वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के ग्रामवासियों के इस प्रयास और इस योजना को देखकर बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सरकार से पनहेरा खुर्द गांव के केन्द्र और इसकी रचना का अध्ययन करने का आग्रह किया था ताकि इन विचारों को और अधिक व्यापक स्तर पर मूर्त रूप दिया जा सके। तथापि, इस संबन्ध में अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार ने 1976 में इस केन्द्र को अपने हाथ में ले लिया था और उन्होंने इसे एक सिविल औषधालय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अब इसके संचालन में कोई हाथ नहीं है।

भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमा के बारे में समझौता

7705. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमा के बारे में समझौते के संबन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या हाल ही में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क), (ख) और (ग) भारत और बंगलादेश के बीच समुद्री सीमा के परिसीमन के बारे में 22-23 मार्च, 1978 को नई दिल्ली में बातचीत हुई थी। इस बातचीत का प्रमुख उद्देश्य जो लगभग तीन वर्ष के अन्तराल के बाद हुई थी, एक दूसरे की स्थिति की समीक्षा करना था। यह बातचीत स्थिति की समीक्षा करने की दृष्टि से, दोनों प्रतिनिधिमंडलों को एक दूसरे को समझने में सहायक होने और आगे की बात चीत के लिए आधार तैयार करने की दृष्टि से उपयोगी रही। बातचीत का अगला दौर यथाशीघ्र ढाका में होगा।

बड़े डाकघरों के बिना जिला मुख्यालय

7706. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न डाक सर्किलों में ऐसे जिला मुख्यालयों की संख्या कितनी है जहां बड़े डाकघरों की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) उन जिलों में बड़े डाकघरों की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) भारत के सभी डाक-तार सर्किलों में 43 (तेंतालीस) जिला मुख्यालयों में मुख्य डाकघरों की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग) निर्धारित मानदंडों के अनुसार किसी उप-डाकघर के कार्यभार के आधार पर उसे अपग्रेड करके मुख्य डाकघर बनाया जाता है । ऐसे डाकघरों के कार्यभार की लगातार समीक्षा की जाती है और जब औचित्य सिद्ध होता है उप डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मुख्य डाकघर बना दिया जाता है ।

अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मचारियों के बारे में गोष्ठी

7707. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियुक्ति के बारे में चर्चा करने के लिये विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी मार्च, 1978 में, नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में भाग लेने वाले राज्यों के नाम क्या है ;

(ग) क्या सरकार को कोई सिफारिशें की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) से (घ) प्रश्न में संभवत: उस बैठक का उल्लेख किया गया है जो श्रम मंत्रालय ने 13 अप्रैल, 1978 को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ की थी तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की शर्तों को नियमित करने संबन्धी प्रस्तावित विधान पर विचार किया गया था। उक्त

बैठक में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आम राय प्रस्तावित विधान के पक्ष में थी। राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए विधान बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जा रही है। विधान में स्वीकृत मजदूरी के नियमित भुगतान, कार्य की उपयुक्त दशाओं, मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं, प्रवासी श्रमिकों को अधिकार कि वे, उस स्थान पर जहां वे नियोजित हैं या उस राज्य में जहां के वे वासी हैं; दावा कर सकें तथा संबन्धित राज्य (होम स्टेट) की सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त कानूनी सहायता देने संबन्धी व्यवस्थाएं होंगी।

भूटान के महाराजा की यात्रा

7708. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री राम सेवक हजारी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान के महाराजा ने मार्च, 1978 में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन-किन बातों पर विचार-विमर्श हुआ, और

(ग) क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : जी हां। हमारे राष्ट्रपति और भारत सरकार के नियंत्रण पर भूटान के महामहिम नरेश ने 26 से 29 मार्च तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) और (ग) भारत और भूटान के बीच विशिष्ट और निकट संबन्धों के अनुरूप यह यात्रा भारत और पड़ौसी देशों के बीच उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान की परम्पराओं के अनुरूप ही थी। महामहिम नरेश के साथ हमारे प्रधानमंत्री तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रियों की बातचीत में आपसी हित के मामलों पर बातचीत हुई थी जिनमें भूटान के आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायता तथा तीसरे देशों के साथ भूटान के विदेश व्यापार को सुविधाजनक बनाने का प्रश्न भी शामिल था। परस्पर विश्वास और आस्था के आधार को जोकि भारत और भूटान के संबन्धों का एक शुभ लक्षण है, भूटान और भारत के पारस्परिक लाभ के लिए और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

Non-Deposit of P.F. and E.S.I. by Luner Engineerig, Bombay

7709. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state the amount ot the provident fund and E.S.I. contribution of the workers outstanding against Luner Engineering, 10-C, Tulsi Pipe Road, Mahalakshmi, Bombay for the last three years, year-wise and the action taken so far to realise it and if not, the main reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : The Provident Fund and the Employees State Insurance Authoriies have reported that the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Employees State Insurance Act, 1948 are not applicable to M/S. Lunar Engineer (not M/S. Luner Engineering), 10-C, Tulsi Pipe Road, Mahalakshmi, Bombay.

Non-Deposit of P.F. and ESI by Siraj Sons, Bombay

7710. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state the amount of the provident fund and E.S.I. contribution of the workers outstanding against the Siraj Sons, 10-C, Tulsi Pipe Road, Mahalakshmi, Bombay for the last three years, year-wise and the action taken so far to realise it and if not, the main reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : The Provident Fund and the Employees State Insurance Authorities have intimated that the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Employees State Insurance Act, 1948 are not applicable to M/S. Siraj Sons, Bombay.

स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय

7711. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में स्वास्थ्य पर किये गये प्रति व्यक्ति व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस बारे में केन्द्र सरकार ने राज्यों को सहायता करने के अपने लक्ष्यों को कहां तक पूरा किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1976-77 के दौरान भारत में प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया गया उसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । तथापि, वर्ष 1975-76 में किया गया खर्च संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय के अनुसार सहायता दी जा रही है ।

विवरण

1975-76 में स्वास्थ्य पर किया गया प्रति व्यक्ति खर्च (अनन्तिम) (रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.86
2.	असम और मिजोरम	10.27
3.	बिहार	4.46
4.	गुजरात	10.62
5.	हरियाणा	11.19

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	19.36
7.	जम्मू और कश्मीर	17.02
8.	कर्नाटक	11.26
9.	केरल	14.12
10.	मध्य प्रदेश	6.98
11.	महाराष्ट्र	13.41
12.	मनीपुर	16.98
13.	मेघालय	24.81
14.	नागालैंड	75.84
15.	उड़ीसा	9.13
16.	पंजाब	17.88
17.	राजस्थान	13.27
18.	सिक्किम	23.06
19.	तमिलनाडू	10.94
20.	त्रिपुरा	13.22
21.	उत्तर प्रदेश	5.36
22.	पश्चिम बंगाल	12.31
23.	अरुणाचल प्रदेश	43.12
24.	गोआ, दमन और दीव	47.59
25.	पांडिचेरी	50.04
	अखिल भारत*	10.63

*कुल खर्च में केन्द्रीय सरकार और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का व्यय शामिल है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी को छोड़कर अन्य संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में खर्च का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

जनता इस्पात का उत्पादन

7712. **श्री सरत कार:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों के लाभ के लिये 'जनता इस्पात' का उत्पादन करने का है; और

(ख) क्या प्रस्ताव के अनुसार सरकार और उद्योग द्वारा निर्धारित विशिष्ट विवरण के सस्ते किस्म की इस्पात की छड़ें और शलाकों का उत्पादन करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) 'जनता इस्पात' के रुप में इस्पात के उत्पादन के बारे में कोई विशेष प्रस्पाव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन सरकार इस बात के लिये लगातार प्रयत्न कर रही है कि इस्पात कारखानों द्वारा अपेक्षित विशिष्टियों के इस्पात का उत्पादन यथासंभव कम से कम लागत पर किया जाए।

भारत में यूरोप स्माल स्टेट्स अथवा सिटी स्टेट्स के वाणिज्य दूतावास

7713. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिपब्लिक आफ सान मारिनो जैसे यूरोप के कितने स्माल स्टेट्स अथवा सिटी स्टेट्स अथवा 'राय स्टेट्स' के वाणिज्य दूतावास भारत में स्थित हैं ;

(ख) उनके वाणिज्य दूतावास के अधिकारी उनके अपने राष्ट्रिक हैं अथवा भारतीय राष्ट्रिको को नियुक्त करते हैं ;

(ग) यदि भारतीय राष्ट्रिक नियुक्त किये जाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उन्हें कितना वेतन दिया जाता है ;

(घ) क्या भारतीय राष्ट्रीयता के कर्मचारियों को राजनयिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, यदि कोई है तो वे क्या हैं ; और

(ङ) क्या भारत का वाणिज्य दूतावास उनके देशों में स्थित है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र कुन्ड) : (क) यह मंत्रालय किसी भी देश को जिसका कोंसलावास भारत में है स्माल अथवा टांय स्टेट नहीं मानता क्योंकि सभी प्रभुता सम्पन्न राज्य हैं। सान मारिनो यूरोप का एक ऐसा ही प्रभुता सम्पन्न राज्य है और भारत में इसका अवैतनिक प्रधान कोंसलावास है।

(ख) भारत स्थित अधिकतर अवैतनिक कोंसलावासों में भारतीय राष्ट्रिक काम करते हैं।

(ग) ऐसे कोंसलावासों के अध्यक्ष अवैतनिक होते हैं इसलिए उन्हें कार्यालय के संचालन और सरकारी आतिथ्य-सत्कार से सम्बद्ध खर्चों के अतिरिक्त और कोई परिलब्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसे खर्चों के आंकड़े और इस प्रकार के कोंसलावासों में अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक रूप से काम करने वाले भारतीयों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां। यूरोप में भारत के 16 कोंसलावास हैं जिसमें सान मारिनो का प्रधान कोंसल भी शामिल है जिसका निवास स्थान रोम में है।

Visit of Foreign Minister of Malaysia

†7714. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Foreign Minister of Malaysia had visited India recently;

(b) if so, the matters on which talks were held; and

(c) the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samrendra Kundu) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The visit provided an opportunity for exchange of views on both bilateral relations as well as regional and world situation. The two Foeign Ministers noted the excellent state of bilateral relationship and considered various suggestions for further strengthening and consolidating the relations particularly in the economic, cultural and educational fields. The first ever Cultural Agreement between Indian and Malaysia was signed during the visit.

With regard to South and South East Asia the two Foreign Ministers noted the hopeful trends in the two regions towards normalisation and economic cooperation among the States therein.

On major world issues and on the role of the Non-aligned Movement the two Foreign Ministers found themselves in complete agreement.

Appoinement of Press Commissioner

†7715. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a sum of 1.35 lakh dollars is being incurred monthly under the head 'public relations' by appointing Shri Janaki Ganja, a former diplomat, on the post of Press Commissioner or Press Counslior;

(b) the names of U.S. papers which reported his (Minister's) address in Hindi to the U.N.O. together with the number of lines reported; and

(c) whether public relations work is done by the Indian Embassy and if so, whether the above infructuous expenditure on the post of Press Counsellor will be stopped ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu : (a) No, Sir, the experditure actually incurred on hiring the services of M/s Public Relations Attaches International Incorporated, Washington by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in consultation with the Ministry of External Affairs, is actullay $ 60,000 per annum.

Shri Janaki Ganju is the Principal of the firm which was engaged by the Government for doing publicity work in the USA, specially on the economic side.

(b) The text of the speech by the External Affairs Minister at the UNO in Hindu was released by the Permanent Mission of India in New York to TV United Nations and also publicised through the Embassy's weekly newspaper. It is generally not the practice of US newspapers to publish foreign delegates' speeches in the UN General Assembly.

(c) Publicity concerning India is the responsibility of the Public Relations Officers o f the Embassy in Washington and of our other information posts in the USA. Government are going to review the present publicity and relations set-up in our Embassy in Washington including the range and scope of the activities of M/s. Public Relations Attaches Incorporated, Washington. Pending this review, the Government has renewed the contracts with Shri Ganju for a period of one year only with effect from 1-3-1978, instead of three years as was done in the past.

विदर्भ (महाराष्ट्र) में टेलीफोन उद्योग

7716. **श्री वसन्त साठे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र विदर्भ में एक ऐसा एकक स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) से (ग) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नये एकक स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है। इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के नये एककों की स्थापना के लिए, महाराष्ट्र राज्य के स्थानों पर भी, विचार किया जाएगा।

Payment to Council by Coal Mines Labour Welfare Organisation

7717 **Dr. Vasant Kumar Pandit**: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the amount the Council is paid by Coal Mines Labour Welfare Organisation to the National Council of Safety in Mines irregularly and also the amount of about Rs.23 lakh is outstanding for the last four years; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : (a) and (b) The following grants-in-aid were paid to the National Council for Safety in Mines :

1974-75	Rs.5.50 lakhs.
1975-76	Rs. 8.00 lakhs.
1976-77	Rs. 9.35 lakhs.
1977-78	Rs. 6.00 lakhs.

The above amounts were released keeping in view the availability of funds in General Welfare Account of the Coal Mines Welfare Organisation and its other commitments. No further amount, as such, is due for these years.

Implementation of Decisions of N.C.S.M.

7718 **Dr. Vasant Kumar Pandit** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the decision of the General Body of the National Council of Safety in Mines has not been implemented by the Ministry for the past three years and the Ministry also does not reply to the letters received from the Director; and

(b) whether Council's work has come to a standstill for want of funds and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) The National Council for Safety in Mines is a Society registered under the Societies Registration

Act. The decisions taken by its various organs are to be implemented by the Society itself. However when the matters concerning the Society are referred to Government, replies are sent containing Government advice or decision, as the case may be, from time to time. Due consideration is given in the Ministry to the letters received from the Director, National Council for Safety in Mines.

(b) No, Sir.

बिहार सरकार द्वारा खानों के पट्टे को समाप्त करने की धमकी

7719. **श्री राम विलास पासवान**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार के खान मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से बिहार में खनन से सम्बन्धित सब संस्थाओं के मुख्यालय राज्य में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या खान मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनके मुख्यालय बिहार स्थानान्तरित न किये गये तो उनके पट्टे समाप्त/रद्द कर किये दिये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्यात्मक स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई है। परन्तु राज्य सरकार ने उन खनन फर्मों से, जो बिहार में प्राप्त खनिजों का उपयोग कर रही हैं, अपने रजिस्टर्ड कार्यालय बिहार राज्य में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया है।

(ग) बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि संबद्ध कानून में आवश्यक परिवर्तन किया जाए ताकि औद्योगिक इकाइयों के लिए अपने मुख्य कार्यालय बिहार राज्य में स्थानान्तरित करना बाध्यकर हो जाए। इस तरह की व्यवस्था करने में जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है।

रोजगार कार्यालयों के द्वारा रोजगार की व्यवस्था से सम्बन्धित श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के 23 फरवरी, 1978 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पर लगाए गए नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 4.041, 4.968 तथा 4.616 लाख थी। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में गैर-तकनीकी श्रेणी-III की रिक्तियां 1975 में गठित किए गए स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के माध्यम से भरे जाने के कारण वर्ष 1977 के दौरान नियुक्तियों में थोड़ी सी कमी आई।

उत्तर में उल्लिखित अंकों में टाइप की गलती है, जिसका पहले पता नहीं लग सका और उत्तर में शुद्धि करने में लगी देरी के लिए खेद है।

दिल्ली के मैडिकल छात्रों की समस्या के बारे में

Re. Problems of Delhi Medical Students

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं भूख हड़ताल कर रहे मैडिकल छात्रों की गिरफ्तारी का गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन ने इसकी सूचना दी है। किसी अन्य को मैं नहीं बुलाऊंगा ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न नियम 368 और 370 के अन्तर्गत है। 18 अप्रैल के अपने वक्तव्य में श्री वाजपेयी ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कहा था कि श्री भुट्टो और श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था। हमने तब मांग की थी कि यदि कोई दस्तावेज हो तो उसे सभा पटल पर रखा जाए। यदि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है तो उन्होंने गलत जानकारी दी है और यदि ऐसा कोई दस्तावेज है पर, उसे वे प्रकट नहीं करना चाहते तो एक वक्तव्य इस सम्बन्ध में दें।

श्री बयालर रवि (चिरियंकील) : आपने इस पर अपना विनिर्णय देने को कहा था और ऐसा होने पर मंत्री महोदय को कुछ प्रकट नहीं करना चाहिए, परन्तु आज समाचार पत्रों में छपा है कि दस्तावेज सरकार के पास हैं। यह सदन का अपमान है।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : जे० पी० का इलाज करने वाले डाक्टरों को चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है। यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से होक के खड़े होने से आप को असुविधा होगी । मैं कोई निर्णय न लेने का मात्र दर्शक बना रहूंगा। मेरा निर्णय गलत हो या सही कृपया उसे स्वीकार करें ।

श्री० सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : कल मैंने अनुरोध किया था कि चिकित्सा छात्रों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाये और इस समस्या को सुलझाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अभी-अभी संसद भवन आते हुए मुझे बताया गया है कि मंत्री महोदय ने छात्रों से मिलने से इन्कार कर दिया है और छात्र अध्यक्ष की अपनी कठिनाइयों का ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु जलूस बना कर संसद भवन आ रहे हैं। जन्तर मन्तर के निकट पार्लियामेंट स्ट्रीट में लगभग 1000 चिकित्सा कालेज छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। क्या समस्या का समाधान करने का यही तरीका है? मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान हो।

श्री बयालार रवि : यह मामला पिछले दो महीने से चल रहा है। इस से पहले मंत्री महोदय ने छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब उन्होंने छात्रों से मिलने से भी इनकार कर दिया है। उन्हें जेल में डालने से समस्या हल नहीं होगी। उन्हें छात्रों के साथ मामले पर चर्चा करनी चाहिए और यह समस्या हल करनी तथा सभी छात्रों को तुरन्त रिहा करना चाहिए।

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : One of the demands of the students is about increasing the amount of scholarship of internships. In Delhi we are paying Rs. 350. In U.P., Bihar, Haryana and Punjab this amount has been increased. When these people came to me I told them that I have all sympathy for them and that we will try to increase this amount but they should give up the agitation.

The other day demand of the students was that all Delhi medicos should get house jobs and they should be accommodated in the Medical Institute and other institutions. It is not possible to accept this demand as the number of doctors couming out is about 12,000 every year. No Government can possibly accommodate such a large number.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re : Motion for Adjournment

अपने वक्तव्य में श्री भुट्टो और श्रीमती गांधी के बीच गोपनीय समझौता होने के आरोप लगाकर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने में विदेश मंत्री का आचरण ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० एम० स्टीफन ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 56 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय अर्थात् "विदेश मंत्री द्वारा दो सार्वजनिक सभाओं में हाल ही में की गई अपनी घोषणा द्वारा जिस में उन्होंने श्री भुट्टो और भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बीच एक गोपनीय समझौते का आरोप लगाया और 18 अप्रैल, 1978 को सभा में अपने भाषण में दावा किया कि उन्हें यह जानकारी उन सरकारी दस्तावेजों से मिली है जिन्हें वह मंत्री की हैसियत से देख सके हैं, गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने में विदेश मंत्री के आचरण" सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

इस पर अपनी अनुमति देने से पहले मुझे दो प्रश्नों पर अर्थात् (1) संविधान के अनुच्छेद 75(4) के साथ पठित संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित गोपनीयता की शपथ के उल्लंघन का उचित मामला है ; और (2) यह अविलम्नीय लोक महत्व का विषय है जिससे कि सूची में उल्लिखित कार्यवाही पर चर्चा को स्थगित किया जा सकता है ; विचार करना पड़ेगा।

संविधान में निहित गोपनीयता की शपथ लेने से कोई मंत्री किसी ऐसी जानकारी को प्रकट नहीं कर सकता जो उसे उपलब्ध की गई हो अथवा उसकी जानकारी में लाई गई हो। गोपनीयता सभी बातों पर समान रूप से लागू नहीं होती है। यह इस बात के महत्व पर आधारित है कि मंत्री द्वारा एकत्र की गई जानकारी को अपने कर्त्तव्य को सुचारू रूप से निभाने के लिए प्रकट करना आवश्यक है अथवा नहीं। जिस बात को एक समय गोपनीय रखा जाना आवश्यक हो वह किसी अन्य अवसर पर सार्वजनिक रूप से बताई जा सकती है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी।

इस प्रश्न का निर्णय करना निश्चय ही काफी कठिन कार्य है कि मंत्री महोदय द्वारा किया गया कोई विशेष रहस्योद्घाटन उसके कर्त्तव्यों के अनुरूप है। इस प्रकार की बात पर सदा ही अलग-अलग मत हो सकते हैं। जब तक अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय नहीं दिया जाता कि जो रहस्योद्घाटन किया गया है वह सम्बद्ध मंत्री के कृत्यों के अनुरूप नहीं था तब तक उसे किसी संवैधानिक उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जहां तक इस मामले के दूसरे पहलू का प्रश्न है, इसम कोई संदेह नहीं कि यह मामला लोक महत्व का है। परन्तु मैं यह नहीं मानता कि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है। मेरा इतना कहना ही पर्याप्त होना चाहिए कि यह लोक महत्व का मामला है। सभा की कार्यवाही में परिवर्तन करने की आवश्यकता तभी होती है जब कि कोई मामला ऐसे अविलम्बीय लोक महत्व का हो जिसकी ओर सदन तथा देश का ध्यान तुरन्त आकृष्ट करने की आवश्यकता हो। सभा की कायवाही को स्थगित करना कोई साधारण बात नहीं है और इसे बिना असाधारण परिस्थितियों के स्थगित करना गलत काम होगा। मेरा निर्णय यही है कि अभी इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं है।

उपरोक्त कारणों के सन्दर्भ में मैं सम्बद्ध प्रस्ताव को मंजूर नहीं करता ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्त नाग): यह प्रश्न जम्मू और काश्मीर से सम्बन्धित है अतः इसे राज्य से आने वाले हम लोगों को अवश्य अवसर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने पिछले सप्ताह सूचना दी थी। उस पर विचार हो रहा था। यदि आपने पुनः सूचना दी होती तो अवश्य ही उसकी अनुमति मिल जाती।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : प्रश्न यह है कि क्या यह इतना गोपनीय है कि इसके बारे में संसद को न बताया जाए। इस के बारे में अध्यक्ष ने अपना विनिर्णय नहीं दिया है। इसके साथ समाचारपत्रों में यह आरोप भी लगाया गया है कि यह दस्तावेज सरकार के कब्जे में हैं। जो इस दस्तावेज की विषयवस्तु थी उसे अब लोगों को पता चल चुका है अब इससे दो प्रश्न यह उठते हैं।

पहला प्रश्न तो यह है कि इस दस्तावेज की विषयवस्तु को समाचारपत्रों में प्रकाशित करने की मंजूरी देना या उसके प्रकाशन की सुविधायें, उस समय उपलब्ध करवाना, जबकि अध्यक्ष द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि यह दस्तावेज संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये या नहीं, क्या इस प्रकार की कार्यवाही संसद् की गरिमा तथा उसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं है ?

दूसरे फिर यदि यह उल्लंघन है और यदि वास्तव में कोई इस प्रकार का दस्तावेज है, तो क्या उसके प्रकटन की अनुमति देकर, सम्बद्ध व्यक्तियों ने संसद् की अवहेलना नहीं की है? यह दूसरा प्रश्न है।

तीसरा प्रश्न यह है कि जब कि दस्तावेज की विषय वस्तु समाचारपत्रों में प्रकाशित हो गई है क्या मंत्री महोदय संसद् को यह बताने से इन्कार कर सकते हैं कि क्या यह समाचार ठीक है या नहीं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : अध्यक्ष महोदय ने अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि मंत्री महोदय जो कुछ भी लोक हित में समझें, उसका रहस्योद्घाटन कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या श्री वाजपेयी ने शिमला में यह कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कोई आपसी समझौता हुआ था। यह बात सभी लोगों के मन में शंका उत्पन्न कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। उन्हें यह बताना ही चाहिए ।

श्री सौगत राय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की है ?

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसे पढ़कर श्री स्टीफन ने यह धारणा बना ली है कि इस सम्पूर्ण जानकारी का स्त्रोत मंत्री ही है। उनके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ वह ठीक है या नहीं। समाचारपत्र पूर्णतया स्वतन्त्र हैं तथा वह कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। तथ्य तो यह है कि वह सदा ही गोपनीय बातों को प्रकाश में लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। परन्तु यदि मंत्री महोदय यह समझें कि किसी दस्तावेज को संसद् के समक्ष लाना लोकहित में नहीं है तो उसे रोकने का उन्हें अधिकार है। चूंकि यह एक गोपनीय समझौता था अतः इसकी विषयवस्तु को जानने का अधिकार किसी को नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : (बेगूसराय) : जहां तक किसी जानकारी के देने का सम्बन्ध है यह सरकार की ओर से मंत्री पर निर्भर करता है कि क्या कोई जानकारी दी जाये अथवा नहीं ?

श्री कृष्ण कान्त (चण्डीगढ़) : मंत्री महोदय ने जो बात बाहर कही है और सभा में कही है उसमें कोई अन्तर नहीं है।

दूसरे इस बीच एक समाचार एजेंसी ने समाचार प्राप्त किया है तो इसमें मंत्री महोदय जिम्मेदार नहीं हैं। समाचार एजेंसियां जैसे पहले हुआ है समाचार बनाती नहीं हैं।

जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है यह बहुत नाजुक मामला है? अतः मंत्री महोदय को सभा को इस ममाले पर बोलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई कठिनाई न खड़ी हो जाये।

श्री के० गोपाल : मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है कि जो प्रेस में छपा है। जो उन्होंने प्रेस को बताया है उसे वह संसद को भी बतायें। यह राष्ट्रीय महत्व की बात है। उन्हें हां या ना में उत्तर देना चाहिये।

Shri A. B. Vajpayee : I am myself surprised to read this news in the Press. I have not given this news to the Press. My Ministry has also not given it to the Press.

Shri K. Gopal : Is it true ?

Shri A. B. Vajpayee : I do not want to go into it.

Shri Vasant Sathe : Have you got any document ?

Shri A. B. Vajpayee: I am not responsible for the news appeared in the Press. Press is independent in India. You can ask Press to explain it.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मंत्री ने न तो पुष्टि की है और न ही इनकार किया है। रिपोर्ट कहती है कि मंत्री ने कहा है। वह न तो रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और न ही उससे इनकार करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री जैड. ए० भुट्टो ने शिमला में 1972 में यह समझौता किया कि काश्मीर प्रश्न का एकमात्र समाधान युद्धबन्दी रेखा को कुछ हेरफेर के साथ फ्रीज़ करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उठाया गया है। कृपया इसे यहीं छोड़ दीजिए। मैं नियमों के अनुसार चलूंगा। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

मालिकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदान के जमा न करने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 154 के 2 मार्च, 1978 को दिये गये उत्तर में शुद्धि।

श्रम और संसदीय कार्यालय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल सिन्हा) : मैं (एक) मालिकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदान के जमा न करने के बारे में श्री सी० एन० विश्वनाथन के तारांकित प्रश्न संख्या 154 के 2 मार्च 2, 1978 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हू।

[ग्रन्थाला में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी०-2133 78]।

कम्पनी परिसमापन लेखा (संशोधन नियम), 1978 और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी परिसमापन लेखा (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 472 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी०-2134/78]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 1028 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-2135/78]।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to Matter of Urgent Public Importance

मनीला स्थित भारतीय दूतावास में आग लगने का समाचार

श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला (फिरोजपुर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और उस पर एक वक्तव्य देने के लिये उनसे अनुरोध करता हूं :—

"मनीला स्थित भारतीय दूतावास में आग लगने के कारण महत्वपूर्ण कागजात, आदि नष्ट हो जाने का समाचार"।

मनीला स्थित भारतीय राजदूतावास में आग लगने और महत्वपूर्ण कागजात आदि को नुकसान पहुंचने के बारे में वक्तव्य।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मनीला में भारत के राजदूतावास ने में आग लगने की उस घटना के बारे में मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उक्त राजदूतावास का चांसरी पूरी तरह जलकर ध्वस्त हो गया। घटना का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :—

2. मनीला स्थित भारतीय राजदूतावास का चांसरी किराए के एक मकान में है, जो मनीला के वाणिज्यिक उपनगर मकती में 101, टिन्डालो स्ट्रीट की बहुमंजिली इमारत की पांचवीं मंजिल पर है। हमने इस मकान की पांचवीं मंजिल का एक हिस्सा ही अपने इस्तेमाल के लिए लिया है। इस छः मंजिले मकान में अनेक वाणिज्यिक फर्में भी किरायेदार हैं। आग लगने के कारण चौथी और पांचवीं मंजिल के अतिरिक्त छठी मंजिल का कुछ भाग भी पूरी तरह जल गया।

3. 14 अप्रैल, 1978 को लगभग 8.15 बजे, रात में राजदूतावास के एक सहायक, श्री पी० एन० आनन्द किसी आवश्यक काम के लिए चांसरी गए और भारत आस्थानी सुरक्षा-गार्ड, श्री केशव नन्द भी श्री आनन्द को चांसरी तक छोड़ने के लिए भवन की पांचवीं मंजिल तक गए और बाद में वे अपने रिहायश पर लौट आये। उनका रिहायश इस भवन के एक एनेक्सी में ही है। लगभग 9.00 बजे रात को सुरक्षा-गार्ड को उस भवन में आग लगने की जानकारी मिली। सुरक्षा गार्ड श्री आनन्द को सचेत करने के लिए तत्काल चांसरी की ओर दौड़ पड़े। जब श्री आनन्द चांसरी से बाहर आये तब तक पांचवीं मंजिल पर स्थित चांसरी और चौथी मंजिल के कार्यालय से बाहर आये तब तक पांचवीं मंजिल पर स्थित चांसरी और चौथी मंजिल के कार्यालय भंयकर धुएं से घिरे हुए थे। वहां की आग बुझाने वाली एजेंसियां शीघ्र ही घटना स्थल पर पहुंची परन्तु भवन की बनावट, पानी अपर्याप्त प्रवाह, पास में पानी के नल के अभाव आदि के कारण आग पर काबू नहीं किया जा सका, इसलिए राजदूतावास के कर्मचारी दूसरे दिन दिन अर्थात् 15 अप्रैल, 1978 को लगभग 7.45 बजे सुबह चांसरी के परिशर

के अन्दर जा सके। सभी प्रलेख, उपस्कर और फर्नीचर जल कर राख हो गये थे। मुझें सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा कोई भी कार्मिक घायल नहीं हुआ।

4. हमें अभी तक जो सूचना मिली है है उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे चांसरी के ठीक नीचे चौथी मंजिल में कैमिकल फर्म के एक कार्यालय में शुरू में आग लगी थी।

5. अभी तक यह पता नहीं चला है कि आग कैसे लगी या इस घटना के लिए कौन उत्तरदायी है। यद्यपि घटना की जांच करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों ने इसे आगजनी की घटना होने से इन्कार नहीं किया है, लेकिन अब तक किसी खास व्यक्ति या किसी संगठन के प्रति इसके लिए कोई निश्चित संदेह व्यक्त नहीं किया गया है। प्रसंगवश यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में मनीला में आग लगने की कई घटनाएं घटी और उस रात को भी अर्थात 14 अप्रैल, 1978 को भी इसी प्रकार दो अन्य स्थानों पर भी आग लग गयी थी।

6. मंत्रालय राजदूत को दूसरा मकान किराये पर लेने के लिए प्राधिकृत कर चुका है, ताकि मिशन फिर से अपना काम शुरू कर सके। हमें सूचना मिली है कि अब कार्यालय के लिए एक दूसरा भवन अस्थायी रूप से ले लिया गया है और हमारा राजदूतावास आज से वहां फिर काम करने लगेगा। हमने अपने राजदूतावास को अपना काम-काज चलाने के सभी आवश्यक मदों की खरीद करने का भी प्राधिकार दे दिया है तथा सभी आवश्यक रिकार्ड, रजिस्टर आदि एकत्र करने के लिए भी कार्रवाई की गयी है। ये रिकार्ड, रजिस्टर मनीला भेज दिए जायेंगे, जिससे कि राजदूतावास यथासंभव शीघ्रतापूर्वक सामान्य रूप से अपना काम कर सके।

7. फिलीपीन्स सरकार ने मनीला में हमारे राजदूत को आश्वासन दिया है कि इस बात की पूर्ण रूप से जांच करायी जायेगी कि किन परिस्थितियों में आग लगी। नई दिल्ली में फिलीपीन्स के राजदूत 15 अप्रैल, 1978 को विदेश मंत्रालय आए और उन्होंने अपनी सरकार के इस प्रस्ताव की सूचना दी कि हमारे राजदूतावास को नए सिरे से स्थापित करने में फिलीपीन्स सरकार हर संभव तरीके से सहायता देने को तत्पर है।

***श्री मोहिन्दर सिंह सैंयावाला:** श्रीमान्, क्या मैं मिनिस्टर साहब से पूछ सकता हूं कि और कई मुल्कों में जो हिन्दुस्तानी एम्बेसियों में ऐसी वारदातें हो रही हैं। उनमें कोई फारेन हाथ है या कोई हिन्दुस्तानी जमात है जो यह कर रही है ?

The Minister of External Affairs (Shri A. B. Vajpayee) : Incidents of attacks on staff of our Embassy in Manila have also taken place earlier. An inquiry has been conducted, but no final decision has been taken so far. So far as this case of fire is concerned, it has not only destroyed our office, but has destroyed all the offices located on that floor. Enquiry is going on and the decision taken by the Marila Police will be intimated to the House.

श्री मनोरंजन भक्त : (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): गत एक वर्ष में यह पहला अवसर नहीं है। इससे पूर्व भी भारत में और विदेशों में हमारे दूतावासों में ऐसी घटनाएं घटी हैं। अतः चिन्ता का विषय है।

यह दूतावास की सुरक्षा का प्रश्न है और इसी कारण सुरक्षा कर्मचारी वहां तैनात किये गये हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि जब 8 बजे एक सहायक दूतावास में गया तो सुरक्षा गार्ड वहां से जा चुका था। ऐसा क्यों हुआ ? हमें इस बात की जांच करनी है कि क्या वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों में कोई ऐसा तत्व है जिसका इस मामले में हाथ हो सकता है? केन्द्र में नई सरकार के बनने से पूर्व ही विभिन्न समाचार-पत्रों में यह छपा है कि मनीला, आस्ट्रेलिया और अन्य अन्य देशों में आनन्द मार्गी सक्रिय हैं। इन दोनों में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध में काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि दूतावास के बहुमूल्य दस्तावेज तथा अन्य

सम्पत्ति सुरक्षित रह सके। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि (क) क्या इसमें आनन्द मार्गियों का हाथ है, और (ख) क्या वह देश की विदेश नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुभव करते हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अन्य ऐसी शक्तियां नाराज हो गई हों, जो भारत-विरोधी गतिविधियां करने का प्रयास कर रही हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सच है कि मनीला आनन्द मार्ग आन्दोलन का एक शक्तिशाली गढ़ है। परन्तु जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी को दोष देना ठीक नहीं है।

जहां तक भारतीयों का सम्बन्ध है, प्रत्येक की जांच की जानी आवश्यक है। अतः इस आधार पर शंका नहीं करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या हमारी नीति से विदेशी नाराज हो गये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे विचार में ऐसा नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : यह हमारी आशंका का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस को ध्यान में रखकर इस मामले की जांच करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां पर हमने विदेश नीति में सामजंस्य आवश्यक समझा, हमने वैसा करने का प्रयास किया है। अतः मेरे विचार में किसी संगठन का हाथ इसमें नहीं है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मनीला में भारतीय दूतावास में आग लगने का यह पहला मामला नहीं है। वास्तव में तथा कथित आनन्द मार्ग विश्व में भारतीय दूतावासों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया और आस्ट्रेलिया में भारतीय मिलिटरी अटैची को छुरा घोंपने की घटनाएं हुई हैं। भारतीय दूतावास में आग लगी है ; एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें 1 लाख पौण्ड की मांग की गई हैं, सिडनी में कौंसल जनरल के स्वागत डेस्क पर सूअर का सिर रखा गया है। मेलबोर्न में एयर इण्डिया के एक आस्ट्रेलियाई कर्मचारी को छुरा मारने की घटना हुई है। भारतीय उच्चायुक्त के एक कर्मचारी को छुरा मारा गया है। इसी आनन्द मार्ग ने हमारे प्रधान मंत्री को धमकी भरा एक पत्र भेजा है। आस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में बम फटने के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद आस्ट्रेलिया के सरकार ने आनन्द मार्गियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इन घटनाओं के बाद ब्रिटेन सरकार ने लन्दन में आनन्द मार्गियों के होस्टल को बन्द कर दिया।

इसके बावजूद भी वाजपेयी जी का कहना है कि मार्गियों की धमकी से सरकार नहीं डरती। 18 फरवरी को प्रधान मंत्री ने कहा कि मार्ग पर अभी प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार नहीं है। यह सब क्या है ? क्या यह एक राजनीतिक प्रश्न है या विदेशों में भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रश्न है ? मेरे विचार में सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है जिसके कारण भारतीय दूतावासों में काम कर रहे लोग डर गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं : (क) क्या माननीय विदेशमंत्री आनन्द मार्ग संगठन पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने के लिये गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे ; (ख) क्या मंत्री जी उन सभी सरकारों को लिखेंगे जिनके साथ भारत के कूट-नीतिज्ञ सम्बन्ध हैं, कि वे अपने देश में आनन्द मार्गियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगायें, और (ग) यू० के०, अमरीका, आस्ट्रेलिया और अन्य दक्षिण पूर्ण एशियाई देशों में भारतीय दूतावासों में अनुभवी सी० बी० आई० के अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी ताकि विदेशों में भारतीय मिशनों के अधिकारियों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा की जा सके ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने बताया है कि मनीला आनन्दमार्गियों का गढ़ है परन्तु क्या इस आगजनी में मार्ग के किसी व्यक्ति का हाथ है, इस मामले की जांच की जानी है। इस मामले में जांच की जा रही है और हम नतीजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक सदस्य के पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि मुझे गृह मंत्री को कुछ

परामर्श देना है, तो मैं इस समय वह नहीं बताऊंगा ? जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे मालूम नहीं कि क्या इस प्रकार के अनुरोध किये जा सकते हैं। मैं इस बात का पता लगाऊंगा । जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य के सुझाव पर उचित विचार किया जायेगा।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : We are neither pro-Anand Marg nor anti-Anand Marg. But we want that Government should take strict action against those who want to create disorder in the country. We it is certain that some power is there which is posing danger to democracy in the country and is attacking our people in Indian Missions abroad. May I know what steps are being taken to inculcate a feeling of security in the minds of persons working in Indian Missions abroad and will the hon. Minister be pleased to state whether there is any relation between the untoward incidents which are taking place in and outside country ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : Shri Paswas has asked a very important question. In this connection I would like to say that it will not be proper to express any opinion at this time. We are taking every possible step to create a feeling of security among the officers of our Missions abroad. The whole country is behind them. We have posted security guards and sanctioned additional funds for this purpose. Arrangements have been made to keep close liaison with the investigating agencies there. It has yielded good results and some arrests leave been made.

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

74वां और 76वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के पथ फिटिंग से सम्बन्धित पैराग्राफ 15 पर 74वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1, अप्रत्यक्ष कर के सीमा-शुल्क प्राप्तियों से सम्बन्धित पैराग्राफ/ 9, 10 (i) और 17 पर 76वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति

Estimates Committee

18वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंककारी प्रभाग)—समाज के कमजोर वर्गों को तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार पर 18वां प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

दिल्ली में दो अस्पतालों का नाम बदलने के बारे में

श्री राजनारायण का वक्तव्य

Statement re : renaming of two Hospitals in Delhi.

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : Keeping in view the need of the day, it has been decided to rename (i) Willingdon Hospital as Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing Home and (ii) Lady Hardinge Hospital as Sucheta Kriplani Hospital.

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : I congratnlate the Minister for this step. It is not a simple thing. will the hon. Minister request other Ministries also to replace statues of foreign nationals with those of famous National leaders like Dr. Lohia ?

Shri Shanker Dev : (Bidar) : Delhi is a cosmopolitan and an international city where many a foreign national also live. Today world is becoming one family. How far it will be proper to replace foreigners' names in this context ?

प्रो० पी० जी० मावलंकार (गांधीनगर) : संसदीय कार्य मंत्री ने अगले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पुरःस्थापित किये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विधायी तथा संवैधानिक उपायों के बारे में गत कुछ दिनों से प्रेस रिपोर्ट आ रही हैं। अगले महीने में हमारे पास केवल 8 या 9 कार्य दिवस हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमें यह बता सकती है कि सभा के समक्ष कौन से विधेयक पुरःस्थापित किये जाने वाले हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दल-बदल विरोधी विधेयक और विस्तृत संविधान संशोधन विधेयक सभा में कब पुरःस्थापित किये जायेंगे और क्या वे प्रवर समिति को सौंपे जायेंगे । परम्परा यह है कि सत्र के अन्त में किसी विधेयक को सभा में केवल चर्चा के बाद पास नहीं किया जाता। इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार करना उनका काम है। मैं इस मामले पर किसी को निर्देश नहीं दे रहा। वक्तव्य दिये जाने के रास्ते में मैं नहीं आऊंगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

नियम 377 के अधीन मामले

Matters under Rule 377

(1) ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय से काल पात्र सम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फाइल गुम हो जाने का समाचार

Shri Keshavarao Dhondge (Nanded) : Sir, I wish to raise an important matter under rule 377.

Some important papers and files relating to the Time Capsule have disappeared from the headquarters of the Indian Historical Research Council. This happened on the very day the matter was discussed in Lok Sabha. The Minister of Education should make a statement on the matter.

(2) कलकत्ता स्थित भारतीय पटसन निगम को बन्द करने के प्रस्ताव का समाचार

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : 11 अप्रैल, के 'इकानामिक टाइम्स' में छपा है कि सरकार भारतीय पटसन निगम, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, को बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका काम भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जायेगा। यह निगम के न केवल 1000 कर्मचारियों के लिये खतरनाक होगा बल्कि पटसन उगाने वाले राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और त्रिपुरा के लिये भी अनुचित होगा इनके लाभ के लिए पटसन निगम स्थापित किया गया था।

सरकार को पटसन निगम को बन्द नहीं करना चाहिए।

(3) कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर विद्युत् की कमी का प्रभाव

Shri Birendra Prasad (Nalanda) : The shortage of power in Bihar has adversely affected agriculture and industries. The farmers are crying for power. Although power is not supplied, a minimum guarantee is obtained from the customers. This has caused much resentment among them. Government should formulate a national policy in this regard guranteeing power supply to the consumers.

(4) दिल्ली में मलेरिया का भंयकर प्रकोप

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : Of late, there has been rapid increase in malaria cases in the capital. Whereas last year the number of malaria cases were only 5,390, this year upto 15th April, 34,000 cases have already been registered. The Health Minister should pay attention to it and take some effective steps to check it.

It is reported that there is much corruption in the matter of D.D.T. spray. This should also be looked into.

(5) भूतपूर्व प्रधान मंत्री के समर्थकों द्वारा चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के काम में हस्ताक्षेप का समाचार

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad) : On 18th April, when Smt. Indira Gandhi came to the court of the Chief Metropolitan Magistrate Shri P.K. Jain, her supporters made an organised bid to interfere with the process of law and attacked the police force when it tried to stop them from doing so. They continued to raise slogans against Justice Shah and Shri Charan Singh. If this kind of hooliganism is not strongly put down, the courts would not be able to function properly. Government should take proper steps in this regard.

अनुदानों की मांगे 1978-79

Demands for Grants, 1978-79

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कृषि और सिंचाई मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान आरम्भ करते हैं।

श्री बी० पी० कदम : (कनारा) : कृषि उत्पादन देश के सर्वतोमुखी विकास का आधार है । जनता सरकार के भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में कोई विश्वास नहीं है। वे जो भी इस सम्बन्ध में वह कह रहे हैं वह दिखावा-मात्र है।

सहकारिता संविधि कानूनों के सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सहकारिता समितियों में हरिजनों, जनजातियों तथा अल्पसख्यकों जैसे कमजोर-वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इसके परिणामस्वरूप सहकारी प्रणाली से वे लोग लाभान्वित नहीं हो पाते। उन्हें सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, किन्तु उन्हें राज्यपाल द्वारा अयोग्य करार कर दिया जाता है।

अच्छे बीजों का विकास करने के लिए आवश्यक प्रयास किये जाने चाहिएं जो कि बीमारियों का सामना कर सकें। साथ ही जो शीघ्र पक सकें और जिनमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक हो । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है । पहले हमारे पास धान का ऐसा बीज था जिसकी फसल 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती थी । अब इस तरह के बीज हैं जिनकी फसल 90 से 100 दिनों के अन्दर पककर तैयार हो जाएगी। हमारे पास अधिक उपज देने वाली किस्में होनी चाहिएं। दालों आदि में भी इस तरह की किस्मों का विकास किया जाना चाहिए क्योंकि अन्य देशों की तुलना में हमारा प्रति एकड़ उत्पादन बहुत ही कम है। इस उद्देश्य के लिए समुचित मार्ग-दर्शन, समुचित साधनों, बीजों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

अच्छी बात है कि 1985 तथा 2000 के लिए क्रमशः 1930 लाख टन तथा 2300 लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किन्तु इस सभी ऊंची आशाओं के साथ-साथ हमें भारत की जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि दर को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिवर्ष हमारी जनसंख्या में 1.5 करोड़ की वृद्धि होती है। स्वतंत्रता के पश्चात् हमारी जनसंख्या में 35 करोड़ की वृद्धि हो गई है। अतः हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इन सभी लक्ष्यों को निर्धारित करते समय हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाने होंगे, जिनके बिना समूची अर्थ-व्यवस्था पूर्ण रूपेण अव्यवस्थित हो जायेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही युवा वैज्ञानिकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा की गई आत्म हत्याओं की पूरी जांच की जानी चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों में विश्वास की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए।

सब्जियों, केलों, अनानास जैसे फलों तथा मुतमेग और जयफूल तथा लौंग जैसे मसालों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए । मलनाद तथा कर्नाटक सहित उष्ण कटबधी जैसे क्षेत्रों में इनको उगाने की बहुत सम्भाव्यता है।

नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। केरल और कर्नाटक राज्य इस सम्बन्ध में अग्रणीय हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इसके उत्पादन को क्षति पहुंचाती हैं। इन बीमारियों को दूर किया जाना चाहिए।

समाज के कमजोर वर्गों को उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियां सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही खाद के लिये हर पत्ते वाले ग्लारेरसदीया जैसे अधिक नाइट्रोजन वाले पेड़ों के भी लगाने की आवश्यकता है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं गरीब मछेरों को तट के निकट बहुत परेशान करती हैं इससे कर्नाटक, गोआ और मद्रास के मछेरों के बीच बहुत असंतोष व्याप्त हो गया है। तट के निकट मछली पकड़ने वाले गरीब मछेरों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। मीन क्षेत्र में सड़कों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बिना मीन क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता।

भूमि कटाव जो कि केरल तथा कर्नाटक के लिए मुसीबत बना हुआ है, को रोकने के लिए उपाय किये जायें।

Shri Raghunath Singh Verma (Mainpuri) : Mr. Deputy Speaker, it is good that 45 per cent of the total budget provision has been allocated for agriculture. But irrigation facilities in our country are very inadequate. At present only 25-30 per cent of the agricultural land can be irrigated with the existing irrigation facilities and because of this even today, most of our farmers depend on rains. There are huge irrigational potentialities in our country, but they have not been properly and adequately tapped. The condition in the eastern districts of Uttar Pradesh, more particularly in Bundelkhand area, is very bad where dry farming is being done for want of irrigation facilities. Small dams should, therefore, be constructed over the rivers Chanab, Betwa and Kane etc., to provide irrigational facilities in that area. Lift irrigation facilities can also be provided on these rivers.

According to the recommendations made in the report of the Irrigation Commission submitted in 1972, the rates of irrigation have been increased; but even then irrigational facilities have not been extended adequately. The rates of irrigation water should be reduced in order to help the small farmers.

The construction work at Government tubewells and canals is of very low order, as corrupation is rampant among the engineers. Strict measures should be taken to prevent it early.

An irrigational survey covering the entire country should be conducted so as to assess correctly the irrigational requirements, the irrigational potentialities and the difficulties being faced by the farmers in regard to the existing Government irrigational facilities as also the private irrigational facilities. The water in the upper strata has been exhausted in many areas and consequently the tubewells or traditional wells in those areas become dried. Deep boring in tubewells, whether Government or private, and other wells should, therefore, be done in those areas.

Small dams should be constructed in this district over the rivers Kali Nadi, Easan, Sengar, Sirsa and Yamuna. This will not only prevent soil erosion but would also provide irrigational facilities also.

The farmers are not getting adequate prices for their produce. The condition in regard to sugarcane in U.P. is particularly very bad. The prices fixed for sugarcane are at a low level. The crushers have started working late by a month or so. The sugarcane growers there are facing a great problem for want of any market for their cane. A little relief has been provided to them, but that is not adequate. Immediate steps should be taken to help the cane growners.

The support price of wheat thas been increased by Rs. 2.50 per quintal only, which is very inadequate because the cost of production also is very high today. Besides, prices of gram and rice should also be fixed.

The Agricultural Prices Commission has not been able to protect the interests of farmers and should, therefore, be abolished. If it is not done, adequate representation to the farmers should be given in this Commission.

More cold storages should be set up for potatoes and ban on export of potato should be removed.

It is good that Government are taking steps for the development of dairy industry. Steps should also be taken to encourage poultry farming and fisheries also.

More attention should be paid to plantation and forestation.

The prices of agricultural produce should be fixed adequately before the harvest.

Difficulties are being faced by the farmers in getting seeds of puses. These difficulties should be removed early.

Fertilizers are also not available in time and in required quantity. Action should be taken to remedy the situation.

The employees of Food Corporation of India, in collusion with the middlemen, are working against the interests of the farmers. These middlemen should be abolished and it should be ensured that the farmers get the price of their produce on the day of its disposal.

Crop Insurance Scheme should be introduced early. Adequate relief should be provided to the farmers in the areas where crops are damaged by hailstorms etc.

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर) : पीजेंट् एंड वर्कर्स पार्टी ने, जिससे मैं सम्बद्ध हूं, 1948 में किसानों को लाभदायक मूल्य देने के लिए एक आन्दोलन किया था और यह आन्दोलन अभी भी चल रहा है, किन्तु हमें अभी तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाये हैं। गत 30 वर्षों के कांग्रेस शासन ने समर्थन मूल्य नीति अपनाई और जनता सरकार भी वही नीति अपना रही है।

मैं मंत्री जी का ध्यान कृषि मूल्य आयोग के निदेश पदों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा उनसे पूछना चाहता हूं कि ये निदेश पद कृषकों तथा उपभोगताओं अथवा व्यापारियों में से किनके लिए अनकूल हैं।

1965 से प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि कृषि मूल्य आयोग के निदेश पदों द्वारा निर्धारित मूल्य समर्थन नीति केवल व्यापारियों के लिए लाभदायक रही है क्योंकि व्यापारियों तथा मिल मालिकों को कृषकों से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति प्राप्त है। व्यापारी अपने स्टाक को मुक्त बाजार में बेच सकते हैं तथा अधिक लाभ कमा सकते हैं। व्यापारी उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के बल पर अण्धा धुन्ध लाभ कमा रहे हैं। इस मुनाफे की जांच की जानी चाहिए। कृषि मूल्य आयोग के निदेश पदों का यह परिणाम है। कृषि मूल्य आयोग के निदेश पद कृषि विभाग की इस घोषणा के अनुकूल नहीं है कि उनकी नीति कृषकों को लाभ पहुंचाना है बल्कि सर्वथा इसके विपरीत है।

कृषि उत्पादन के काम की देखभाल कृषि विभाग द्वारा की जाती है तथा सभी कृषि वस्तुओं के व्यापार के नाम पर निगरानी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रखी जाती है। किन्तु इन दोनों विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक तम्बाकू बोर्ड है, जिसे तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाने का काम सौंपा हुआ है। किन्तु वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि तम्बाकू के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। यही स्थिति कपास, गन्ना, पटसन, काजू, प्याज तथा अन्य कृषि वस्तुओं की है। कृषि मंत्रालय अधिक उत्पादन का अभियान चला रहा है जबकि वाणिज्य मंत्रालय उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की

बात कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय कृषि विभाग के मार्ग में बाधक है। उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां कृषि मंत्रालय के काम में बाधा डाली जाती है और कई बार कृषकों को हतोत्साहित किया जाता है। इसका को उपचार नहीं किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय तथा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग कह रहा है कि वर्षानुवर्ष जो मूल्य घोषित किये जाते हैं वे किसानों के लिये लाभदायक होते हैं। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। फार्म मानेजमेंट अध्ययन दल का उत्पादन लागत निकालने तथा मूल्य निर्धारित करने का दृष्टिकोण वास्तविक नहीं है। जिसको भी कृषि का ज्ञान होगा वह जानता है कि कृषक को समूचे वर्ष कार्य करना होता है, चाहे वह खेत में काम नहीं कर रहा हो। किन्तु उसे खेती के काम की निगरानी, बैलों, मशीनों आदि की व्यवस्था तथा अन्य कई काम करने होते हैं। वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर हिसाब लगाना ग़लत है। किसानों को सारे वर्ष काम करना होता है और सारे वर्ष अपने परिवार का भरण-पोषण करना होता है। अतः उत्पादन लागत वास्तविक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिये। लाभदायक मूल्य उत्पादन लागत तथा परिवार के भरण-पोषण की लागत पर आधारित होने चाहिये। केवल तदर्थ नीति बनाने से काम नहीं चलेगा।

Shri Chandan Singh (Kiram) :The 85 per cent country's population constitutes of farmers and agricultural labourers. Great promises have been made by the political parties at the time of elections to imporve the condition of farmer, but later those promises were not kept.

The prices of sugarcane for my district had been fixed at Rs. 9.50 per quintal. But the sugarcane growers are not getting this price for their cane and it is selling at Rs. 3.50 Rs. 4.00 per quintal. About 50 per cent of the sugarcane is still standing in the fields and no one knows what will happen to it. Each year sugar mills are started by the end of October, but this year they have been started in December-January. Immediate steps required to be taken to bring the farmer out of this great difficulty in regard to sugar-cane crop.

The scientists should be made to conduct research work in the fileds and under those conditions under which the agricultural operations are carried on by the farmers. Only then the research work can prove of real benefit to the farmers.

It should be ensured that the improved seeds and fertilisers are made available to the farmers adequately before the sowing season.

It has been observed that actual weight of fertilisers found in the bags is much less than the weight indicated on the bags. Corrupt practices being adopted in the distribution of fertilisers should be checked.

Many of the State tubewells are lying idle for want of timely repairs. Steps should be taken to see that they started functioning early.

There is great silting in the canals, resulting in less supply of water. Immediate remedial measures be taken in this regard early.

Prices of oil, diesel and mobil oil should be reduced for the benefit of farmers. Gur is not being purchased in adequate quantity and at proper price, resulting inloss to the farmers. Immediate necessary action is required to be taken in this regard.

The prices of wheat have been fixed at Rs. 112.50 per quintal but in practice the poor and illterate farmers are getting only Rs. 85 per quintal. This should be remedied.

Crop Insurance Scheme and insurance schemes for milch cattle and oxen should be introduced early. More vigourous steps should be taken to check and prevent the cattle diseases.

The mannual, framed in 1976, provided for relief in revenue only in that case when the damage to crops was more than 80 per cent. In case of hail storms no relief in revenue is given, nor taccavi loan and subsidy are given. This manual should be amended in accordance with changed circumstances.

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायन् (तिंडिवनम) : तमिलनाडु में राज्य सरकार वर्ष 1967 से ही ऐसी त्रिपक्षीय समितियों की प्रथा का पालन करती चली जा रही है। इन त्रिपक्षीय समितियों की अध्यक्षता सरकार द्वारा की जाती है तथा समितियां यह निर्धारित करती हैं कि गन्ना उत्पादकों को मिल मालिकों द्वारा गन्ने का कितना मूल्य दिया जाना चाहिये। ऐसा करने से मिल मालिकों को किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से सौदेबाजी करने का अवसर नहीं मिलता। तमिलनाडु के 16 कारखानों में से केवल 4 ही ऐसे कारखाने हैं जिनका प्रबन्ध इस क्षेत्र के एकाधिकारवादियों के हाथ में है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 1972 से निर्धारित की गई मूल्य नीति का पालन नहीं किया है।

यह कारखाने गन्ने न्यूनतम मूल्य देने में भी असफल रहे हैं। इससे गन्ना उत्पादकों को लगभग 65 लाख रुपये की हानि हुई है जिससे बेचारे कई हजार किसानों को भुगतना पड़ा है।

राज्य सरकार को दिये गये अनेक अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती सकी है क्योंकि राज्य सरकार का कहना यह था कि त्रिपक्षीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये मूल्यों को क्रियान्वित करने का सरकार को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तमिलनाडु के गन्ना उत्पादकों द्वारा केन्द्र सरकार को भी अनेक अभ्यावेदन दिये गये परन्तु उसके कानों पर भी जूं नहीं रेंगी।

सदस्य 1972 से इस मामले को ला रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं यह भली भांति जानता हूं कि राज्य सरकारों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और वह यह सुनिश्चित कर सकती है कि इस राशि का भुगतान किया जाये। आशा है वर्तमान सरकार कम से कम ऐसे शोषण को तो रोकेगी।

केन्द्र की वर्तमान पक्षपातपूर्ण नीति के कारण फैक्ट्रियों के मालिक काला धन कमाने लगे हैं और सरकारी उपज राजस्व की चोरी करने लगे हैं। कम्पनी और विशेषतया शेयर धारियों को धोखे से लूटा गया है। मैंने जैपुर सूगर कम्पनी के बारे में 7 अप्रैल, 1978 को एक प्रश्न भी किया था।

मंत्री महोदय ने बताया है कि जैपुर सूगर कम्पनी के प्रबन्धकों ने 14000 क्विन्टल लेवी चीनी चोर बाजारी में बेची है, जानबूझकर झूठे नक्शे पेश किए हैं और उत्पादन शुल्क तथा आयकर की भारी राशि की चोरी की है। इस कम्पनी ने ढाई लाख रुपये के उत्पादन शुल्क की चोरी की है। इस कम्पनी के प्रबन्धकों ने न केवल केन्द्रीय सरकार को धोखा दिया है बल्कि सामान्य जनता को भी धोखा दिया और अपने शेयर धारियों को भी लूटा है तथा चीनी निदेशालय में जानबूझकर झूठे नक्शे, स्टेटमेंट किताबें तथा दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और इस धोखा धड़ी को छुपाया है। इसके लिए कम्पनी को दण्ड मिलना ही चाहिए। यह सब 1972 में हुआ है जबकि हम अब 1978 में इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब इस विभाग को इन सब बातों का पता था तो इस धोखाधड़ी को अब तक कैसे छिपाये रखा गया कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध तुरन्त अदालती कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकारी मशीनरी को इतना शक्तिशाली बनाया जाये कि वह ऐसे आर्थिक अपराधों का पता लगा सके।

सरकार को चीनी कारखानों एवं मिलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। इन्हें सहकारी चीनी फैक्ट्री केन्द्रों में परिवर्तित कर देना चाहिए।

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation Shri Bhanu Pratap Singh): Despite the fact that there is a decline in agricultural production this year, the rise in the prices of agricultural commodities is lesser than the rise in the price of non-agricultural commodities. So, it is not fair to take an objection for even 3-1/2 per cent rise in the prices of agricultural commodities.

It can be very well-proved that our food situation has been quite satisfactory. But the question now under consideration is whether we are in a position to go in for commercial export of wheat. At present, except in three States of Maharashtra, Kerala and West Bengal, wheat is not being procured directly from farmers against their will.

As regards the prices, it is true that we have raised the price of paddy from Rs.74 to Rs.77 per quintal and the price of wheat from Rs.105 to Rs.112.50 per quintal. But it is an abnormal rise because there is now a change in situation. One has got to differentiate between the procurement price and the support price. A situation has to be created wherein the farmer sell his produce above the support price, and so, when we withdrew the restrictions, the farmers in the surplus State did get higher price for their produce. On the one side, in the States like Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, the farmers get higher price for paddy whereas on the other hand, in the deficit States, consumers got rice in the open market at cheaper price.

It has been the intention of our Ministry that farmers could sell wheat at higher price than Rs. 112.50 per quintal. The Government would be prepared to purchase any quantity of wheat at a price higher than that. We had made arrangements to purchase any quantity at support price, because the support price is just like an assurance and we will certainly fulfil that assurance.

It is said that while determining the prices of paddy and wheat, justice has not been done with the farmers of South India or at least paddy growing States. But one had to remember that prices of paddy and wheat in our country have been traditional and there is a traditional ratio between their prices. I do not consider it fair, but one has to remember that it is difficult to change that traditional proportion and the public opinion has to be built up for that purpose.

As regards rural development there are about 5000 blocks in the country, out of which, in 4426 blocks, some kind of development programme was going on. Out of the, in about 2000 blocks, new intensive programme would be undertaken that would include afforestation, animal husbandry and establishment of small scale and cottage industries. We also propose to set up a programme for rendering service to agriculturists, which would include service for plant protection or repairing of agricultural implements.

In some of the 3426 blocks, some influential people in the previous Government had simultaneously initiated two or three programmes. But now it has been decided that only one programme would be carried on in one block. As a result, one or the other programme would certainly be carried on in 3000 blocks.

Reference was made to the loans advanced to farmers. Now, we have decided that not more than 11 per cent interest would be charged on long term loans advanced by the Commercial or Cooperative banks. The rate of interest on loans for the purposes of minor irrigation and land development would be 10½ per cent. Similarly, the rate of interest would also be reduced to some extent for short term loans to be advanced by Commercial and Cooperative Banks.

An allegation has been made against us that we have mismanaged in the case of sugar industry. But the fact is that we have got this industry in a mismanaged state as a legacy of the previous regime. The erstwhile government, without taking into consideration our export potential and requirement for domestic consumption, allowed arbitrary production of sugarcane. The position today is that sugar is selling in the in ternational market at such a low price that we are incurring loss, and still, we have decided to export it. As a matter of fact, the agriculturists should not produce a commodity that is not in demand. Therefore, the need of the hour is to resort to crop planning and diversification.

(Interruptions)

As regards the price of sugarcane, the Central Government has fixed it at Rs. 8.50 per quintal at 8.5 recovery and price will be higher according to higher recovery. This decision is uniform for all the States, irrespective of North or South. So far as the big factories are concerned, they have to give this fixed price, but the Khandsari and Gur manufacturers are beyond our jurisdiction.

It is wrong to say that agricultural production has not increased as a result of agricultural research. The fault does not lie with our agricultural scientists but blame should lie upon the improper application of the finidings of research. There can be no two opinions about the fact that our agricultural production has increased by 70 per cent per acre during the last ten years.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति।
COMMITTEE ON THE PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

सत्राहवां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

श्री देवेन्द्र सत्पथी (धेनकनाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 17 प्रतिवेदन से, जो 18 अप्रैल, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 17वें प्रतिवेदन से, जो 18 अप्रैल, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

होम्योपैथी केंन्द्रीय परिषद, (संशोधन विधयक धारा-2 का संशोधन

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL AMENDMENT BILL AMENDMENT OF SECTION 2)

Shri Daya Ram Shakya (Farrukhabad) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Daya Ram Shakya : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19,31, आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 19, 31, ETC.)

Shri Madan Tiwary (Rajnandgaon): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

Shri Madan Tiwary : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 84, 173, आदि का संशोधन)

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 84, 173, etc.)

श्री राज कृष्ण डान (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री राज कृष्ण डान : में विधेयक पुरःस्थापित करता हू :।

संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद 19 का संशोधन अनुच्छेद 31, आदि का लोप)

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 19, omission of article 31, etc.)

Shri Y.P. Shastri (Rewa) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन कर वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

Shri Y. P. Shastri : I introduce the Bill.

जनता ट्रस्टीशिप विधेयक

Janata Trusteeship Bill

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the creation of Trust Corporations for further development of enterprises and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उद्यमों के और विकास के लिए ट्रस्टीशिप निगमों की स्थापना का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए .।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

Dr. Ramji Singh : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद 19, 31 आदि का संशोधन)

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 19, 31 etc.)

Shri Sharad Yadav (Jabalpur): I beg to move that leave be granted to introudce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Sharad Yadav : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

अनुच्छेद 352, 356 आदि का संशोधन)

Constitution (Amendment) Bill
(Amendment of articles 352, 356 etc.)

श्री हरि विष्णु कामत (होगाशंबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 51 का संशोधन)

Constitution (Amendment) Bill
(Amendment of article 51).

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

Shri Shankar Dev (Bihar): The mover of the Bill deserves congratulations for bringing forth this measure. The greatest problem of today is that the progress of science is be-

coming a cause for annihilation of human civilisation. Therefore, unless all the intelligent people of the world sit together and decide to put a ban on the proliferation of nuclear weapons, there is no scope for the rescue of the human race. If the humanity is to be protected from destruction, the people of the world have to form a World Federal Government, and a World Constitutent Assembly has to be set up for drafting a Constitution for it. The people of the world now have to think seriously on the question.

This Bill is a good step in the direction of establishing world peace. The Government of India should show their largeheartedness by adopting this Bill, though it is a Private Member's Bill.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : The Bill under discussion is a historic Bill, because it provides for taking a solid step in the direction of formation of World Government. The mover of this Bill has proved that the concept of World Government is not an idea of Western thought but it is an idea originating from Indian ideology, Indian thinkers have always thought in long-term perspective and they have invented the principle of non-dualism. So, India is the fittest country where the seed of World Government could be sown.

The idea of World Federal Government cannot be dismissed as a utopian scheme, because it was first propounded by great personalities like Mahatma Gandhi, Pt. Nehru, Rabindra Nath Tagore and lastly by Shri Aurobindo, who had established a concept of World Government on the basis of human unity. Even Dr. Lohia had supported the idea of World Government. The great personalities cannot be dismissed as utopian dreamers. Therefore, the necessity of World Government in the present context is beyond any doubt and question. If the world is to be rescued from total annihilation, it is essential the concept of World Government be turned into a thing of reality. Therefore, the idea of formation of World Government is not an issue of option, but it is a matter of compulsion in this atomic age. So, there can be no propriety in opposing this kind of measure.

It is necessary that we should think of a world government. It is essential to do so in this atomic age. If we do not do so, humanity will perish. It is essential not only for humanity but also for equality. Economic disparity between the countries should be removed.

It is asked whether by merely passing this Bill, we will be able to achieve the objective of having a world government. The purpose of the Bill is to create a proper atmosphere for achieving the desired objective. This Bill will provide a guideline to the ordinary people to rise above narrow considerations and think on a wider horizon. It is hoped that the government will not oppose this Bill.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : 20वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विश्व सिकुड़ गया है और धीरे-धीरे राष्ट्रीय सीमायें मिट रही हैं । हमारा ग्रह, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं और इस पर सम्भवत: मानवता भगवान की सर्वोत्तम रचना है पृथ्वी और मानवता को सुरक्षित रखना हर विचारशील व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए ।

विश्व अनेक संस्कृतियों, विभिन्न रंगों के लोगों, अनेक भाषाओं, सैद्धान्तिक विश्वासों तथा अनेक राजनैतिक दर्शनों से भरपूर है । प्रश्न यह है कि क्या हम अपने कल्याण के लिए पैदा खतरों का सामना कर सकते हैं; क्या समूचे विश्व के लिए एक समेकित अर्थ व्यवस्था बना सकते हैं अथवा क्या हम विश्व की प्राथमिकताओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं ताकि जनजीवन बिगड़ने के स्थान पर सुधर सके । यह एक

बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है और जब राष्ट्रों विशेषतः बड़ी-बड़ी शक्तियों के बीच शस्त्रों का स्टाक करने की होड़ हो तो भविष्य धुमिल नजर आता है।

सिकुड़ते विश्व की बढ़ती आर्थिक खाई का विश्व के राजनैतिक ढांचे पर उलटा प्रभाव पड़ेगा। विश्व स्तर पर अमीर तथा गरीब के बीच संधर्ष है। अमीर और गरीब के बीच का अन्तर एक ऐतिहासिक तथ्य है और यदि विश्व को बने रहना है तो यह अन्तर समाप्त हो जाना चाहिए। इसका एकमात्र समाधान विश्व सरकार ही है। सभा के सामने जो विधेयक है वह इस दिशा में एक सही कदम है। विधि मंत्री को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि इस विधेयक को देश के अन्दर ही नहीं बल्कि विश्व भर में जनमत प्राप्त करने के लिए प्रचारित किया जाये।

श्री गौड़े मुराहरी (विजयवाड़ा) : विश्व संविधान तथा संसद एसोसिएशन ने एक पेरिस में हुई संविधान सभा की बैठक में विश्व संघीय सरकार बनाने के लिए एक आदर्श संविधान पारित किया। राष्ट्रीय भावना तथा अलग-अलग रहने की इच्छा सभी राष्ट्रों के बीच है। किसी भी सरकार के लिए सामने आकर यह कहना आसान नहीं है कि किसी विशेष संविधान के पक्ष में है। फिर से एक गैर सरकारी प्रयास किया गया और संविधान तैयार किया गया। अब समय आ गया है अब सरकार को विश्व संविधान पारित करने पर विचार करना चाहिए। इसके लिए चाहे बनाये गये संविधान में सुधार करना पड़े अथवा एक नया संविधान तैयार करना पड़े।

विश्व सरकार आज मानवता के लिए जरूरी है। विश्व सरकार के बिना तो विश्व का नाश ही होगा। नियुट्रन बम बनने तथा अणु अस्त्रों की जमाखोरी तथा निशस्त्रीकरण के कोई संकेत न मिलना आदि आदि से प्रतीत होता है कि विश्व सरकार मानवता के लिए अनिवार्य है। एक विश्व प्राधिकारी, जिसकी हर राष्ट्र पर प्रभुसत्ता हो, ही एक ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसमें शस्त्रीकरण न हो और जिसमें कोई बम तथा अन्य प्रकार के युद्ध शस्त्र न हों।

विश्व भर में अनेक ग्रुप विश्व सरकार बनाने में प्रयत्नशील है। कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जो विश्व संविधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक राष्ट्र सामने अपने तथा प्रयत्न करने के लिए सहमत नहीं होते तो यह सब निरर्थक ही है। श्री कामत ने इस प्रकार का विधेयक लाकर अच्छा काम किया है।

कुछ वर्ष पूर्व कोई इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि साम्यवादी विचारधारा के लोग अन्य व्यवस्थाओं वालों के साथ मिलजुलकर कुछ भी काम करने को तैयार हो सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ और इसीलिए आज विश्व सरकार बनाने की कल्पना भी की जा सकती है। ऐसे विश्व संघ में साम्यवादी, प्रजातांत्रिक समाजवादी और कल्याणकारी इत्यादि सभी विभिन्न विचारधाराएं साथ-साथ चलेंगी। जिन लोगों को इन विभिन्न विचारधाराओं में आस्था है वह मिलजुलकर कुछ ऐसा समाधान निकालेंगे जोकि विश्व की बुराइयों को दूर कर सकेगा इसका एकमात्र समाधान यही है कि एक विश्व सरकार बनाई जाए जोकि निष्पक्ष रूप से विभिन्न समस्याओं पर विचार करके उनका अंतिम समाधान पेश करे। इसीलिए मैं श्री कामत के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० कुण्डू : विश्व एक है यह विचार हमारे लिए कोई नया नहीं है। विश्व एक परिवार है। वैदिक युग से हमारे धर्मशास्त्रों की यही धारणा रही है। विभिन्न सन्त महात्माओं ने बार-बार इसकी घोषणा की है।

यह सही है कि विश्व की अधिकांश समस्याएं तब तक हल नही हो सकती जब तक कोई विश्व संघ न बनाया जाए। शुरू से हमारा यही विचार रहा है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को उस अवस्था में देखा जब

उसने घुटनों के बल सरकना सीखा और फिर उसे उठते और चलते देखा। हमारा विचार इस विश्व निकाय को सशक्त बनाने का है इसे प्रभावी संगठन बनाने का है ताकि इसकी आवाज का कुछ असर भी हो। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 149 देशों और 2,000 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

आज विश्व के समक्ष कई ज्वलंत समस्याएं हैं जो उसे विभाजित कर रही है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समस्या अभी भी बनी हुई है। निशस्त्रीकरण की समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व समृद्ध और निर्धन देशों के दो वर्गों में बंटा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में 5 प्रतिशत गोरे 95 प्रतिशत काले लोगों पर राज्य कर रहे हैं और काले लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार ढाए जा रहे हैं।

क्या विश्व के राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या इस बारे में हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। हमें आवश्यक वातावरण तैयार करना होगा ताकि राष्ट्र धीरे-धीरे स्वयं ही राष्ट्रीय सार्वभौमिकता को त्यागने के लिए तैयार हो जाएं तभी अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे अथवा एक विश्व संघ बनाने की बात संभव हो सकती है।

सीमारहित विश्व निर्माण के लिए सबसे पहले एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनानी होगी। यदि आर्थिक विषमताएं बहुत अधिक होगी लोगों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम विश्व संघ बनाने के लिए प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे।

हमें अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता और राष्ट्रीय सार्वभौमिकता के बीच सौहार्दपूर्ण संतुलन स्थापित करना होगा और जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक विश्व सरकार बनाने का हमारा सपना सरकार नहीं हो सकता।

जनता सरकार एक-एक करके सभी कदम उठा रही है। हमने अपने पड़ौसी देशों के साथ संबंध सुधारने शुरू किए है। सरकार गुट निरपेक्ष आन्दोलन को सशक्त करना चाहती है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रंग जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। हमें इस समस्या के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जिस पर आये दिन आण्विक अस्त्रों का खतरा मंडरा रहा है। जब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन यापन पर विचार नहीं करते तब तक यह संसार बना नहीं रह सकता। आज दुनिया छोटी होती जा रही है। शांति अविभाज्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि विश्व के एक हिस्से में तो शांति हो तो दूसरे में युद्ध होता रहे। समृद्धता की भी यही बात है। समृद्धता को भी केवल मात्र कुछ भाग्यशाली राष्ट्रों तक सीमित नहीं रखा जा सकता और न ही दरिद्रता को ही शेष दुनियां तक सीमित रखा जा सकता है। आज कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। एक देश के पास यदि कच्चे माल का अभाव है तो दूसरे देश के पास प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव होगा तथा ऐसे ही तीसरे के पास प्रौद्योगिकी है तो चौथे देश के पास विपणन तकनीक की बहुलता हो सकती है। इसलिए एडवर्ड ब्राइन ने अपनी पुस्तक "वर्ड़ विदआउडर बाइज़ में कहा है कि उत्पादन भी अन्तरराष्ट्रीयकृत है।

कई देशों के दिमागों में यह जागरूकता बढ़ रही है कि उन्हें शांति के वातावरण में रहना है तथा उन्हें अपनी सम्पत्ति में गरीब देशों को भी सहभागी बनाना है। जब तक हम एक मानव परिवार की बात नहीं सोचेगें तब तक विश्व का भविष्य उज्वल नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन किया जना चाहिए तथा पांच राष्ट्रों को जो वीटों की शक्ति अथवा अधिकार दिया हुआ है, उसे समाप्त किया जाए चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक राष्ट्र को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। जब तक पांच राष्ट्रों के पास वीटो अधिकार रहेगा तब तक संयुक्त राष्ट्र एकता की आशा नहीं कर सकता।

भारत के पास नैतिक बल है। वह विश्व के सभी देशों को इस सिद्धान्त से अवगत करा सकता है। और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे इस सिद्धान्त को स्वीकार करें। न्यूनाधिक रूप से सभी राष्ट्र यह महसूस करेंगे कि विश्व को एक परिवार एक विश्व व्यवस्था तथा एक विश्व सरकार का रूप दिया जाना चाहिए। उन्हें अपनी सम्पत्ति, समृद्धि ज्ञान, विज्ञान तथा औद्योगिकी में अन्य देशों को सहभागी बनाना चाहिए ताकि विश्व शांति से रह सके।

Shri Hukam Deo Narain Yadav (Madhubani) : Why it has today become necessary to take such step. Necessity of such a step was felt long ago. In our Hindu Myths it has been said that the whole universe is one family. But today we find that the whole world is divided into pieces.

If the arms producing countries did not voluntarily stop themselves to produce arms, the time will come when these arms will be utilized for war purposes and then the entire humanity and the arms will be destroyed. Therefore in order to save humanity it is necessary to impose restriction on arm race and for achieving this aim it is aboslutely necessary to form a world organisation.

Today there is technical disparity in the world. Some advanced Countries have technical expertness whereas some countries are backward in this respect.

Today there are economic disparities in the world. Those who have technical expertise amass wealth. Those who are not technically advanced are poor. Scientific knowledge should be the common property of the entire human race. That can be possible only if there is a world government. Also if we have to end discrimination on the basis of colour we would have to move in that direction.

We should not have a federation of governments in different countries. But there should be a world government elected by the people of the world.

The entire wealth of the world should be equally distributed among people. There should be world citizenship. All these noble objectives can be achieved only if there is a world government. Our Government should make efforts towards the achivement of this goal.

प्रो० पी० जी० मावलंकार (गांधी नगर) : कहा गया है कि यह एक असंभव बात है या विश्व सरकार के बारे में पता करना केवल एक कल्पनामात्र है। किन्तु सभी विधान आरम्भ में काल्पनिक ही लगते थे। इन्हें साकार रूप तब मिलता है जबकि जनमत इस विचारधारा को वास्तविक स्वीकार कर लेता है तथा उसे विधायी अधिनियमनों का एक अनिवार्य अंग स्वीकार कर लेता है। हमारे संविधान का पांचवां अध्याय आरम्भ में काल्पनिक लगता था। आचार्य कृपलानी तथा अन्य नेताओं ने कहा था कि यह और कुछ नहीं है बल्कि शुद्ध विचारों तथा आकांक्षाओं का सम्मिश्रण है। अतः यदि राजनीति के निदेशक सिद्धान्तों के इस अध्याय में एक ओर आकांक्षा को जोड़ दिया जाये तो हमें इस पर संकोच नहीं करना चाहिए।

(श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुईं)

(Smt. Parwathi Krishnan in the Chair)

यदि विक्टर हुगो, महात्मा गांधी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों द्वारा विश्व सहयोग को सुदृढ़ किया जाता है तो फिर हम इसे काल्पनिक विचार नहीं कह सकते । श्री कामत ने अपने विधेयक के उद्देश्यों का सही उल्लेख किया है कि विश्व के सभी अच्छे व्यक्तियों तथा अच्छे राष्ट्रों के लिए यह उचित समय है कि वे आपस में एक हो जायें ।

एडमंड बर्क ने कहा था "जब बुरे लोग एक हो जाते हैं तो अच्छे लोगों में एकता हो जाती है ।" जब बुरे लोग हथियारों तथा विध्वंसकारी शस्त्रों को लेकर एक हो जाते हैं तो फिर अच्छे लोगों में एकता हो जानी चाहिए । अच्छे लोग एक विश्व के विचार से ही एकत्रित हो सकते हैं ।

हैरोल्ड लस्की ने अपनी पुस्तक "ग्रामर आफ पोलिटिकस" में कहा है, "या तो हम योजनाबद्ध तरीके से एक विश्व का निर्माण करें या फिर हम अपना सर्वनाश कर देंगे ।" यह बहुत ही निराशाजनक विकल्प है । अतः यदि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संचार तथा प्रचार माध्यम हमें आपस में मिला लें तो फिर हम ऐसी निराशाजनक बात कैसे सोच सकते हैं । एक विश्व की रचना होनी ही चाहिये ।

एक विश्व से बहुत प्रगति हो सकती है, उससे बहुत लाभ हो सकते हैं । इसके लिये अमरीका, इंगलैंड, सोवियत संघ तथा अन्य देशों में प्रयास किये जा रहे हैं । और यदि हम भारत में इस विधेयक को स्वीकार करके ऐसा करेंगे तो हमारा यह सही दिशा में एक सराहनीय कदम होगा । आशा है कि हम ऐसा बिना किसी विरोध के कर लेंगे ।

श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य (पुलुबेरिया) : मैं विधेयक की इस भावना का स्वागत करता हूं कि मानव द्वारा मानव का शोषण बंद हो जाना चाहिये और विज्ञान का विकास मानव संहार नहीं बल्कि मानव के कल्याण हेतु किया जाये ।

कुछ समय पहले राष्ट्रपति कार्टर भारत आये थे । हमारा देश एक गरीब देश है । फिर भी हमारे प्रधान मंत्री ने आणविक प्रचार विरोधी संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया । उन्होंने श्री कार्टर को निर्भीक होकर कहा, "पहले आपके अपनी आणविक शक्ति समाप्त करनी चाहिये और फिर हमें आणविक प्रचार विरोधी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये कहें। सारे विश्व में इस बात को अनुभव किया जा रहा है । इससे युद्ध के विरुद्ध भावनायें पैदा होंगी और भविष्य में मानवता विनाश के खतरे से मुक्त हो जायेगी ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं विधेयक के प्रस्तावक श्री कामथ तथा इसका समर्थन करने वाले अन्य सदस्यों को बधाई देता हूं । उन सभी ने उस महत्वपूर्ण समस्या को उजागर किया है, जिसका सामना भारत ही नहीं बल्कि सारा विश्व कर रहा है ।

जब मैं विधेयक को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि यद्यपि इसके उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय हैं फिर भी हम उस स्वप्न से बहुत दूर हैं और वह स्वप्न हमारे ही जीवनकाल में साकार नहीं हो सकेगा बल्कि इसके लिये कई जीवनकाल लगेंगे । लेकिन उन्होंने अपने विचारों के बारे में संदेह प्रकट किया जब उन्होंने कहा कि मैंने ही आपातकालीन सम्बन्धी संविधान के प्रावधानों की त्रुटियों को दर्शित किया था । मैंने भविष्यवाणी की थी कि संविधान सभा द्वारा जिन विषयों पर चर्चा की गयी थी, उसमें बहुत से खतरे थे । लेकिन अब श्री कामथ की बात सच सिद्ध हुई ।

जहां तक नीति निदेशक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, यद्यपि न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकते फिर भी ये सिद्धान्त मूलभूत हैं और इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का काम है ।

भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य है । जब तक यह संविधान है, उस समय तक इसकी प्रभुसत्ता के किसी भाग पर विदेशी कब्जा नहीं हो सकता और इसे सरकार किसी देश को समर्पित नहीं कर सकती क्योंकि सरकार को संविधान की सीमाओं के अन्दर काम करना पड़ता है । जब तक संविधान में यह व्यवस्था है, उस समय तक क्या भारत अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को समर्पित कर सकती है ? क्या संविधान में ऐसे प्रावधानों का समावेश करना सम्भव है जिसके अनुसार देश की प्रभुसत्ता को समर्पित किया जा सकेगा ?

मेरे विचार में कुछ कठिनाइयां हैं । राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का विचार एक दृढ़ विचार है । विश्व सरकार का विचार विश्व के लोगों की इच्छा से ही कार्यरूप में लाया जा सकता है । विश्व में अनेक प्रकार के राजनैतिक सिद्धान्त हैं । विश्व सरकार का होना ही पर्याप्त नहीं है । उस समय तक भारत ऐसी विश्व सरकार के पक्ष में नहीं होगा । जब तक इसे समानता की भावना पर स्थापित न किया जाये ताकि जाति, रंग आदि आदि भेदों के होते हुए भी विश्व के सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो सके ।

(श्री राम मूर्ति पीठासीन हुए)

(Shri Ram Murti in the Chair)

उस समय तक विश्व सरकार का मात्र विचार पर्याप्त नहीं है । उस प्रकार की सरकार के लिये पहले वातावरण तैयार करना होगा ।

किसी भी देश का संविधान उस देश के लिये अत्यन्त पावन दस्तावेज होता है । यदि इस पावन दस्तावेज में कोई विचार समय से पूर्व शामिल कर दिया जाये तो मुझे डर है, इससे उद्देश्य ही विफल हो जायेगा । इसलिये इस उद्देश्य से विश्व सरकार की केवल स्थापना नहीं होगी । इसका उद्देश्य विश्व सरकार की निष्पक्ष, गौरवपूर्ण शर्तों पर स्थापना करना है । अतः हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये या कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे इस पावन उद्देश्य में कोई विफलता न आने पाये ।

प्रस्तावक महोदय को इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए । हमें सर्वप्रथम देश की जनता की समस्याओं पर विचार करना चाहिए । हम इस पर विचार करेंगे और इन दिशाओं में जायेंगे । ये लोग अन्य देशों की जनता को भी उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करेंगे । सम्भवतः वह समय आने वाला है जबकि अपेक्षाकृत अधिक ठोस कदम भी उचित ही माना जायेगा । यह लाभदायक हो सकता है और इससे आत्म-पराजय नहीं होगी । इससे ऐसी तकनीकी आपत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी जिनका कि आज इस विधेयक को सामना करना पड़ता है । अतः मैं विधेयक के माननीय प्रस्तावक से अनुरोध करूंगा कि वह इस समय इस विधेयक के लिए दबाव न डालें ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मंत्री महोदय ने विधेयक का पूर्णतः समर्थन करते हुए इसे वापस लेने का मुझसे अनुरोध किया है । जब प्राचीन काल से चली आ रही हमारी परम्परा महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू तथा श्री अरविन्द और अब 1977 में श्री मोरारजी देसाई, एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक उद्देश्य की ओर लक्ष्य किया है कि क्या हम मिथ्या जीवन व्यतीत करते रहेंगे और अपनी प्राचीन परम्परा को गलत सिद्ध करेंगे ।

इस विधेयक के विरोध में एक ही कारण दिया गया है कि इससे प्रभुसत्ता खतरे में पड़ जायेगी । क्या हम 20वीं शती में प्रभुसत्ता सम्बन्धी 19वीं शती के विचारों के साथ रह रहे हैं ? जब हमने समुद्र के विधान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो हमने समुद्री सीमा को स्वीकार कर लिया है । इससे हमारी प्रभुसत्ता कम हुई है ?

निदेशक सिद्धान्तों में निहित अनुच्छेद आशा और महत्वाकांक्षाओं के पावन सेतु समझे जाते हैं। विधेयक में प्रभुसत्ता को समर्पण करने के लिए नहीं कहा गया है। विधेयक में हमारे संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में यह जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है कि यह सरकार विश्व की संघीय सरकार के लिए संविधान का मसौदा या प्रारूप तैयार करने के लिए शीघ्र विश्व संविधान सभा बनाने हेतु अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग देगी। इस विधेयक का यह अत्यन्त साधारण उद्देश्य है। जब तक सरकार इस दिशा में कोई प्रयास करना नहीं चाहेगी तब तक ऐसे खोखले वक्तव्य देने से क्या लाभ होगा जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने दिया है।

सेनाओं और शस्त्रास्त्रों पर विश्व का वार्षिक खर्च पहले ही 400 अरब डालर हो गया है और लगभग चार सौ हजार वैज्ञानिक तथा इंजीनियर और अधिक घातक शस्त्रों की खोज करने के अनुसन्धान कार्य में लगे हुए हैं। अतः हम सब को मिल कर उच्चतर आदर्श की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। लेकिन यह व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं संवैधानिक प्रणाली के बिना सम्भव नहीं है क्यों कि इन का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही सम्भव नहीं है इसलिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली के बारे में विचार करना चाहिए और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी कारण विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में इन दोनों का ही उल्लेख किया था। अतः हमें कोई मार्ग खोजने का प्रयास करना चाहिए आत्म समर्पण नहीं करना चाहिए।

विधेयक को जनमत प्राप्त करने के लिए देश में परिचालित करना चाहिए। यदि सरकार इस पर सहमत होती है तो यह गौरवपूर्ण समाधान होगा। और इसी दौरान इस विधेयक पर अन्य देशों का मत प्राप्त करने के लिए हमें इसे विदेशों में भी भेज देना चाहिए। यदि यह सरकार को स्वीकार्य नहीं है, तो मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक को वापस नहीं ले सकता। मेरा अन्तर्मन विधेयक को वापस लेने की अनुमति नहीं देता है।

श्री शान्ति भूषण: आपकी अनुमति से मेरा एक और सुझाव है कि विधेयक को इसी रूप में निलम्बित रखा जाए और कोई कार्रवाई इस पर न की जाए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: यदि मंत्री महोदय सहमत हों तो इसे प्रचारित कर दिया जाए।

श्री पवित्र मोहन प्रधान: मैं इस पर चर्चा के समय को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

समापति महोदय: मंत्री महोदय का क्या विचार है?

श्री शान्ति भूषण: समय बढ़ा दिया जाए। मैं प्रचारित करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री बीजू पटनायक: इसे किसी अन्य उचित समय के लिए स्थगित किया जाए।

श्री रविन्द्र वर्मा: गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक का समय क्योंकि समाप्त हो गया है इसलिए अब समय बढ़ाया जा सकता है और इसे अगले दिन जब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन हो, लिया जाए। हमें श्री कंवर लाल गुप्त के विधेयक के पेश किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा करने की अनुमति दी गई है। उस पर चर्चा बाद में हो सकती है।

श्री सी० एम० स्टीफन : एक विधेयक के निलम्बित रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है ।

Mr. Chairman : Unless the rule is suspended the motion of Shri Gupta cannot be taken.

Shri Kanwar Lal Gupta : I am moving the motion to suspended the rule. I may be given only one minute.

सभापति महोदय : ऐसा नहीं हो सकता ।

Shri Kanwar Lal Gupta : There are precedents.

Mr. Chairman : Speaker as well as the Deputy speaker were not in favour of suspending the rule.

सहकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMTTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के विदेशी दौनों और उन पर व्यय में भारी वृद्धि पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करेंगे ।

देश में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : LAW AND OLDER SITUATION IN THE COUNTRY

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : प्रस्ताव से राष्ट्रीय मतैक्य दिखलाई देता है क्योंकि सभी दलों के सदस्यों के नाम इसके पेश करने वालों में हैं । इस सम्बन्ध में सभी बड़े चिन्तित हैं और यह प्रस्ताव किसी प्रकार के आरोप लगाने की भावना से पेश नहीं किया गया है । राष्ट्रपति जी ने भी देश में विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति से क्षुब्ध होकर कुछ दिन पहले इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए थे । उन्होंने कहा था कि मैं विशेषकर अमृतसर और पन्तनगर की घटनाओं से बड़ा दुखी हूं । अतः राष्ट्र की व्यवस्था में कुछ बड़ा दोष आ गया है और इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है ।

मेरे पास पिछले वर्ष बिहार की कोयला खदानों में हुई गोली-बारी से शुरू हो कर घटनाओं की एक बड़ी सूची है । बहुत से लोग मारे गए हैं । 1-1-1978 के "पैट्रयट" के अनुसार "लोगों का जीवन और उन के घर इतने असुरक्षित कभी नहीं रहे जितने 1977 में रहे ।" पुलिस में जनता के अविश्वास से लेकर पुलिस में आई अत्यधिक उत्साहहीनता के साथ इस वर्ष कानून और व्यवस्था की स्थिति सर्वथा समाप्त हो गई ।

जन साधारण पर गुण्डों के आक्रमण बढ़ रहे हैं । राजधानी में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह मानेगा कि असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है ।

जहां तक जातीय दंगों का प्रश्न है हरिजनों और दलित वर्गों पर आक्रमण बढ़े हैं । इस पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं । यदि हरिजनों पर आक्रमण होता है तो पुलिस उनकी रक्षा को नहीं आती तथा उन्हें दबाया जा रहा है । वे स्वयं को सर्वथा असहाय अनुभव कर रहे हैं । इस बीच अनेकों लोग मारे गए हैं ।

मार्च और सितम्बर, 1977 के बीच देश भर में अनुसूचित जातियों के लोगों के ऊपर आक्रमण की 3,214 घटनाएं हुईं । मार्च, 1977 से अब तक इन जातियों के 215 व्यक्ति मारे गए । हरिजन महिलाओं पर भी इस बीच 136 बलात्कार के मामले हुए ।

जहां तक आन्दोलनों और विरोध प्रदर्शन का प्रश्न है अनेकों घटनाएं ऐसी हुईं जिनमें पुलिस की गोली से कर्मचारी मारे गए । हाल ही में 13-4-78 को पन्त नगर में क्या हुआ, यह सर्व विदित है । कितनी निर्दयता बरती गई यह पूर्णतः स्पष्ट है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है । औद्योगिक असन्तोष बढ़ता जा रहा है ।

छात्रों में असन्तोष बढ़ रहा है । और जहां भी असन्तोष है वहां पुलिस ने या तो आंसू गैस का उपयोग किया है अथवा गोली चलाई है और छात्र मारे गए हैं ।

जनता पार्टी दो बातों के लिए जनता के समाने वचनबद्ध है : एक है अहिंसक विरोध और दूसरा अहिंसक । परन्तु राष्ट्रपति ने हाल ही में एक नई ही बात कहीं है "कि जबकि कोई भी पक्ष जिसे शिकायत हो, अपनी उचित शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक तरीका अपना सकता है, सरकार अव्यवस्था और हिंसा की अनुमति नहीं दे सकती । ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" अतः सरकार यह न कहे कि यह कानून का मामला है और राज्य ही इसके लिए जिम्मेदार हैं ।

हमने मानवीय जीवन और उसकी शान के प्रति भी सम्मान पूर्णतः खो दिया है । इस अधःपतन को हम कैसे पहुंचे ? सरकार ने अपनी शुरुआत विरोध प्रकट करने के लोकतान्त्रिक अधिकार से की थी, परन्तु तनिक भी बिरोध पर क्या होता है यह हम देख रहे हैं । इस स्थिति के लिए राजनीतिक सत्ताधारी जवाब दे रहे हैं।

यह बार-बार कहा जाता है कि राजनीतिक दल इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं । इस सब को कोई राजनीतिक दल नहीं करा रहा है । लोग स्वतः यह कर रहे हैं क्योंकि असंतोष फैल रहा है सरकार को इसके लिए पहले की स्थिति को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए । वास्तविक बात यह है कि लोगों की सरकार की नीति में आस्था समाप्त हो रही है और लोग समझने लगे हैं कि सरकार उनकी बुनियादी समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं रखती । अतः पीड़ित लोग निराश होते जा रहे हैं ।

पन्त नगर में बिना उकसाये ही पुलिस ने लोगों को कत्ल कर दिया । इस मामले में केवल न्यायिक जांच काफी नहीं होगी सरकार को जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच करवानी चाहिए । यदि किसी पुलिस वाले ने कसाई जैसा कार्य किया है तो सरकार को उसे बचाना नहीं चाहिए ।

उस दिन गृह मन्त्री महोदय ने सदन में यह कहा था कि हरिजनों पर केवल एक प्रतिशत अत्याचार हो रहे हैं जबकि उनकी संख्या 15 प्रतिशत है । यदि सरकार का रवाया ऐसा ही रहा तो इस वर्ग के लोगों का सम्पूर्ण विश्वास इस सरकार से उठ जाएगा । वास्तव में यही कुछ देश में आज हो रहा है ।

Mr. Chairman : Shri B. P. Mandal; Shri Vinayak Prasad Yadav; Shri Hukam Dev Narayan Yadav, Shri Pabitra Mohan Pradhan; and Shri Ram Velas Paswan have

given notice of their substitute motions which are deemed to have been moved by the respective members.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The leader of the Opposition has propounded the theory that there was a spate in crimes and offences during the last one year only in those States where the Janta Party has come into power. It clearly means that he has ignored the practical position and his statement is politically motivated one. One would like to ask him as to what has happened in Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए
Shri Dhirendra Nath Bosu in the Chair]

After all, the Law and Order aismainly a state subject and it is not a central one. So, it is mainly due to politicalisation of these incidents by opposition members that law and order situation is worsening in the country.

It is true that the Janta Party has not been able to fulfil the aspirations of the people during the period of one year. After the emergency, people have now got opportunity to ventilate their grievances, but that is not the reason for the growth of unrest in the country. even before the emergency when we were in the opposition, all never incited violence and resorted to violent methods of to Ventilate our grievances. Therefore, it is a calculated preplanned conspiracy of Congress (I) members to prove that dictatorship and emergency was the only right method to run the affairs of the country in a peaceful manner. Further, the press today is quite independent, and so, their version appeared to be exaggerted, because the press had given no publicity to the indidents dwring the days of emergency. Today, the Home Minister is being made a scade goat' but can any one deny the fact that when Mrs. Gandhi was the Prime Minister, there were no atrocities on Harijans?

Therefore, an attempt is being made by the opposition as a frustrated political party to create an atmosphere of unrest in the country. So, this question should not be made a political issue or party issue. A national concensus should be developed and it should be decided that no resort would be taken to violent methods. A code of conduct for students as well as for labour should also be framed with this objective.

The Home Minister should convene a meeting of all political parties to evolve such a national consensus or codes of conduct, either for students or for labour or other people. The Home Minister should also convene a meeting of all the Chief Ministers with a view to analysing the causes of violence and finding a way out to curb it. Further, some code of conduct has also got to be evolved for the responsible functioning of the paramilitary forces, such as P.A.C. or C.R.P. or B.S.F. in a responsible way so that there was rappart with agitating public. Undoubtedly, the right of dissent must be there, but the use of Police force must be is the minimum.

At the same time, the law and order situation can not be successfully dealt with unless the socio-economic problems are completely solved. At the economic level, more and more employment should be provided to the people and the economic disparities have to be removed.

As regards the atrocities on harijans, this problem can not be solved unless stringent punishment is given to government officers, big or low, and collective fine is imposed on those who do not execute Government Orders.

Similarly, a meeting of all labour unions leaders and also the university officials should be convened to evolve some kind of machinery to solve their problems and also to check strikes and violence in their respective fields. The Janta Party members should get together to show to the world at large that emergency and dictatorship are not the only methods to rule this conutry and the progress of the country would be brought about even by democratic processes.

Shri Mohd. Shafi Qureshi (Anantnag) : There is discontent and unrest in the minds of the people due to various problems, such as, rise in prices or deterioration in the law and order position in the country, but it is the duty of the police to analyse the causes of the protest expressed by the people. The role of the police has got to be changed in the present set-up of things. The Home Minister can not absolve himself from the responsibility saying that it is the responsibility of the States to deal with local problems. It can not be said that whatever measures the previous Government took with regard to law and order situation in the country were appropriate, but the situation today is worse than that prevailing earlier. The fact is that people today have lost the confidence in the machinery that maintained law and order in the Society.

The Home Minister of the government of India should give some serious thought as to how the growing incidence of heinous crimes could be checked.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[Mr. Speaker in the Chair]]

The people and the women in the country today do not consider themselves secure, because the figures indicated that an abnormal increase has taken place in the incidents of rape, molestation, kidnapping and chain-snatching. Similarly, the Harijans and the minorities also do not consider themselves safe and secure in the present set-up of things. So,it appears that the Janata Party Government has failed to give adequate protection to these people.

The Harijans and the ministers also do not consider themselves safe and secure in the present set up of things. So it appears that the Janta Party government has failed to give adequate protection to these people.

There are sufficient figures to indicate that law and order situation in the country is deteriorating and all communal riots are on the increase specially in U.P. It proves that no adequate attentions has been paid so far to this kind of situation. Therefore the Home Minister should seriously think as to how adequate protection can be accorded to the minorities and Scheduled Castes and Scheduled Tribes and how the growing incidence of crimes can be checked.

Shrimati Mrinal Gorey (Bombay-North) : All the representative of different political parties should get together and analyse the causes of the situation obtaining at present in the country. It appears a deleberate attempt is being made to exaggerate the incidence of crimes in Delhi. It has been admitted that expectations of people from the Janata Party about their performance during the last one year have not been fulfilled. But it is unfair for the opposition to exploit this situation of frustration among the people. The Government must think seriously how the people should behave with these people who tried to put their difficulties and grievances before them in the conditions existing at present.

It is a legitimate right of the people in democracy to plead for their demands or to protest in a peaceful manner against any kind of injustice but the question now is that what measures have to be taken if an attempt is made to give a violent turn to that expression in of protest. Therefore it becomes our duty to see that in such cases police do not commit excesses. Government should seriously think that police should not be vested with the power of firing unless there is violence from the other side.

A deliberate attempt is made to create an impression in the country that dictatorship has to be resorted to solve the problems of the people in a democratic set up. We have to accept this challenge and we should see that no violent methods are adopted.

In regard to atrocities on Harijans it has been said that responsibility will be fixed on those who are found guilty and they will be socially boycotted. But, no instance has come so far to light in Maharashtra where any police official held responsible and there has been no social boycot of those people who have indulged in such atrocities. The Central Government should take some effective steps in this regard .

The Government of Maharashtra has taken steps to curb the violent activities of trade unionists of Congress (I). As a result the entire atmosphere is being vitiated and it might take a serious violent turn. The state police has to be shown new methods to control mobs without resorting to firing. The Central Government should take steps to issue guidelines or instructions to all the states to curb such forces as resorted to violent movements.

Shri Yadvendra Dutt (Jaunpur) : During his speech Shri Stephen has simply levelled personal allegations against the Home Minister and said nothing about violence, Shri Stephen also stressed that the Janata Party gives a guarantee for giving the right of peaceful protest, but they are not fulfilling it. I would like to remind Shri Stephen of a demonstration staged recently before the Prime Minister's residence in which a demonstrator attacked the police personnel with a lathi as is apparent from photo which appeared in the press. Is it a lathi Charge by the Janata Party or Congress(I) ? What happened when the former Prime Minister went to attend Tis Hazari Court recently ? Shri Stephen has kept mum over these happenings and also the incidents of Andhra.

Many serious incidents took place because of failure of local administration. The 30 years of Congress rule has made our officers careerists. They are engaged all time in pleasing the power that be and do not pay full attention to efficient smooth and clear administration. For example the riots at Varanasi and Sambhal took place because of the failure of local administration. I am of the view that persons possessing less than 8 years experience should not be posted as District magistrate or Superintendent of Police.

It has been alleged that the incidents of crime have increased during the Janata rule. I would like to point out that during the Premiership of Shrimati Indira Gandhi, the incidence of crime was 48 percent in 1970, 32 percent in 1971, 42 percent in 1972 and even during 1976 the year of emergency it was 43.5 percent while after the Janata Party's coming into power there has been a decline in these figures.

Delhi is the Capital city, a cosmopolitan city of India and its population is increasing day by day. It has a large number of criminals and in addition many big specialised criminals have also arrived here at the instance of vested interests. The scheme for Police Commissioner should, therefore be implemented early here. Specialised Police officers from Bombay, Calcutta Madras and rather every corner of India should be brought here to deal with the situation. Higher priority should be given to recruit educated persons among constables.

As regards socio-economic problems, earlier the Janata Party took measures to solve them the better it will be, because people's expectation from the Janata Government are very high today.

As regards Harijan and backward classes, they should get their due. None has a right to check it. As regards the atrocities on Harijans backward classes and Minority classes people full responsibility should be fixed on the local administration. Apart from it, responsibility in this regard should be laid on the heads of elective organs also like Grame Pradhans, Sarpanch etc.

People are very much aware of their rights, but are unaware of their duties as a good citizen. The duties of citizen must therefore be given wide publicity through mass media.

Some vested interests in collusion with the capitalists running newspaper industry are today indulging in carrying out false and baseless propaganda as if a state of anarchy has developed in the country. Baseless reports regarding Khetri is a glaring example of this. Most stringent action should be taken against these newspapers etc who are found to be engaged in carrying on such false propaganda and rumour mongering.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : (सरिमपुर) : देश की कानून और व्यवस्था स्थिति खतरनाक होती जा रही है इस ओर जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए नहीं तो यह किसी दिन विस्फोटक रूप न धारण कर ले ।

कानून और व्यवस्था का इस सीमा तक बिगड़ जाने का क्या कारण है ? आरोप लगाया गया है कि विरोधी दल स्थिति का लाभ उठा रहे हैं । मैं भी इस बात से सहमत हूं कि विरोधी दल न केवल इससे लाभ उठा रहे हैं बल्कि वे कई स्थानों में स्थिति को और भड़का रहे हैं लेकिन यह सब सत्तारूढ़ दल की अपनी करनी के कारण हैं । सत्तारूढ़ दल को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये । हरिजनों आदि पर बहुत अत्याचार होते हैं । जनता पार्टी को अपने आपको टटोलना चाहिये और विशेषकर गृह विभाग को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये ।

बेलाडिला में क्या हुआ ? लोगों को बिल्ली और कुत्तों की तरह गोली से उड़ाया गया । कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी मजदूरी नही मिल रही । इस आंदोलन को दबाने के लिये पुलिस को कर्मचारियों पर गोली चलाने हेतु बुलाया गया । प्रबन्ध के दो व्यक्तियों को मारा गया । अंतमें सरकार ने अनुभव किया कि उन्हें स्वदेशी काटन मिल का प्रबन्ध हाथ में लेना पड़ेगा । फरीदाबाद में कर्मचारी भी बहुत असंतुष्ट हैं । मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यदि कर्मचारी 150 रूपये निश्चित वेतन से अधिक की मांग करते हैं तो वे ऐसा करने के लिये दोषी ठहराये जायेंगे और पुलिस को वहां तैनात किया जायेगा । दूसरे शब्दों में उनकी शिकायतें दूर करने के लिये कोई भी कार्यवाही की जायेगी। अभी हाल में पंतनगर में क्या हुआ। मुझे यह जानकर अत्यन्त दुख होता है कि आज भी भारत में ऐसा कुछ हो सकता है । कर्मचारियों के घरों में शरण लेने वाले जख्मी लोगों को बाहर घसीटकर जिंदा जलाया गया । मारे गये व्यक्तियों सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि सी० पी० एम० ने वहां स्थिति को भड़काया है । लेकिन सच्चाई यह है कि भड़काने का काम कोई भी दल नहीं कर रहा है यदि ऐसी बातें जारी रही तो लोग असंतुष्ट रहेंगे ।

मैं जनता सरकार से आग्रह करता हूं कि स्थति तथा अपनी नीति को पुनः देखें । प्रधान मंत्री का रवैया भी अटल तथा हठधर्मीपूर्ण रहा है । थुम्बा के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की थी। वे प्रधान मन्त्री को अभ्यावेदन देने आए थे । प्रधान मंत्री ने कहा कि—"मैं बात नहीं करूंगा और आप लोग चले जायें" । क्या ऐसा करना उचित था ? जनता पार्टी ने देश के सभी श्रमजीवी वर्ग को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था । मैं जनता सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इसे समय रहते स्थिति को सम्भालना चाहिये ।

मेरा यह दृढ़ मत है कि यह साधारण 'विधि और व्यवस्था' का प्रश्न नहीं है । सत्ताधारी जनता पार्टी की नीति का मामला है जिससे पददलित श्रमिकों और हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की निर्मम हत्या हुई है । कांग्रेस (आई) के हमारे मित्र इससे फायदा उठा रहे हैं । सभी को पता है कि इन्होंने कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग में क्या किया । कांग्रेस (आई) के नेता ने अपने हाथों में लाठियां लेकर वहां घुस गये। गमलों, गुलदस्तों को फेंका, खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले । मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु को वहां आना था। उसने पुलिस से गोली चलाने के लिए नहीं कहा था । उसने केवल पुलिस को राइटर्स बिल्डिंग का घेरा डालने के लिए ही कहा था । और यह आदेश दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर केवल अश्रुगैस का ही प्रयोग किया जाये । जनता सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की अन्य सरकारों के साथ समानता नहीं करनी चाहिए ।

इन सभी घटनाओं को देखते हुए सत्ताधारी दल को बहुत सतर्कता से काम लेना चाहिए । उसे दीवारों पर लिखे लेखों को पढ़ना चाहिए और लोगों की काठनाइयां दूर करनी चाहिए । देश में होने वाले इन सभी घटनाओं से सरकार को सबक सीखना चाहिए ।

श्री वयालार रवि : कार्य मंत्रणा समिति में हमने अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए सदन का समय 6 बजे से 7 बजे तक बढ़ाये जाने के लिए सहमत हो गये थे । हमने सरकार के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने का प्रयत्न किया था जबकि अब सरकार ऐसा नहीं कर रही है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले के लिए समय तो बढ़ाया ही जाना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए केवल 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था । यदि विरोधी पक्ष के सदस्य चाहें तो मैं अपना उत्तर 8.45 मिनट में भी दे सकता हूं ।

श्री वी० पी० मंडल : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि संशोधन बोलने के लिए एक दिन पहले सूचना देने की व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके बारे में पहले ही निर्णय दिया जा चुका है।

Shri Shambu Nath Chaturvedi (Agra) : There may be so many reasons behind the law and order situation as it existed in the country today, but it is a fact that it is not the creation of a few days or months. It has rather developed during the last so many months. It is a fact that there is increasing unemployment is one reason for this but at the same time I may mention that there are other reasons also. The misdeeds of emergency has demoralised the people. After the Janata Party's coming into power, the terror among the people and the feelings of fear among them were removed, but alongwith this unsocial elements also became active and fearless. Our services have become demoralised because everything is being politicised from all corners. The demonstrations are being held at every issue whether it may be grievances of the students or industrial unrest or Shrimati Gandhi's attending the Court. Nothing is being done peacefully but attempts are being made to make a mountain of a mole.

Now coming to the other aspect of the problem, I may submit that whether there are differences, whether these are between the Vice-chancellor and students or the industrial magnets and labours, the police is supposed to come in for the maintenance of law and order. Now if the police acts, a hue and try is raised that atrocities are being committed by police but if the police fails to act, then there is criticism that police remained a sight seesr. So that way, police is to be blamed in both the cases. Be it in a legislative assembly or here in Parliament, police is made a subject of criticism. Thus the police people are in a very precarious position.

I feel that the root cause of almost all incidents of violations of law and order is the staging of demonstrations which in a large number are not peaceful. So if the Government is really keen to maintain the law and order in the country, it must ban the demonstrations. By doing so the Government will not be curbing the political right of any political party as peaceful meetings will be permissible.

श्री एम० एन० गोविंद नायर (त्रिवेन्द्रम) : इस बारे में सदन में दो मत नहीं हैं कि देश में विधि और वयवस्था की स्थिति बहुत विगड़ गई है । देश के अनेक भागों में हत्याएं हो रही हैं । एक ही राज्य में गत 9 महीनों में 35 व्यक्तियों की हत्या हुई है । उस राज्य में सभी विश्वविद्यालय बन्द कर दिए गए हैं । यह हमारे लिए अत्यन्त गम्भीर मामला है ।

जहां तक सम्भल की घटना का संबंध है इस दुखद घटना का साधारण सा यह कारण है कि एक मुसलमान ने पुलिस अधिकारियों से यह अभ्यावेदन किया कि कुछ छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए । पुलिस थाने के सामने मुसलमानों की दुकानें लुटी गईं और उनमें आग लगा दी गई ।

जहां तक पंतनगर की घटना का सम्बन्ध है, प्रोफेसरों और छात्रों के साथ चर्चा करने के बाद मैं आश्वस्त हो गया हूं कि वहां मूक जलूस निकाला गया था । उन पर न केवल गोली चलाई गई बल्कि भाग बचने के लिए भागते हुए लोगों का पीछा कर उनकी हत्या की गई और उनकी लाशों को गन्ने के खेतों में जला दिया गया ।

हरिजनों पर अत्याचार नये शिखर पर पहुंच गये हैं । इनके पीछे केवल एक ही आदमी है और वह हैं गृह मंत्री । यदि उनमें उत्तरदायित्व की भावना है तो वे इसे अपने ऊपर लें और मन्त्रालय छोड़ दें । केवल इसस ही लोगों को राहत मिलेगी ।

श्री रागावलू मोहनरगम (चगलपट्टू) : कानून और व्यवस्था का नियंत्रण केन्द्र न करके राज्य सरकारें करती हैं । यह राज्य का विषय है । केवल दो ही अवसरों पर केन्द्र इसमें हस्तक्षेप कर सकता है एक तो जब तब राज्य में राष्ट्रपति राज्य हो अथवा जब आपात-स्थिति हो ।

जहां तक तामिलनाडु का संबंध है किसानों के नाम पर कुछ हिंसक और समाज विरोधी तत्व गैर-कानूनी काम कर रहे और राज्य में अराजकता पैदा कर रहे हैं । यह एक सब विदित तथ्य है कि हमारे मुख्य मंत्री पिछले 40 वर्षों से दलित के लि सेवा करते आए हैं । जब ऐसी बात है तब यह क्यों कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार राज्य में अराजकता के लिए जिम्मेदार है ? यह एक राजनीतिक षडयंत्र लगता है।

पुलिस ने वहां गोली चलाई यह सच है । परन्तु इसका कारण क्या था ? 15 छोटे और तीन बड़े लम्बे पुलों को हिंसा से नुकसान पहुंचाया गया । इतना ही नहीं सड़कों को तोड़ा गया और उन पर दीवारें बनाई गई। इस कारण गोली चलानी पड़ी और सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के कारण आधा दर्जन लोग मारे गये ।

मद्रास में कृषि के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है । बिजली दर 16 पैसे से घटा-कर 14 पसे कर दी गई है । धान का वसूली मूल्य बढ़ा कर 95 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है तथा राज्य सरकार उस बढ़ा कर गेंहूं के समान 110 रुपये किये जाने के लिए जोर केन्द्र पर डाल रही है । ऐसा सब होने पर मेरे समझ में नहीं आता कुछ सदस्य लोगों के मन में यह सदेह क्यों कर पैदा कर रहे हैं कि इस अराजचता और गड़बड़ी के लिए तमिलनाडु सरकार जिम्मेदार है । हमारी सरकार ने लोगों की मदद के लिए हर सभव कदम उठाए है ।

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh): I do admit that the law and order situation is not good, but it is not as alarming as it is being painted. During the last one month or so there has been certain incidents in different parts of the country and it is being deduced that the law and order situation is alarming. But that is not so. These incidents constituted only a temporary aberration which would pass off soon.

There has been increase in the number of crimes in Delhi. There is a special reason for this situation. The police cadre of Delhi was small and we could not transfer these people to another place out of Delhi. The Lt. Governor of Delhi had again written to me about this matter. We will have to find a solution to this problem.

Then there is the question of having a Police Commissioner for Delhi. An impression was given to me that we could introduce the system of Police Commissioner for Delhi from 2nd October by changing certain rules, but the Law Department had told us that a law would have to be enacted. The necessary Bill has been prepared and sent to the Metropolitan Council for their opinion.

My anxiety about the crime situation in Delhi is no less than that of any other Member but we are not able to find a solution. The number of crimes in Delhi is less as compared to other big cities of the world, although the number of crimes in Delhi is more than the number of crimes in other cities in our country. The number of crimes in Delhi had decreased in 1977 as compared to 1974.

In 1970 cases of student violence were 48 per cent. In subsequent years they were 32 per cent 40 percent, 30 percent, 20 per cent and then 19 per cent. In 1976 they were 4.35 percent and in 1977 15 per cent.

The number of man-days lost in strikes in 1970 was 20 lakh 56 thousand, in 1971 it was 16 lakhs, in 1972 it was 20. 5 lakhs, in 1973 it was 20.63 lakhs, in 1974 it was 40.26 lakhs, in 1975 it was 21 lakhs and in 1976 it was 12 lakhs 75 thousand when there was emergency.

In 1977 number was 21 lakhs. How far is it justified to say that there was lawlessness on all sides and strikes are going on ?

The number of strikes in 1974 was 1105, it was 229 in 1975, it was 244 in 1976 and in 1977 it was 188.

In 1974 the number of communal incidents was 248, in 1975 it was 206 and in 1977 in was 188.

The situation that has developed during the last one month is causing us concern. But it would be wrong to generalise and say that the whole country is burning.

Democracy is rule of law. Observance of law is essential for democracy and it is all the more necessary for our country, because if we want economic development, there should be law and order throughout the country.

Sardar Patel had written about England that everybody there felt the presence of law all the time and nobody thought of violating the law. But in our country breach of law was preached. All the political parties were equally responsible for that. The question of law and order should not be made a partisan issue, otherwise violence would spread.

श्री बसन्त साठे* :

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार की बात नहीं कह सकते । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । इसे सभा की कायवाही में शामिल न किया जाय ।

श्री समर गुह : आपने केवल मात्र इसे सभा की कायवाही से निकाल दिया । वह इस तरह बच कर नहीं निकल सकते । सरकार द्वारा ससद् की सहमति से नियुक्त किए गए न्यायाधीश की ईमानदारी को चुनौती दी जा रही है । इस प्रकार की बात कह कर वह बच नहीं सकते । उन्होंने जो कुछ कहा है, सदन में सबने सुना है । आपको इस पर समुचित कायवाही करनी है । इस प्रकार की बात सहन नहीं की जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कायवाही वृतांत से निकाल दिया है । इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर रहा ।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Shri Sathe is behaving in the House in the same manner as Mrs. Gandhi is behaving outside. Mere expenction does not mean anything. If Shri Sathe has used derogatory language, he must apologise to the House.

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

Expenged as orders by the Chair

Shri Charan Singh : Sir, democracy cannot be a success in a country if highly placed people behave in a manner that diminishes the faith of the people in judiciary.

Mahatma Gandhi had taught us that if in the interest of the nation it became necessary to break the law on moral grounds, we should also be prepared to pay the price for it in doing so. That was the meaning of styagraha and those people were prepared to suffer the punishment. But here, it is not any national objective; it is a party objective. It is in fact the objective of achieving personal popularity. I would like to ask Shri Sathe why his leader did not go to Hyderabad, but went to Pant Nagar instead. I would request my friends not to make law and order a partisan issue as that would only lead to violence.... *interruption*)

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : श्रीमान् सदन को 8.45 म० प० तक का समय दिया गया था । अब 9.00 म० प० हो चुके हैं । समय समाप्त हो चुका है ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 अप्रैल, 1978/4 वैशाख, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned at Eleven of the clock on Monday, April 24, 1978/ Vaisakha 4,1900 (Saka).

MGIPRRND—Sec. VIII—15 LSS/78—17-10-78—210